

कुरुक्षेत्र



वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 10 ★ पृष्ठ : 64 ★ श्रावण—भाद्रपद 1940 ★ अगस्त 2018

प्रधान संपादक

दीपिका कच्छल

वरिष्ठ संपादक

ललिता खुराना

संपादकीय पत्र—व्यवहार
संपादक

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली—110003
दूरभाष : 011-24365925

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार गीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिशिर दत्ता

सज्जा

मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये



इस अंक में

	समावेशी विकास के लिए कुशल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर	नितिन गडकरी	5
	ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास	डॉ. पी. केसव राव, डॉ. वी. माधव राव	9
	कृषिगत आधारभूत अवसंरचना	देवाशीष उपाध्याय	13
	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास क्षेत्र में क्रांति	समीरा सौरभ	21
	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से रोजगार सृजन	एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ	24
	'सौभाज्य' - हर घर बिजली का लक्ष्य	डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी	28
	भारतमाला परियोजना : 'न्यू इंडिया' की दिशा में बढ़ते कदम	---	32
	प्रधानमंत्री का जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद	---	34
	अंडमान और निकोबार ने राष्ट्रीय सामाज्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली अपनाई	---	35
	ग्रामीण भारत में शिक्षा	डॉ. ओउम प्रकाश शर्मा, राम शरण दास	36
	ग्रामीण भारत में चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं	चंद्रकांत लहरिया	39
	पेयजल ढांचे का कार्यालय	डॉ. पी शिवराम, विष्णु पार्थीपतेज पी	46
	स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018	---	50
	10 नए स्वच्छ आइकॉन स्थानों के लिए स्वच्छता कार्ययोजनाएं	---	51
	ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने में बैंकों का योगदान	सतीश सिंह	53
	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना : प्रगति और लक्ष्य	---	58
	स्वच्छता की अनूठी पहल	---	60
	सिकिम में ओडीएफ गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रयास	---	61
	किसानों की आय को प्रोत्साहन	---	62

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

कि

सी भी देश का बुनियादी ढांचा जितना मज़बूत होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मज़बूत होगी। बुनियादी ढांचे से हमारा तात्पर्य मानवीय विकास के लिए ज़रूरी सभी मूलभूत आवश्यकताओं से हैं—चाहे वे सड़कें हों, आवास हों, पेयजल हों या फिर चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं। भारत आज भी गांवों में चाहे वे सड़कें हों, आवास हों, पेयजल हों या फिर चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं। भारत आज भी गांवों में बसता है, ऐसे में ग्रामीण भारत के विकास के बिना देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना संभव नहीं है। भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है ऐसे में कृषि संबंधी अवसंरचना को मज़बूत किए बिना गांवों और ग्रामीणों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

निसंदेह देश की प्रगति का व्यक्तियों की आवाजाही और माल की ढुलाई से संबंधित उसकी दक्षता से गहरा संबंध है। अच्छी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन केंद्रों और बाजार के बीच अनिवार्य संपर्क उपलब्ध कराते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायक होती है। यह देश के एकदम दूरदराज के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कारक भी है।

दुनिया के सबसे विशाल परिवहन नेटवर्क में से एक होने के बावजूद, भारत का परिवहन नेटवर्क लंबे अर्से से यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत धीमी रफ्तार और अकुशलता से ग्रसित रहा। इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां रहीं। दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर परिवहन नेटवर्क की पर्याप्त पहुंच का अभाव रहा।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों से इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ है। सरकार ने देश में ऐसी विश्व-स्तरीय परिवहन अवसंरचना का निर्माण करने को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी है, जो किफायती हो, सभी को आसानी से सुलभ हो सके, सुरक्षित हो और ज्यादा प्रदूषण फैलाने का कारण भी न बने और जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्वदेशी सामग्री पर निर्भर हो। इसमें विश्व-स्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उपलब्ध मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना, नई बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और इस कार्य में सहायक विधायी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना शामिल है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी तथा ऐसी साझेदारी के लिए समर्थ बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना और उसे प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का महज दो प्रतिशत अंश है, लेकिन वह यातायात के 40 प्रतिशत भार का वहन करता है। राजमार्गों की लंबाई और गुणवत्ता, दोनों के संदर्भ में इस बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की दिशा में हाल-फिलहाल में काफी काम हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब 27 किमी प्रतिदिन की रफ्तार से बनाए जा रहे हैं। इस काम में और तेजी लाने के लिए पिछले साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 'भारतमाला परियोजना' लेकर आया है। इस परियोजना के तहत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों को जोड़ा जाएगा, आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों और फीडर रूट्स का विकास किया जाएगा; राष्ट्रीय गलियारों के संपर्क में सुधार लाया जाएगा, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसका आशय है कि देश के समस्त क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजमार्गों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

देश के सुदूर और कटे हुए क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तेज़ी से काम किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में करीब 11500 पात्र बस्तियों को जोड़ने के लिए 48751 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण सड़कों के महत्व और तत्काल इनके निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रथम चरण के पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2022 से कम करके मार्च 2019 कर दिया गया है। 13 राज्य योजना के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में असाधारण वृद्धि के चलते ई-गवर्नेंस, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में नकदी रहित लेन-देन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यात्रा, पर्यटन, रसद, परिवहन और नागरिक सेवा क्षेत्र में विकास हुआ है। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ज़रिए इस मूलभूत आवश्यकता और अधिकार को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत मार्च 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो रहे हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी।

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता, स्वास्थ्य और साफ-सफाई की भावना को प्रेरित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के चलते लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है और ग्रामीणों में खुले में शौच जाने की आदत में भी काफी सुधार आया है। विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में उभरे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया है।

'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' के अंतर्गत सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। तत्पश्चात सरकार हर घर तक 2022 तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- 'सौभाग्य' लेकर आई है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी शेष परिवारों तक बिजली की पहुंच और सेवा सुनिश्चित की जाएगी। मनरेगा के तहत वाटरशेड विकास, कृषि विकास, पेयजल और स्वच्छता से संबद्ध कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। सभी को स्वास्थ्य की दिशा में 'आयुष्मान भारत' एक क्रान्तिकारी पहल है बशर्ते इसका कार्यान्वयन सही तरीके से हो।

कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ कृषि संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहन सहित किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए ई-बाजार अवसंरचना को विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, एक बेहतर बुनियादी ढांचे का अर्थ है संसाधनों तक पहुंच और जीवन की बेहतर गुणवत्ता। इस तरह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बेहतर विकास से ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कृषि विकास की प्रक्रिया में भी तेजी आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है पिछले कुछ सालों में ग्रामीण भारत में विकास की रफ़तार में तेज़ी आई है चूंकि सरकार अपना पूरा ध्यान ग्रामीण विकास पर केंद्रित कर रही है। इस साल का बजट भी ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रहा। निसंदेह सरकार की विभिन्न मोर्चों पर ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में पहल अभूतपूर्व रही है। □

समावेशी विकास के लिए कुशल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर

-नितिन गडकरी

हम विश्व-स्तरीय परिवहन संरचना तैयार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही देश के दूरदराज के क्षेत्रों को भी इनका लाभ मिलने लगेगा। किसान और हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी होगी और उनकी यात्रा के समय में भी कमी आएगी। दूरदराज के इलाकों में सेवाओं की डिलीवरी में भी काफी सुधार आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन कदमों से रोजगार के अवसर खुलेंगे और हम समावेशी विकास के सपने को पूरा कर सकेंगे।

Pरिवहन का कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़े उत्प्रेरकों में से एक होता है। यह उत्पादन के संसाधन केंद्रों और बाजार के बीच जरूरी संपर्क मुहैया कराता है। यह देश के सबसे दूरदराज के हिस्सों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक है।

2014 में हमारी सरकार के सत्ता संभालने के समय इंफ्रास्ट्रक्चर को साफतौर पर हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में भारत का विकास लंबे समय से अवरुद्ध था। परिवहन के मोर्चे पर वस्तुओं और व्यक्तियों का आवागमन धीमा और अकुशल था। दूरदराज के इलाकों में परिवहन नेटवर्क की पहुंच अपर्याप्त थी। यातायात के धीमा होने की वजह से अनमोल समय के नुकसान के अलावा काफी प्रदूषण भी होता था। अंधाधुंध दुर्घटनाओं में बेशकीमती जिंदगियां जा रही थीं। नदियों के विस्तृत जाल की विशाल नौवहन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हमने फैसला किया कि इन सबमें सुधार का समय आ गया है।

पिछले चार वर्षों में हमने देश के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण, उसे पूरी तरह दुरुस्त करने और उसके विस्तार में पूरा जोर लगा दिया है। हमने सड़कों, जलमार्गों और रेलमार्गों में निवेशों में तालमेल कायम किया है। हमारा लक्ष्य एक ऐसी कुशल और किफायती समेकित परिवहन पारिस्थितिकी विकसित करने का है जो देश के सबसे दूरदराज के कोनों तक पहुंचे तथा सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हो।

राजमार्ग क्रांति

भारतीय परिवहन में तेजी से राजमार्ग क्रांति आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब 27 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनाए जा रहे हैं। वर्ष 2011 में इनके निर्माण की रफ्तार सिर्फ 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में 51073 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए काम आवंटित किया है। यह पिछली सरकार के समय 2010 और 2014 के बीच आवंटित 25158 किलोमीटर के काम से दुगुना है। हमने 2010 और 2014 के बीच सिर्फ 16505 किलोमीटर



व्यापक परिवर्तन के लिए अधिक सड़कें और राजमार्ग

- सड़क निर्माण पर व्यय 2013-14 में 32,483 करोड़ रुपये की तुलना में 2017-18 में 1,16,324 करोड़ रुपये किया गया
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का वर्ष 2013-14 के 92,851 किलोमीटर विस्तार हुआ
- निर्माण की गति 2013-14 के 12 किलोमीटर प्रतिदिन के मुकाबले बढ़कर 2017-18 में 27 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है
- निर्माण और विकास के लिए 2,000 किलोमीटर तटीय संपर्क सड़कों की पहचान की गई
- भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग - चेनानी - नाशरी सुरंग जनता के लिए खोली गई
- भारत का सबसे लम्बा पुल - असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लम्बा ढोला - सादिया पुल 26 मई, 2017 को आम जनता को समर्पित। इस पुल ने ऊपरी असम एवं अस्साचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से के बीच 24 घंटे संपर्क सुनिश्चित किया है
- भरुच में नर्मदा एवं कोटा में चम्बल नदी पर बने पुल आम जनता के लिए खोल दिए गए
- उच्च सघनता वाले गलियारे के साथ 1,000 किलोमीटर एवस्प्रेस वे



की तुलना में 28531 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा किया है। इस साल हमारा लक्ष्य लगभग 16000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है जोकि भारत में एक वर्ष में अब एक हुए निर्माण में सबसे ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दो विश्वस्तरीय एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। ये हैं— ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और दिल्ली—मेरठ एक्सप्रेस वे का पहला चरण। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे ही अनेक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जिनसे वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के समय में कमी और प्रदूषण में गिरावट आएगी। अब तक दूरस्थ और अगम्य रहे क्षेत्रों में आसान पहुंच और दूरियां घटाने के लिए कई स्थानों पर पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। असम में ब्रह्मपुत्र पर भूपैन हजारिका पुल, जम्मू-कश्मीर में चेनानी नाशरी सुरंग और चंबल नदी का कोटा पुल इनकी सिर्फ कुछेक मिसालें हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल अपना महत्वाकांक्षी भारतमाला कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम देश के लिए युगांतरकारी साबित होगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 50 आर्थिक गलियारों, फीडर और अंतर-गलियारों, सीमावर्ती, तटीय और बंदरगाह, सड़कों तथा एक्सप्रेस वे के निर्माण के जरिए सड़क परिवहन की कुशलता को बढ़ाना है। इससे आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटकों की दिलचस्पी के स्थलों, सीमावर्ती, पिछड़े और आदिवासी तथा तटीय इलाकों एवं पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मार्गों को बेहतर संपर्क मुहैया कराया जा सकेगा।



राष्ट्र निर्माण के लिए जल शक्ति

सागरमाला परियोजना

- 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बुनियादी ढांचा निवेश के साथ 500 से अधिक परियोजनाएं शामिल

बंदरगाह संचालित विकास की ओर

- अप्रैल से दिसंबर, 2017 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों के कार्यक्षमता मानदंड चिह्नित। जहाज से माल उतारने और लादने का कार्य 73 घंटे की तुलना में 65 घंटे में सम्पन्न
- प्रमुख बंदरगाहों के ऑपरेटिंग सरप्लस में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि

भारतमाला कार्यक्रम के तहत कुल लगभग 66000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 5.35 लाख करोड़ रुपये के खर्च से 24800 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और यह 2022 तक पूरा हो जाएगा।

भारतमाला कार्यक्रम पूरा होने के बाद मौजूदा 300 जिलों की तुलना में देश के सभी 550 जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ जाएंगे। मौजूदा 40 प्रतिशत की तुलना में लगभग 70–80 प्रतिशत माल ढुलाई राष्ट्रीय राजमार्गों से होगी। कार्यक्रम के तहत नए गलियारों का चयन इस ढंग से किया गया है कि यात्रा के समय में 20–25 प्रतिशत की कटौती हो। इसके अलावा 32853 करोड़ रुपये के खर्च से 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनाए जाएंगे। इन पार्कों में माल की कुशल ढुलाई के लिए जरूरी गोदाम, शीतगृह और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पार्क जहां तक संभव होगा सड़कों, रेलमार्गों, जलमार्गों और वायुमार्गों से जुड़े होंगे। लिहाजा इनमें माल ढुलाई के साधनों के सबसे किफायती मिश्रण को चुनने की सुविधा रहेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के विस्तार, आड़े-तिरछे मार्गों को छोटा करने के लिए पुलों और सुरंगों के निर्माण, लॉजिस्टिक पार्कों तथा यातायात के बहुविधि साधनों से समावेशी आर्थिक विकास को बहुत बल मिलेगा। इन कदमों से दूरदराज के किसानों और अन्य उत्पादकों को बाजार तक पहुंच कायम होगी जो अब से पहले संभव नहीं थी। इनसे देशभर के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। इसके अलावा इनसे बेहद जरूरी रोजगार भी पैदा होंगे। भारतमाला कार्यक्रम देश में आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक होगा। कार्यक्रम के पहले चरण में 35 करोड़ मानव दिवस से ज्यादा रोजगार पैदा होने का अनुमान है।

स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहन

राजमार्ग क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाना हमारी एक अन्य प्राथमिकता है। इस मकसद से हम एथनॉल, मीथेनॉल, बायो-डीजल, बायो-सीएनजी और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि अवशेषों, बांस जैसे पौधों, अखाद्य तिलहनों और म्युनिसिपल कचरे से देश में ही तैयार किए जाने वाले इन ईंधनों के इस्तेमाल से प्रदूषण घटने के साथ ही देश के आयात के विशाल बोझ में भी कमी आएगी। नागपुर शहर में बसें शत-प्रतिशत अवशिष्ट जल से निकलने वाले मीथेन से निर्मित बायो एथनॉल और बायो-सीएनजी से चलाई जा रही हैं। बाकी स्थानों पर भी ऐसा ही किया जा सकता है। इससे रोजगार भी पैदा होगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और बंजर जमीन वाले इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

राजमार्गों पर सुरक्षा

दुख की बात है कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इन्हें 2020 तक 50 प्रतिशत घटाने के लिए कृत संकल्प हैं। देशभर में दुर्घटना की आशंका वाले 779 स्थलों की पहचान कर



भारतमाला परियोजना: प्रथम चरण

- मल्टी मॉडल समेकन के साथ राजमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये का नया कार्यक्रम

सुरक्षित सड़कों के लिए सेतु भारतम परियोजना

- रेलवे ओवर ब्रिज/अंडर पासों के निर्माण से 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त कर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
- 20,800 करोड़ रुपये की धनराशि से रेलवे ओवर-ब्रिजों/अंडर-ब्रिजों का निर्माण करना

उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। सड़कों की डिजाइनों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के चरण में ही सुरक्षा के तत्वों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है। बेहतर वाहन सुरक्षा मापदंडों को अधिसूचित करने के साथ ही हम देश के हर जिले में चालक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की योजना चला रहे हैं।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित किया जा चुका है। इसके राज्यसभा में पारित किए जाने का इंतजार है। विधेयक में जुर्मानों को ज्यादा सख्त बनाने तथा वाहनों के फिटनेस प्रमाणन और चालक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कंप्यूटरीकरण से पारदर्शिता लाने के प्रावधानों के जरिए सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान किया गया है। इसमें मददगार नागरिकों को संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अमल प्रणाली को मान्यता देने की व्यवस्था की गई है।

विकास के इंजन के रूप में बंदरगाह

हमारी सरकार ने समुद्रों और नदियों की क्षमता के दोहन के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है। इस मकसद से 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बंदरगाह क्षेत्रों का औद्योगिकरण किया जाना है ताकि वे विकास के वाहक बन सकें। बड़े बंदरगाहों के ईर्द-गिर्द विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजे) और 12 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के गठन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं पर काम चल रहा है ताकि वे ज्यादा सक्षम और लाभकारी बन सकें। सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के माध्यम से अंदरुनी इलाकों के साथ बंदरगाह का संपर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से रोजगार के जो अवसर खुलेंगे, उनके लिए स्थानीय आबादी को जरुरी कुशलता और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार किया जा रहा है।

सागरमाला में 19 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 87 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की 577 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा परियोजनाएं लागू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) में एसईजे तथा कांडला और पारादीप में स्मार्ट औद्योगिक बंदरगाह शहर निर्माणाधीन हैं। सतारा में मेगा खाद्य प्रसंस्करण पार्क तैयार हो चुका है और आंध्र प्रदेश में दो ऐसे पार्क निर्माणाधीन हैं। विभिन्न राज्यों में आठ इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर और तीन बिजली क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। जेएनपीटी में बहु-कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें सालाना 1500 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए नौ समुद्र-तटीय राज्यों में 26 मत्स्य आखेट बंदरगाह परियोजनाएं शुरू करने की योजना है।

तटीय जहाजरानी और क्रूज पर्यटन भी लंबी छलांग के लिए तैयार हैं। दोनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। हमने माल की तटीय ढुलाई के लिए बांग्लादेश के साथ एक करार पर दस्तखत किए हैं। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। वर्ष 2013–14 के सिर्फ 95 की तुलना में 2016–17 में 166 क्रूज जलपोत भारत आए और इनकी संख्या में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है।

सागरमाला से संचालन खर्च के रूप में सालाना 35000 करोड़ से 40000 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। इससे नियांत में भी 110 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी होगी। इस कार्यक्रम से समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों के इलाकों में लगने वाली फैक्टरियों, सेवा उद्योग, मत्स्यपालन केंद्रों, पर्यटन और अन्य प्रतिष्ठानों की बदौलत एक करोड़ से ज्यादा प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

जल परिवहन को हकीकत में बदलना

हमारे जलमार्गों को नौवहन के योग्य बनाना हमारे लिए एक अन्य बड़ी प्राथमिकता है। हम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित 111 जलमार्गों को नौवहन के लिए विकसित कर रहे हैं। सड़क और रेल की तुलना में जल परिवहन सस्ता और कम प्रदूषण करने वाला है। जलमार्गों के जरिए माल ढुलाई से हमारे उत्पादों के परिवहन खर्च में कमी आएगी और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, कृष्णा, महानदी, अम्बा, नर्मदा इत्यादि नदियों पर 10 जलमार्गों के लिए काम शुरू हो चुका है। गंगा पर विश्व बैंक की सहायता से 5369 करोड़ रुपये की जलमार्ग विकास परियोजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वाराणसी में एक मल्टी-मोडल टर्मिनल इस साल अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। साहिबगंज और हालिद्या में मल्टी मोडल टर्मिनल तथा फरक्का में नौवहन लॉक निर्माण का काम काफी आगे बढ़ चुका है। इस परियोजना से 46000 प्रत्यक्ष और 84000 परोक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है।



हम कई जलमार्गों पर रोल ऑन—रोल ऑफ (रो—रो) सेवाएं पहले ही शुरू कर चुके हैं। ये सेवाएं फलों और सब्जियों जैसी स्थानीय वस्तुओं की दुलाई का बेहद असरदार माध्यम साबित हुई हैं। इनसे अब तक आड़े—तिरछे मार्गों से जुड़े दो स्थानों के बीच आवागमन में समय की बचत हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर रो—रो सेवा धुबरी और हत्सिंगीमारी के बीच चल रही है। इन दोनों शहरों के बीच पिछले छह महीनों में 36000 यात्रियों और 450 ट्रकों का परिवहन रो—रो के जरिए हुआ है। इससे सड़क यात्रा 230 किलोमीटर कम हुई है। बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग—16 के जरिए बंगलादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय माल दुलाई भी होती है। हम विश्व—स्तरीय परिवहन संरचना तैयार कर रहे हैं और मुझे

उम्मीद है कि जल्द ही देश के दूरदराज के क्षेत्रों को भी इनका लाभ मिलने लगेगा। किसान और हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी होगी और उनकी यात्रा के समय में भी कमी आएगी। दूरदराज के इलाकों में सेवाओं की डिलीवरी में भी काफी सुधार आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन कदमों से रोजगार के अवसर खुलेंगे और हम समावेशी विकास के सपने को पूरा कर सकेंगे।

(लेखक भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी,

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री हैं।)

ई—मेल : nitin.gadkari@nic.in

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हरित पहल

एनएचएआई में हरित राजमार्ग विभाग : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)ने एक ग्रीन हाइवे डिवीजन का गठन किया है और पिछले साल ढाई लाख पौधे रोपें ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग हरे—भरे और प्रदूषणमुक्त रह सकें।

राजमार्ग के निर्माण को सूखाग्रस्त इलाकों में तालाबों आदि को खोदने से जोड़ना: देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तालाबों, चैकडैमों और जलाशयों आदि का निर्माण बहुत जरूरी हो गया है। ये भारत में जल संरक्षण/भूमिगत जल की फिर से आपूर्ति सुनिश्चित करने के सदियों पुराने तरीके हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उत्तरदायी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ठेकेदारों व निर्माण एजेंसियों को अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से सलाह दें कि वे संबंधित जिला कलेक्टरों/उप—कलेक्टरों/जल—संरक्षण विभागों को ऐसे गांवों/देहाती इलाकों की सूची प्राप्त करने को कहें जहां तालाबों से गाद हटाने/मौजूदा तालाबों तथा जलाशयों को फिर से लबालब करने की आवश्यकता है। जहां नए तालाब बनाए जाने हों, वहां से खुदाई से निकाली गई मिट्टी का उपयोग सड़कों तथा तटबंधों को बनाने में किया जा सकता है। इसी तरह पुराने तालाबों और जलाशयों से निकाली गई रेत और गाद अगर उपयुक्त हो तो उसका उपयोग भी इसी तरह किया जाना चाहिए। इससे सूखे हुए तालाबों और जलाशयों को बिना किसी खर्च के फिर से पानी से भरा जा सकेगा और ठेकेदारों को भी सड़क व तटबंध आदि के निर्माण के लिए मिट्टी मुफ्त में मिल जाएगी।

पुल और बैराज : मंत्रालय ने राज्यों के लोक निर्माण विभागों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल व बैराज निर्माण के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं ताकि सड़क पार करने के लिए पुल की सुविधा रहे और ऊपरी तथा निचली धारा में पानी के भंडारण

की सुविधा हो। साथ ही ये जलाशय/भूमिगत जलस्रोतों को फिर से लबालब भरने के लिए कुंड की तरह काम करें। इससे विभिन्न कार्यों के लिए पानी के बेहतर और अनुकूलतम उपयोग में मदद मिलेगी।

स्वच्छता पखवाड़ा : स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 जुलाई, 2017 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े में शौचालयों का निर्माण किया गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 371 टोल प्लाज़ा में शौचालयों का निर्माण किया गया और कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा अस्थायी शौचालयों के निर्माण और पीने के पानी की सुविधा भी टोल प्लाज़ा में उपलब्ध कराई गई। सड़कों और नालों की सफाई, सड़क निर्माण स्थलों का उचित प्रबंधन, कूड़े—करकट को हटाने जैसे कार्य भी किए गए।

वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदम: ट्रैक्टर और निर्माण उपकरणों एवं मशीनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कम सल्फर वाले ईंधन संबंधी उत्सर्जन नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है और अक्तूबर 2020 से इन पर अमल होने लगेगा। मंत्रालय बिजली से चलने वाले वाहनों को भरपूर बढ़ावा दे रहा है। भारत की बिजली से चलने वाली पहली मल्टीमोडल यात्री वाहन परियोजना नागपुर में लागू की गई जिसमें बसों, टैक्सियों और ई—रिक्शा के इस्तेमाल से परिवहन की समस्या का समन्वित समाधान निकाला गया है। ई—रिक्शा लोगों को उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए किफायती लागत वाले और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल समाधान प्रस्तुत करते हैं। इनके लिए किसी तरह के परमिट की आवश्यकता नहीं होती। मेट्रो यात्रियों को उनके घर के दरवाजे तक छोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में 1000 ई—रिक्शा शुरू किए गए। □

ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास

—डॉ. पी.केसव राव
डॉ. वी. माधव राव

बुनियादी ढांचे के विकास से आवास, संपर्क, विद्युतीकरण के साथ—साथ सड़क, संचार और बैंकिंग जैसी आर्थिक अवसंरचना की आधुनिक सुविधाएं भी मिल रही हैं जिनसे देश आज अभिजात्य और विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है। कृषि के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और फसल बीमा की सुविधा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना के साथ ही स्वास्थ्य बीमा, स्टैंडअप और स्टार्टअप जैसी पहल, नकदी रहित लेन—देन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई—गवर्नेंस व एम—गवर्नेंस तथा इसी तरह की तमाम पहल, सामाजिक—आर्थिक विकास की दिशा में केंद्र सरकार के सुसंगत, दूरदर्शीपूर्ण, प्रगतिशील और भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए चिरस्थायी कदम हैं।

बुनियादी ढांचा किसी देश की प्रगति और आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी राष्ट्र की प्रगति की परख उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता से होती है। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की सुविधाएं शामिल हैं जबकि सामाजिक अवसंरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं। इन क्षेत्रों के विकास के साथ—साथ बुनियादी ढांचे के विकास से निवेश दक्षता में वृद्धि होती है, विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता आती है और निर्यात, रोजगार, शहरी व ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण विकास व जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ—साथ देश को अनेक फायदे मिलते हैं।

रंगराजन आयोग (2001) ने बुनियादी ढांचे की परिभाषा किसी स्थान विशेष में स्थापित एक ऐसी व्यवस्था के रूप में की है जो स्वाभाविक एकाधिकार वाली, उच्च निवेश से निर्मित, बेची न जाने योग्य, प्रतिद्वंद्विता से मुक्त और मूल्य विशिष्टता वाली हो। राकेश मोहन कमेटी रिपोर्ट (1996) और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) ने बुनियादी ढांचे के अंतर्गत बिजली, गैस, जल—आपूर्ति, दूरसंचार, सड़क, औद्योगिक पार्क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, शहरी अवसंरचना तथा कोल्ड स्टोरेज के ढांचे को शामिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (2007) बुनियादी ढांचे के तहत बिजली, दूरसंचार, रेलवे, सड़क और पुलों, बंदरगाहों व हवाई अड्डों, औद्योगिक पार्कों तथा शहरी अवसंरचना (जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल—मल प्रणाली) को शामिल मानता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (2008) ने बुनियादी ढांचे में सड़कों (जिनमें टोल वाली सड़कें भी शामिल हैं), पुलों, रेलवे प्रणाली,

बंदरगाहों, अंतर्रेशीय जलमार्गों व अंतर्रेशीय बंदरगाहों, जलापूर्ति परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, पानी साफ करने की प्रणालियों, स्वच्छता और जल—मल निस्तारण प्रणाली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, दूरसंचार सेवाओं (जिसमें मूल दूरसंचार सेवाएं और सेल्यूलर फोन सेवा शामिल हैं), घरेलू उपग्रह सेवाओं, ट्रैकिंग नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क तथा इंटरनेट सेवाओं, औद्योगिक पार्क या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, विद्युत द्रांसमिशन और वितरण, संरक्षण की दृष्टि से निर्माण, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, फल—सब्जी और फूलों जैसे जल्द खराब होने वाली चीजों के भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं, शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों तथा प्राधिकरण द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचित इसी तरह की कोई अन्य सार्वजनिक सुविधा को शामिल किया है। आयकर विभाग बिजली, जलापूर्ति, जल—मल निस्तारण, दूरसंचार, सड़क और पुलों, बंदरगाहों, हवाई—अड्डों, रेलवे, सिंचाई, बंदरगाहों में कोल्ड स्टोरेज सुविधा और औद्योगिक पार्कों/विशेष आर्थिक क्षेत्र को बुनियादी ढांचा मानता है जबकि विश्व बैंक के अनुसार बिजली, जलापूर्ति, जल—मल निस्तारण,





संचार, सड़क और पुल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, आवास, शहरी सेवाएं, तेल/गैस उत्पादन और खनन क्षेत्र बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं।

भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र यानी राजमार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, डिजिटल अवसंरचना और शहरी परिवहन को प्राथमिकता क्षेत्र करार दिया है जिसके लिए 2018–19 के केंद्रीय बजट में 5.97 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़कों का बुनियादी ढांचा

सड़क प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है और विकास के केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसके जरिए माल और कृषि पदार्थों का डुलान, पर्यटन और संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। देश में सभी मौसमों में चालू रहने वाली बेहतरीन किस्म के मजबूत सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देने से तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ, व्यापार के सुचारू रूप से संचालन तथा देश भर के बाजारों के समन्वयन में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) का मूल उद्देश्य देश के ऐसे गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ना है जो अब तक अलग-थलग पड़े हुए थे। दिसंबर 2017 तक ऐसे करीब 82 प्रतिशत गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका था। बाकी 47,000 गांवों को मार्च 2019 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 2017–18 का कुल खर्च करीब 64,900 करोड़ रुपये था जोकि 2016–17 के संशोधित अनुमान से 24 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2017–18 में कुल खर्च में से सबसे अधिक आबंटन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए रखा गया, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 37 प्रतिशत का आबंटन किया गया जिसमें राजस्व खर्च 10,723 करोड़ रुपये और पूंजी खर्च 54,177 करोड़ रुपये है।

भारत दुनिया के सबसे विस्तृत सड़क नेटवर्क वाले देशों में से एक है। यहां कुल 47 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं जिनमें नेशनल हाइवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस हाइवे, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें, लोक निर्माण विभाग की सड़कें, ग्रामीण सड़कें आदि शामिल हैं। सड़कों का बुनियादी ढांचा देश में कुल सामान के 60 प्रतिशत की दुलाई और कुल यात्री यातायात के 85 प्रतिशत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों और राजमार्गों के विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य कई अन्य कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं को समन्वित करना है। इसके तहत कुल 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 7,000 किलोमीटर सड़कें समुद्र तटवर्ती इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। इनके विकास में छोटी बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ने, पिछड़े इलाकों, धार्मिक महत्व के तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच सड़क संपर्क कायम करने का लक्ष्य रखा गया है। सेतु भारतम् परियोजना


का उद्देश्य 1500 प्रमुख पुलों और 200 रेलवे ओवरब्रिजों व रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण कर 2019 तक भारत में रेलवे क्रांसिंग को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत सड़कों में तेज रफ्तार से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ रेलगाड़ियों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी करने की योजना है। इस परियोजना को समूची भारतमाला परियोजना के 2022 तक पूरा होने से पहले ही 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के लिए 9,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा और जिला मुख्यालयों के साथ बेहतर संपर्क कायम किया जाएगा।



स्वच्छ भारत मिशन से साफ-
सफाई के मामले में क्रांति आई

- महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित करने और खुले में शौच जाने की असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर आदर्तों को रोकने के लिए देशभर में तेजी से शौचालयों का निर्माण किया गया।
- 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।
- 3.6 लाख से अधिक गांवों और 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त किया गया।
- स्वच्छता कवरेज जो 2014 में 38 प्रतिशत था, बढ़कर 83 प्रतिशत पर पहुंच गया।

आज देश में 7.25 करोड़
से अधिक शौचालय बने
हैं। 3.6 लाख से अधिक गांव,
17 राज्य/संघ शासित प्रदेश
खुले में शौच से मुक्त
घोषित हुये हैं





संचार अवसंरचना

ई—गवर्नेंस, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में नकदीविहीन लेन—देन में विकास से दूरसंचार क्षेत्र में जबर्दस्त तेजी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी पहल के जरिए नवसृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है। आज देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों के बीच मोबाइल फोन के जरिए संपर्क संभव है। दूरसंचार क्षेत्र आज देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। ब्रॉडबैंड फोरम ऑफ इंडिया (बीआईएफ) के अनुसार 2015 में भारत के जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 1.75 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया था।

आज करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतें इंटरनेट और वाई—फाई हॉटस्पॉट तथा कम लागत पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल इंडिया और भारत नेट परियोजनाओं के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं, टेली—मेडिसिन, शिक्षा, ई—गवर्नेंस, ई—मार्केटिंग और कौशल विकास को मंच प्रदान करने के लिए डिजी—गांव की योजना बनाई गई है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 में 1,13,000 करोड़ रुपये की लागत से की थी। इसमें भारत को डिजिटल तरीके से सशक्त समाज और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई थी। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रदान करने की व्यवस्था, डिजिटल साक्षरता और शासन में जनता को ई—भागीदारी के जरिए सहभागी बनाकर नागरिकों का सशक्तीकरण करने की परिकल्पना की गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना

भारत नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले प्रमुख देशों में से एक के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। 31 मार्च, 2018 तक देश की कुल संस्थापित क्षमता का 20 प्रतिशत (69.2 गीगावॉट) इस तरह के स्रोतों से प्राप्त हो रहा था जिसमें 33 प्रतिशत योगदान जलविद्युत का था। देश की पवन ऊर्जा क्षमता 31 मार्च, 2018 को 34,046 मेगावॉट थी और वह पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का चौथा प्रमुख देश बन चुका था। इसी तरह 2022 तक भारत ने 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बायोमास को जलाकर बिजली उत्पन्न करने, बायोमास से गैस उत्पन्न कर बिजली बनाने और गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन 31 मार्च, 2018 को 8.3 गीगावॉट पहुंच चुका था जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्रों से 39.8 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करने की संस्थापित क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस परियोजना से दुनिया भर में 120 देशों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतारी हो रही है और भारत ने 2030 तक अपने कुल विद्युत उत्पादन का 40 प्रतिशत गैर—जीवाश्म ईंधन वाले स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

आवास अवसंरचना

ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के इलाकों में बुनियादी आवश्यकता और अधिकार के रूप में आवास की परिकल्पना प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में मार्च 2019 तक करीब एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनकी प्रति यूनिट लागत 1.5 लाख रुपये से 1.6 लाख रुपये के बीच होगी और इसमें 70,000 रुपये बैंक ऋण के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 2019 तक 5 लाख ग्रामीणों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसी सिलसिले में देश के विभिन्न इलाकों की स्थानीय स्थितियों के अनुसार मकानों के अलग—अलग तरह के 200 डिजाईन भी स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण आवास का खर्च 819.7 अरब रुपये आंका गया है और इसके तहत पहाड़ी इलाकों और वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पहले चरण में 16.5 लाख मकान बनाए जा चुके थे और 34.6 लाख अन्य मकानों के निर्माण का काम चल रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण भारत में प्रत्येक व्यक्ति की पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और भोजन संबंधी अन्य आवश्यक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये सभी चीजें चिरस्थायी आधार पर मिलती रहें, इसके लिए भी बुनियादी ढांचे और क्षमता का सृजन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली के कुशलतापूर्वक संचालन की क्षमता सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 15 मार्च, 2017 तक 13 लाख (77 प्रतिशत) बसावटों को इस कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के तहत प्रति व्यक्ति रोजाना 40 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाने लगा था जबकि 33,086 परिवार आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के दायरे में लाए गए थे और इनमें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता 40 लीटर से कम थी। इसके अलावा 64,094 (3.73 प्रतिशत) गांव ऐसे थे जिनमें पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्या का समाधान होना बाकी था।

स्वच्छ भारत अभियान

2014 में प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान लोगों में स्वच्छता, आरोग्य और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इसमें शानदार प्रगति हुई है। वर्ष 2018—19 तक देशभर के 85 प्रतिशत इलाके को इसके दायरे में लिया जा चुका था और 391 जिलों के 3.8 लाख गांवों को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाया जा चुका था। स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान के तहत मई 2018 तक 7.4 करोड़ से अधिक निजी घरेलू शौचालय बनाए जा चुके थे। इसके अंतर्गत दिसंबर 2018 तक शौचालयों के निर्माण का शत—प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। लोग इस कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर



गांव मजबूत बने - श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुद्धन के साथ

- अगले 3 वर्षों के दौरान ऐसे 300 रुबन कलस्टरों का विकास जो खुले में शैच मुक्त हो-भरे हों और साथ ही कृषि आधारित और कौशल अभ्यंतर पर आधारित विषय क्षेत्र संबंधी कलस्टर हों तथा आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच हो
- 267 कलस्टरों की पहचान हो चुकी है; 29 गाँवों और एक संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के लिए 153 समेकित कलस्टर कार्य योजनाओं को मंजूरी जो प्रत्येक कलस्टर में निवेश की मूल योजना है

गांव जुड़े सड़कों से- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- 2019 तक हर गांव को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना। ग्रामीण सड़क संपर्क 2014 में जो 56 प्रतिशत था अब बढ़कर 82 प्रतिशत हो चुका है, इसमें सुदूरवर्ती और दुर्गम इलाकों के गांव भी शामिल हैं।
- निकट भविष्य में 73,727 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य

हिस्सा ले रहे हैं और अपने घर में निजी शैचालयों का निर्माण कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में बदलाव आने और शैचालयों की सामाजिक स्थीकार्यता बढ़ने से लोग कूड़े-कचरे के निपटान के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उत्पादन की दृष्टि से लाभप्रद खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की बेहद अभिनव योजना है। इसके अंतर्गत खेती का रकबा बढ़ाने के लिए निवेशों को समेकित किया गया है और पानी के उपयोग में दक्षता लाने के प्रयास किए गए हैं। जलाशयों को फिर से लबालब करने, गंदे पानी को साफ कर सिंचाई में उपयोग में लाने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण, खेती के लिए सिंचाई तालाबों के निर्माण, वर्षाजल संचय ढांचों के निर्माण, छोटे चक बांधों और कंटूर बांधों के निर्माण, डाइवर्जन कैनलों और खेतों में छोटी नहरें बनाने, पानी के डाइवर्जन और लिफ्ट सिंचाई के साथ-साथ जल वितरण प्रणालियों के विकास, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर्स से सिंचाई, पिवोट और रेनगन से सिंचाई के लिए ढांचों के निर्माण के जरिए किसानों को सिंचाई का पक्का साधन मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 2015–16 के बजट में 5,300 करोड़ रुपये का बजट खर्च रखा गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत किए गए कार्य बुनियादी तौर पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य हैं। इनमें कंटूर खाइयां और कंटूर बांधों के निर्माण, खेतों में मेड़ लगाने, गैविन स्ट्रक्चर, मिट्टी के बांधों, खोद कर बनाए गए खेती के तालाबों, खाद और कम्पोस्ट अवसंरचना जैसे कृषि विकास कार्यों, मुर्गीपालन और बकरी पालन जैसे पशुधन विकास कार्यक्रमों, मत्स्य पालन योजनाओं, बरसाती पानी की निकासी के लिए नालों के निर्माण, पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों जैसे सोखता गड्ढा, रिचार्ज पिट, व्यवितगत शैचालयों

के निर्माण, स्कूलों व आंगनवाड़ियों में शैचालयों के इंतजाम, बाढ़ के पानी की निकासी के लिए नहरों की मरम्मत और उन्हें गहरा करने और लघु, अति लघु तथा खेतों की नहरों के विकास जैसे सिंचाई ढांचे के विकास की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत 2017–18 में 48,000 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया और वित्त वर्ष 2018–19 में 55,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और गांवों के लोगों को आजीविका में मदद मिली है।

निष्कर्ष

बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना एक प्रगतिशील कदम है, जिसे ऐसी सामाजिक संपत्ति के निर्माण की गतिविधि माना जा सकता है और इसके माध्यम से उत्पादक गतिविधियों, आजीविका और जीवन गुणवत्ता के स्तर में सुधार के प्रयासों को तेज किया जा सकता है। आवास, संपर्क, विद्युतीकरण के साथ-साथ बैंकिंग, संचार, सड़क और आवास जैसी आर्थिक अवसंरचना से जुड़ी मूलभूत बुनियादी सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से आज देश संभान्त और विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़ा है। सरकार सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दे रही है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और फसल बीमा जैसे कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्वास्थ्य बीमा के जरिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। स्टैंडअप और स्टार्टअप, नकदीरहित लेनदेन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-गवर्नेंस तथा एम-गवर्नेंस जैसी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। ये सब प्रयास राष्ट्र को विरस्थायी सामाजिक-आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रगतिशील और सुसंगत कोशिश हैं। इनसे देश के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का टिकाऊ तरीके से विकास होगा जिससे ग्रामीण लोगों की आजीविका में बढ़ातरी होगी, उन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और चिरस्थायी आजीविका प्रदान करने वाली प्रणाली कायम होने से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है।

संदर्भ

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, भारत सरकार
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट
- केंद्रीय बजट 2018
- डेवेलमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया-द व्हीकल फार डेवेलपिंग इंडियन इकोनॉमी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली
- <https://data.gov.in> वेबसाइट

(डॉ. पी. केसव राव राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, राजेंद्र नगर, हैदराबाद के सेंटर फार जिओ इंफॉर्मेटिक्स एप्लिकेशन इन रुरल डिवेलपमेंट के प्रमुख हैं। डॉ. वी. माधव राव इसी संगठन के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और प्रमुख हैं।)

ई-मेल : kesava.nird@gov.in

कृषिगत आधारभूत अवसंरचना

—देवाशीष उपाध्याय

प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिए खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए खेती को 'उद्यम' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अर्थोपार्जन के लिए कृषि अथवा कृषि संबंधित उपागम पर आश्रित है। कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् सभी सरकारों ने कृषि संबंधी सुधार के अनेक प्रयास किए हैं। हरितक्रांति के परिणामस्वरूप देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन गया लेकिन बढ़ती जनसंख्या और कमरतोड़ महंगाई के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो सका। किसानों द्वारा खेती का लागत मूल्य निकाल पाना चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिए खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है।

वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के बावजूद देश में आज भी 40 से 50 फीसदी कृषि प्रणाली मानसून (भगवान) के भरोसे है। जिस वर्ष प्रकृति साथ देती है, उस वर्ष तो देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन होता है परंतु प्रकृति के कुपित होने की स्थिति में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसी कारण देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मानसून आधारित जुआ कहा जाता है। कर्ज तले दबा किसान अगली फसल के लिए फिर से कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। विगत वर्षों में कर्ज के जाल में उलझे अनेक किसानों ने कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं मौत का आलिंगन कर लिया। प्राकृतिक निर्भरता को कम करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास

पर जोर दिया जा रहा है।

सूखे के प्रकोप से बचने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। वर्षजल के संग्रहण हेतु 'वाटरशेड परियोजना' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। नदियों के जल को देश के दूसरे क्षेत्रों में ले जाने हेतु नहरों के निर्माण एवं उनकी नियमित साफ-सफाई की जा रही है। अच्छे वाटर लेवल वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं। नदियों के जल को संग्रहित व नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाव के लिए बांध व तटबंधों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर बीज संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। मृदा भूमि परीक्षण द्वारा किसानों को 'मृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र' उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसानों को मृदा में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सके और किसान भू आवश्यकतानुरूप उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। उर्वरकों की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में नीम कोटेड यूरिया





की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है।

किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्र खरीदने एवं अन्य कृषि जरूरतों की पूर्ति हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु ब्लॉक-स्तर पर गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह फल व सब्जियों को संरक्षित करने हेतु शीतगृह एवं शीतशृखंला का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) और 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए खेती को 'उद्यम' के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थानीय-स्तर पर किसानों को कृषिगत रोजगार मुहैया कराने और फसल उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए देशभर में 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण-स्तर पर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन हेतु बैंकों से अनुदान व ऋण सहायता का प्रबंध किया गया है। कृषि उत्पाद आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक अनुदान व सहायता की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई संसाधनों का विकास

देश की भौगोलिक व प्राकृतिक विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में तो सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी का भी अकाल है। अच्छी पैदावार के लिए समय से पर्याप्त

मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फसल की प्रकृति के अनुरूप कम या अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसी कारण भौगोलिक संरचना एवं उपलब्ध सिंचाई संसाधनों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में फसल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 48 प्रतिशत भू-भाग ही सिंचित है। जल संसाधनों की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। देश की बढ़ती आबादी की खाद्य और पेय संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए निकट भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर जल की आवश्यकता पड़ने वाली है।


कृषि कार्य हेतु देश में मौजूद लगभग 80 प्रतिशत जल-संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद कृषि क्षेत्र में जल उपयोग की दक्षता बहुत कम है। जल उपलब्धता की कमी के बावजूद देश में सिंचाई के दौरान बड़े पैमाने पर जल नष्ट हो जाता है। सिंचाई परिवहन प्रणाली में खामियों के कारण फसल उत्पादन में 55 से 60 प्रतिशत जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष जल नष्ट हो जाता है। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सिंचाई संसाधनों के आधुनिकीकरण और विस्तार का प्रयास कर रही है। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आपसी सहयोग से कम लागत पर संपूर्ण सिंचाई शून्खला की शुरुआत की है। इससे सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। इसके अंतर्गत परंपरागत सिंचाई प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं।

जल परिवहन में दक्षता— सिंचाई के दौरान परिवहन में बड़े पैमाने पर जल बर्बाद हो जाता है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर जल परिवहन में जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है।

जल उपयोग में दक्षता— 'प्रति बूंद जल का अधिकतम उपयोग' सिंचाई का 30-40 प्रतिशत जल वाष्णीकृत होकर उड़ जाता है। आधुनिक पद्धति का उपयोग कर सिंचाई के संपूर्ण जल का उपयोग फसल पैदावार के लिए किया जा सकता है।

जल संरक्षण— वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा भविष्य में उसका पुर्ण-उपयोग करने के लिए जल संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा वाटरशेड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय-स्तर पर भी गढ़दे और तालाब खोदकर जल एकत्रण का प्रयास किया जा रहा है।

जल वितरण दक्षता— सिंचाई के दौरान जल का एक समान





क्र. सं.	राज्य का नाम	शीतगृह की संख्या	कुल क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	442	1782561
2	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
3	असम	36	157906
4	बिहार	306	1415595
5	छत्तीसगढ़	98	484087
6	दिल्ली	97	129857
7	गोवा	29	7705
8	गुजरात	764	2901807
9	हरियाणा	338	749830
10	हिमाचल प्रदेश	66	131017
11	जम्मू और कश्मीर	38	112516
12	झारखंड	58	236680
13	कर्नाटक	198	560178
14	केरल	198	80405
15	मध्य प्रदेश	300	1263665
16	महाराष्ट्र	604	978392
17	मणिपुर	2	5500
18	मेघालय	4	8200
19	मिजोरम	3	4001
20	नागालैंड	4	7350
21	ओडीशा	171	540141
22	पंजाब	660	2155704
23	राजस्थान	166	555278
24	सिक्किम	2	2100
25	तमिलनाडु	174	337625
26	त्रिपुरा	14	45477
27	उत्तर प्रदेश	2299	14176062
28	उत्तराखण्ड	46	160419
29	पश्चिम बंगाल	512	5947561
30	लक्ष्मीप	1	15
31	पुडुचेरी	3	85
32	चंडीगढ़	7	12462
33	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	810
	कुल	7645	34956991

वितरण किया जाना चाहिए। जल का जितना समान वितरण होगा, फसल की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी।

इस योजना में तीन मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित रूप से कृषि मंत्रालय का सहयोग कर रहे हैं। सूखा प्रभावित इलाकों में जल-संरक्षण और बांध आधारित बड़ी परियोजनाओं के सहयोग से स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जिला-स्तरीय परियोजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर 'प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन' पर जोर दिया जा रहा है। जल बचत और सटीक सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार किया जा रहा है। देश के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधाओं के लिए जल संरक्षण और अपव्यय को कम करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए नवीन जल स्रोतों का निर्माण करने के साथ-साथ पुराने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार द्वारा जल संचयन के प्रयास किए जा रहे हैं। जल के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली, पीवेट, रेनगन और अन्य उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक फव्वारा (स्प्रिंकल) और बूंद-बूंद सिंचाई (डिप इरीगेशन) तकनीकी द्वारा सिंचाई करने से 30 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त भू-भाग की सिंचाई की जा सकती है। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से देश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

शीत एवं भंडारणगृहों की स्थापना

देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन के पश्चात् कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 670 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। भारत सरकार के 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' के अध्ययन के अनुसार, उचित भंडारण की कमी के कारण देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है जिससे लाखों लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारण देश में भुखमरी और महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। भंडारण की समुचित व्यवस्था से खाद्यान्न संरक्षण द्वारा किसानों को फसल की समुचित कीमत मिलने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ मुहैया हो सकता है। कृषि मंत्री स्वयं स्वीकारते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर प्याज, टमाटर, आलू इत्यादि खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं।

खाद्यान्न को चूहे, कोकरोच, कीड़े, मकोड़े, नमी इत्यादि से बचाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए नियंत्रित तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। खाद्यान्नों का संरक्षण भंडारणगृह व गोदाम में और फल व सब्जियों का संरक्षण शीतगृह में किया जाता है। राज्य भंडारण निगम ब्लॉक स्तर पर और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जनपद स्तर पर भंडारणगृहों की स्थापना करते हैं। खाद्यान्नों के भंडारण हेतु बड़े पैमाने पर



निजी भंडारगृहों की स्थापना की जा रही है। सरकार निजी भंडारगृहों की स्थापना हेतु सहायता व अनुदान राशि देती है। देश में एफसीआई की कुल भंडारण क्षमता 773 लाख टन अनाज रखने की है। इसके बावजूद देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए अभी और भंडारगृहों की जरूरत है। फल और सब्जियों का भंडारण 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान एवं 85 से 95 सापेक्षिक आर्द्रता के नियंत्रित वातावरण में किया जाता है जिससे जीवाणु, कवक एवं सूक्ष्मजीवी का प्रजनन और सक्रियता बहुत कम हो जाती है। नियंत्रित अवस्था में फल व सब्जियों की भौतिक व रासायनिक संरचना में परिवर्तन तथा उपापचय प्रक्रिया मंद पड़ जाती है जिससे इनका जीवनकाल बढ़ने के साथ-साथ नष्ट व खराब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में फल व सब्जियों के उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। सरकार देश में बड़े पैमाने पर शीतगृह खोलने एवं शीत शृंखला स्थापित करने पर जोर दे रही है।

देश में शीतगृहों की संख्या एवं क्षमता

कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दावा किया है कि सरकार जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रही है। परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर शीतगृहों की स्थापना हुई है जिससे भारत विश्व में सबसे अधिक शीत-भंडारण क्षमता स्थापित करने वाला देश बन गया है। निजी क्षेत्र में शीत शृंखला निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता व सस्ते दर पर ऋण दे रही है। इसके लिए मेगा फूड पार्क के साथ शीत शृंखला प्रणाली का विकास किया जा रहा है। हंसा रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 75 फ़ीसदी शीतगृहों में आलू का संरक्षण किया

जाता है। देश में स्थापित 95 प्रतिशत शीतगृहों की स्थापना निजी क्षेत्रों द्वारा, 3 प्रतिशत कॉर्पोरेट क्षेत्र के द्वारा और केवल 2 प्रतिशत शीतगृहों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों द्वारा की गई है। वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 7645 शीतगृह हैं जिनकी कुल क्षमता 34.95 मिलियन मीट्रिक टन है।

कृषि बाजार तंत्र

किसानों के समक्ष खाद्यान्न उत्पादन से बड़ी चुनौती कृषि उत्पाद को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करना है। बाजार-तंत्र पर सेठ, साहूकार और बिचौलियों का कब्जा होने के कारण किसान कृषि उत्पाद औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होता है। वैसे भी जब फसल तैयार होती है, तो मांग की तुलना में आपूर्ति की अधिकता के कारण फसल उत्पाद की कीमत बहुत कम हो जाती है। जहां बिचौलिये मोटा मुनाफा कमाने के लिए कृषि उत्पाद को कुछ समय तक रोक लेते हैं या देश के अन्य भागों में बेचते हैं वहीं किसान सालभर हाड़-तोड़ मेहनत और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए फसल उत्पादन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसके बावजूद उसे फसल की समुचित कीमत नहीं प्राप्त होती है। यद्यपि सरकार किसानों को फसल के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीदारी करती है, लेकिन

इसके बावजूद कृषि उत्पाद के उपभोक्ता मूल्य और किसानों को प्राप्त कीमत में भारी अंतर होता है।

मंडी आधारित विपणन प्रणाली को राज्य सरकारों के कृषि व्यवसाय विनियम प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों का संचालन अलग-अलग कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा किया जाता है। एपीएमसी अधिनियम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की देन है। इसे व्यवसाय विनियम शुल्क एवं लाइसेंस के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारी को एक ही राज्य की विभिन्न मंडियों में व्यापार करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। मंडियों में खरीद-बिक्री को नियंत्रित करने के लिए विपणन बोर्ड होता है जोकि मंडियों में आधारभूत ढांचे का विकास कर किसानों और व्यापारियों की विपणन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एपीएमसी की जटिल प्रक्रिया तथा राजस्व संग्रह के लिए निर्मित कराधान प्रणाली के कारण किसानों को उपज का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। किसानों को लागत मूल्य निकाल पाना





भी भारी पड़ता है। मंडी शुल्क में भिन्नता के कारण, किसानों द्वारा बिना लाभ प्राप्त किए भी कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं एक ही राज्य के अंदर भी अलग-अलग बाजार होने के कारण एक बाजार से दूसरे बाजार तक कृषि उत्पादों का मुक्त आवागमन नहीं हो पाता है। कई स्तर पर मंडी शुल्क देने पड़ते हैं। जटिल विपणन प्रणाली के कारण किसान बिचौलियों को कृषि उत्पाद बेचने को मजबूर होता है। विपणन प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एग्रो ई-ट्रेडिंग प्लेटफार्म के रूप में 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (ई-नाम) की शुरुआत की है।

केंद्र सरकार कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करते हुए किसानों को राष्ट्रीय-स्तर पर फसल बेचने के लिए 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' ई-नाम प्रणाली एवं स्थानीय स्तर पर 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना कर रही है। ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि संबंधी उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडी का विस्तार है। यह पोर्टल समस्त एपीएमसी से संबंधित सूचनाओं व सेवाओं को एक स्थान पर प्रदान करता है। अखिल भारतीय ऑनलाइन व्यापार मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कृषि विपणन व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ता और किसान के मध्य ऑनलाइन

लघु और सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, को कृषि उत्पाद बेचने हेतु वित्तमंत्री ने बजट 2018-19 में मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को 'ग्रामीण कृषि बाजार' के रूप में विकसित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नाम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियम से छूट प्राप्त किए ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ता एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 22000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक 'कृषि बाजार अवसंरचना कोष' की स्थापना का प्रस्ताव है। ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। किसानों को खेत से ही कंपनियों को उपज बेचने की छूट दी जा रही है जिसके लिए कानूनी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।



सूचनाओं का संवाद स्थापित हो सकेगा जिससे राष्ट्रीय-स्तर पर मांग व आपूर्ति के आधार पर खाद्य पदार्थों की कीमतों का निर्धारण हो सकेगा। किसानों की पहुंच राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था तक हो सकेगी। किसानों को खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता के मुताबिक समुचित कीमत तथा उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बेहतरीन खाद्य उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे।

राष्ट्रीय कृषि बाजार एक आभासी (अमूर्त) बाजार है परंतु इसके पीछे भौतिक (मूर्त) बाजार एपीएमसी का अस्तित्व है। एपीएमसी से संबंधित समस्त जानकारियां और सूचनाएं ई-नाम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ई-नाम योजना के अंतर्गत ई-मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना की गई है। ई-नाम प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पाद बाजार समितियों के कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। ई-नाम के अंतर्गत एकल लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिससे किसान एकल व्यापार लाइसेंस द्वारा समूचे राज्य में कारोबार कर सकता है। इसके अंतर्गत एक जीस के थोक व्यापार के लिए एक ही स्थान पर बाजार शुल्क वसूलने की व्यवस्था की गई है। समस्त विपणन प्रणाली को पहले राज्य-स्तर पर फिर पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय-स्तर पर जोड़ा गया है।

ई-नाम के द्वारा देश की कृषि बाजार प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मंच से जोड़ा गया है। इससे कृषि जिसी का अखिल भारतीय व्यापार संभव हो सकेगा। इसमें बाजार शुल्क की वसूली एक स्थान पर किसान से पहली बार खरीद के समय की जाएगी। किसान अपने उत्पाद को ई-नाम बाजार में प्रदर्शित करेगा तथा व्यापारी देश के किसी भी स्थान से ऑनलाइन बोली लगा सकेगा। खुली बोली या प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ई-नाम पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं गुजराती, तेलुगु, मराठी और बंगाली में उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में भी ई-नाम मोबाइल ऐप लांच किया गया है। किसान मोबाइल ऐप की सहायता से ई-नाम में पंजीकरण और राज्य-स्तरीय एकल लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, और कृषि उत्पादों की खरीद व बिक्री कर सकता है। मोबाइल



किसानों की आय दोगुनी करने का बहुआयामी लक्ष्य



“प्रति बूंद अधिक फसल”

का लक्ष्य हासिल करने के लिए - पर्याप्त बजट के साथ
सिंचाई पर विशेष फोकस



प्रत्येक खेत की मिट्टी की सेहत के आधार पर
गुणवत्तापूर्ण बीजों और पोषक तत्वों का प्रावधान



फसल कटाई के बाद पैदावार का नुकसान रोकने के
लिए वेयर हाउसिंग और कॉल्ड चेन्स में
व्यापक निवेश



खाद्य प्रसंस्करण के जरिए
मूल्य संवर्धन को बढ़ावा



राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, विकृतियां दूर
करना और 585 स्थानों पर ई-प्लेटफार्म की स्थापना



किफायती लागत पर जोखिम कम करने हेतु एक
नई फसल बीमा योजना



पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन
जैसी सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन

किसानों को उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

लघु और सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, को कृषि उत्पाद बेचने हेतु वित्तमंत्री ने बजट 2018–19 में मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ‘ग्रामीण कृषि बाजार’ के रूप में विकसित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई—नाम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनिमय से छूट प्राप्त किए ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ता एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 22000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक ‘कृषि बाजार अवसंरचना कोष’ की स्थापना का प्रस्ताव है। ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। किसानों को खेत से ही कंपनियों को उपज बेचने की छूट दी जा रही है जिसके लिए कानूनी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन

किसान साल में 5–6 महीने तक तो कृषि कार्यों में व्यस्त रहता है जबकि शेष 6 से 7 महीने खाली रहता है। इस दौरान या तो वह महानगरों में जाकर मजदूरी करता है अथवा बेरोजगार रहता है। फलों और सब्जियों की प्रकृति शीघ्रता से विनष्टकारी होने के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए शीतगृह में रखा जाता है। देश में शीतगृहों का अभाव होने के कारण बड़े पैमाने पर फल व सब्जियां खराब हो जाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण विधि द्वारा जहां एक ओर फल व सब्जियों के भौतिक व रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन कर सामान्य तापक्रम पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर किसानों को स्थानीय–स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण की महत्ता को देखते हुए देश में पहली बार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट 2018–19 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना’ आरंभ की गई है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी 42 मेगा फूड पार्क में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। कृषि आय बढ़ाने के लिए डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, पोल्ट्री इत्यादि के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार मत्स्य एवं पशुपालन करने वालों तक कर दिया गया है। इसके लिए सरकार में प्रशिक्षण, सहायता और अनुदान देने की व्यवस्था की है। स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टमाटर, आलू और

एप्लीकेशन 5 भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और उड़िया में शुरू किया गया है। पेमेंट गेटवे को अब राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच से एकीकृत किया गया है। इसमें 90 उपजों को व्यापार मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। सरकार किसानों को ई—नाम के अंतर्गत व्यापारिक हिस्सेदारी सरल बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। ई—नाम द्वारा किसानों को स्थानीय मंडी के अतिरिक्त फसल बेचने के अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे जिससे



बेहतर आय के लिए मूल्य संवर्धन और सही आपूर्ति शृंखला

- कृषि क्षेत्र में आपूर्ति शृंखला ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का शुभारंभ
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सम्पदा योजना के तहत बजट आवंटन दोगुना किया गया
- आपरेशन बीनस: खराब होने वाली वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी.) के मूल्यों में उत्तर- चढ़ाव की चुनौती का समाधान करने में किसानों एवं उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए अभियान
- ग्रामीण कृषि मंडियाः मीजूना 22,000 ग्रामीण हाटों की ग्रामीण कृषि मंडियों के रूप में विकसित और उन्नत बनाया गया ताकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की देखरेख की जा सके। ई-नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुरी ये ग्रामीण कृषि मंडियाः किसानों की अपना माल सीधे उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों को बेचने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

खेती को नई मजबूती देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना

- 2015-18 की अवधि में कार्बनिक खेती के अंतर्गत 10,000 बलस्टरों के जरिए दो लाख हेवटेयर क्षेत्रों को कवर किया गया

नील क्रांति से किसानों के लिए नए आयाम खुले

- 3,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'मृत्यु उद्योग का एकीकृत विकास और प्रबंधन'
- मछली उत्पादन 2012-14 की अवधि के 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014-16 के दौरान 209.59 लाख टन पर पहुंचा

एकीकृत कार्यक्रम, “हरित क्रांति-कृषोद्धाति योजना”

- कृषि क्षेत्र में 11 कार्यक्रमों/मिशनों को एक एकीकृत कार्यक्रम “हरित क्रांति-कृषोद्धाति योजना” के अंतर्गत समाहित किया गया

प्याज जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों की कीमतों को निश्चितता से बचाने के लिए ‘ऑपरेशन फलड़’ की तर्ज पर ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजना शुरू किया गया है। ‘ऑपरेशन ग्रीन’ के द्वारा किसानों, उत्पादक संगठनों, कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं, व्यवसाय प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना की घोषणा की गई है।

देश में समावेशी विकास के लिए सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का विकास भी आवश्यक है। देश की लगभग दो तिहाई आबादी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में संलग्न है। कृषि क्षेत्र में बढ़ते जनांकिकी दबाव की चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि का औद्योगीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार परंपरागत कृषि प्रणाली का आधुनिकीकरण कर, कृषि की आधारभूत अवसंरचना विकास के निवेश पर जोर दे रही है। किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का परीक्षण कर मृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान किया जा रहा है जिससे किसान आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उपयोग कर सकें। इसी प्रकार उर्वरकों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। असिंचित भू-भाग में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और सिंचित भू-भाग में जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक कृषि संयंत्रों के निर्माण में सक्षिप्ती और कर राहत तथा किसानों द्वारा कृषि संयंत्रों को खरीदने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। खाद्यान्न और फल-सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए भंडारणगृहों एवं शीत गृहों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी संख्या पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली में सुधार के लिए ई-नाम पोर्टल एवं ‘ग्रामीण कृषि बाजार’ को स्थापित किया जा रहा है जोकि कृषि विपणन प्रणाली की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। रथानीय-स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसान घरेलू स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। स्वयंसहायता समूह बनाकर खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी द्वारा रथानीय-स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। सरकार कृषि के उत्थान और किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। जरूरत है कि सरकारी योजनाओं का धरातल पर ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जा सके।

संदर्भ : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट; खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की रिपोर्ट

<https://enam.gov.in/>; <http://nhb.gov.in/>
<https://www.mygov.in/>; <https://www.narendramodi.in/>;
<http://agriculture.gov.in/>; <http://agricoop.nic.in/>

(लेखक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस में अभिहित अधिकारी हैं।)

ई-मेल: dewashishupadhy@gmail.com



Our Students have Topped Civil Services Exam 2017!



**Anudeep Durishetty
AIR-1**



**Anu Kumari
AIR-2**



**Sachin Gupta
AIR-3**

**Every 2nd* selected candidate
of UPSC CSE '17 is from ETEN IAS KSG**

*Results from CL and KSG; currently under audit

Program features



Classes
Beamed Live
from Delhi



Recordings
of Sessions
for Revision



All-India
Test
Series



Comprehensive
Study
Material

Batches available for GS Foundation 2019 (Pre + Mains + Interview)

Hindi: Aug 6 (Weekday) 10:00 a.m

English: Aug 6 (Weekday) 07:30 a.m | Aug 13 (Weekday) 05:30 p.m

Weekend batch also available

Agra: 9760008389 Allahabad: 9455375599 Aluva: 8281711688 Amritsar: 8054373683 Bangalore: 9964322070 Bangalore: 9035651622
 Bilaspur: 9907969099 Chennai: 9962981646 Chandigarh: 9041029878 Dibrugarh: 7086708270 Dehradun: 6397350400
 Ghaziabad: 120-4380998 Hissar: 9355551212 Hyderabad: 8008006172 Hyderabad: 9908414441 Jamshedpur: 9102993829
 Kolkata: 9836990904 Karnal: 9416195879 Lucknow: 7311116911 Ludhiana: 9988299001 Meerut: 8433180973 Moradabad: 9927035451
 Mysore: 9945600866 Nagpur: 8806663499 Noida: 9919100333 Patna: 9430600818 Raipur: 8871034889 Ranchi: 651-2331645
 Shimoga: 9743927548 Sonepat: 9555795807 Srinagar: 9797702660 Udaipur: 9828086768 Varanasi: 9718493693 Vijaywada: 9912740699

www.etenias.com

**Career
Launcher**

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आवास क्षेत्र में क्रांति

—समीरा सौरभ

प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) के अंतर्गत बने मकानों में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं। स्वच्छ भारत अभियान के शौचालयों, उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनों और सौभाग्य योजना के साथ मेल इस योजना की विशेषता है। सरकार का सपना है भारत के गांवों में सभी कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनाना। पीएमएवाई—जी के तहत बढ़िया मकान तेजी से बनाने में सहायता की उस राशि का भी योगदान है, जो राज्य स्तर पर बने एकल राज्य नोडल खाते से आईटी—डीबीटी प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, जो देश में ग्रामीण गरीबों को मकान मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया समाज कल्याण का प्रमुख कार्यक्रम है। योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए मैदानी इलाकों में 70,000 रुपये (1,000 डॉलर) और दुर्गम इलाकों (ऊँचे इलाकों) में 75,000 रुपये (1,100 डॉलर) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन मकानों में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं। स्वच्छ भारत अभियान के शौचालयों, उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शनों और सौभाग्य योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ मेल इस योजना की विशेषता है।

मकान महिला के नाम पर अथवा महिला और पुरुष के संयुक्त नाम पर आवंटित किए जाते हैं। मकान का निर्माण केवल लाभार्थी की जिम्मेदारी है और उसके लिए ठेकेदार लगाना एकदम मना है। हरेक मकान में स्वच्छ शौचालय और धुआंरहित चूल्हे बनाना जरूरी है, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना गांवों में लोगों को अपने मकान स्वयं बनाने के लिए सक्षिप्ती और नकद सहायता उपलब्ध कराती है।

उद्देश्य: योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अपने रहने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले मकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार का सपना भारतीय गांवों में सभी कच्चे मकानों के बदले पक्के मकान बनाना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) आरंभ की। ग्रामीण आवास के पिछले कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को पुनर्गठित कर पीएमएवाई—जी बनाई गई। “2022 तक सभी के लिए आवास” पूरे करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च, 2019 तक 1 करोड़ और 2022 तक 2.95 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। इनमें से 51 लाख मकान 31 मार्च, 2018 तक पूरे होने थे, जिनमें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे रह गए 2 लाख मकानों का निर्माण भी शामिल है।

ग्रामीण आवास योजना का प्रदर्शन लगातार अच्छा हुआ

है और पिछले चार वर्ष में तकरीबन चार गुना बढ़ गया है। 20 नवंबर, 2016 को कार्यक्रम आरंभ होने के बाद लाभार्थी पंजीकरण, जियो—टैगिंग, खाते के सत्यापन आदि की प्रक्रिया में कुछ महीने लगने के बाद भी इतनी प्रगति हो गई है।

दिसंबर, 2018 तक एक करोड़ पीएमएवाई—ग्रामीण मकानों के निर्माण का लक्ष्य पूरा करने में 76 लाख से अधिक लाभार्थीयों के मकानों को मंजूरी मिल चुकी है और लगभग 63 लाख लाभार्थीयों को पहली किस्त मिल गई है। वित्तवर्ष 2017–18 में उत्तर-प्रदेश



घर हो अपना, सबका सपना - प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई)

- आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2022 में सभी के पास अपना घर हो
- पहले ब्याज दर पर 6.5 प्रतिशत की छूट के साथ 6 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते थे; अब 9 लाख रुपये और 12 लाख रुपये के आवास ऋण ब्याज दर क्रमशः 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की छूट के साथ दिए जाते हैं
- पिछले साले तीन वर्षों में, शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया

स्मार्ट सिटी - बेहतर सिटी

- बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन और क्षेत्र आधारित विकास, निरंतर शहरी नियोजन और विकास सुनिश्चित करने के लिए करीब 100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन
- इन शहरों में विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रुपये खर्च आएगा और इसका करीब 10 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा



राज्य में सबसे ज्यादा पीएमएवाई—जी मकान बनाए गए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। वास्तव में सबसे अधिक पीएमएवाई—जी लाभार्थियों वाले लगभग सभी राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखण्ड आदि भी निर्धारित समयसीमा के भीतर पीएमएवाई—जी मकान पूरे करने की राह पर हैं। अभी तक 38.22 लाख पीएमएवाई—जी मकान पूरे हो चुके हैं। असम और बिहार में भी मकानों के निर्माण की रफतार तेज होने के कारण जून, 2018 तक 60 लाख और दिसंबर, 2018 तक एक करोड़ पीएमएवाई—जी मकान पूरे होने की उम्मीद है।

बड़े और बेहतर मकानों का निर्माण लाभार्थियों के पारदर्शी चयन, लाभार्थियों के क्षमता निर्माण, लाभार्थियों को समय पर धन उपलब्ध कराए जाने, क्रियान्वयन के बारे में मिली प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवस्थित निगरानी एवं सुधार के कारण ही संभव हो पाया है।

पीएमएवाई—जी के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त मकानों को जल्द पूरा करने में उस वित्तीय सहायता का योगदान है, जो राज्य स्तर पर मौजूद एकल राज्य नोडल खाते से आईटी—डीबीटी प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। आईटी—डीबीटी प्लेटफॉर्म से कार्यक्रम का पारदर्शिता भरा, झंझट—रहित और गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। पीएमएवाई—जी के तहत लाभार्थियों को भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के ये प्रभाव हुए हैं:

- आवास निर्माण के समय और खर्च में कमी
- पारदर्शिता के कारण लाभ के कहीं और अवैध प्रयोग यानी रिसाव पर रोक
- लाभार्थियों को मिलने वाले वित्त पर नजर रखने में आसानी
- मकानों का बेहतर गुणवत्ता वाला निर्माण

राज्य सरकारों द्वारा 2016–17 में इलेक्ट्रॉनिक चैकों (रकम अंतरण के ऑर्डर) के जरिए कुल 1,92,58,246 लेन-देन हुए हैं और उनसे सीधे लाभार्थियों के खातों में (5 अप्रैल, 2018 तक) 65,237.50 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई है।

मंत्रालय के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत 2013–14 से 2017–18 के बीच निर्मित मकानों का ब्यौरा (संख्या लाख में)

	2013–14 (आईएवाई)	2014–15 (आईएवाई)	2015–16 (आईएवाई)	2016–17 (आईएवाई + पीएमएवाई —जी)	2017–18 (आईएवाई + पीएमएवाई —जी)*
पूरे हुए मकान	10.51	11.91	18.22	32.23	44.54*

*राज्यों ने भौतिक रूप से पूर्ण हुए मकानों का ब्यौरा दिया है और प्रगति आवास सोफ्ट पोर्टल पर अपलोड की जा रही है क्योंकि अपलोडिंग के लिए आखिरी किरण जारी होनी चाहिए तथा जियो—टैग तस्वीरें भी होनी चाहिए। 40.25 लाख मकान पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं।

लाभार्थियों की पहचान से लेकर मकान निर्माण के हरेक चरण और निर्माण पूरा होने तक पूरे चक्र पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईटी मंचों का प्रयोग किया जा रहा है और प्रत्येक चरण की जियो—टैगिंग भी की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक प्रदर्शन सूचकांक तैयार किया है, जिसमें पीएमएवाई—जी के तहत प्रगति के विभिन्न पैमाने शामिल हैं। सूचकांक विभिन्न राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में विभिन्न पैमानों पर पीएमएवाई—जी की प्रगति पर नजर ही नहीं रखता है बल्कि उनके बीच स्वस्थ स्पर्धा भी कराता है। यह सुधार के क्षेत्र ढूँढ़ने में और राज्यों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने में भी मदद करता है। प्रदर्शन सूचकांक पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उनके नीचे के निकायों की रैंकिंग वास्तविक समय में की जाती है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा उनके नीचे के निकायों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग रोजाना बदलती भी रहती है। हाल ही में जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग आरंभ की गई है, जो जिले के प्रदर्शन को राष्ट्रीय परिदृश्य में रखती है।

मकानों का गुणवत्तायुक्त निर्माण सुनिश्चित करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण आयोजित कराए जा रहे हैं। कुल 25,000 प्रशिक्षुओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 12,500 को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा चुका है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण 11 राज्यों में आरंभ किया गया है और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे हैं, जहां प्रमाणित ग्रामीण राजमिस्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है। मार्च, 2019 तक एक लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिससे ग्रामीण भारत में पीएमएवाई—जी मकानों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि देश में कुशल कार्यबल भी बढ़ेगा। साथ ही इससे प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों को आजीविका के बेहतर मौके पाने में भी मदद मिलेगी।

राज्यों ने उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए हैं ताकि निर्माण की गति और गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।

पीएमएवाई—जी के तहत शौचालय, रसोईगैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पेयजल जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित पक्के मकानों से गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कुछ राज्यों में पीएमएवाई—जी मकान समूह/कॉलोनियों में बनाए जा रहे हैं, जो आमतौर पर भूमिहीन लाभार्थियों के लिए हैं और विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं को मिलाकर इनमें कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं।

गरीबों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। यूएनडीपी—आईआईटी, दिल्ली अथवा संबंधित राज्यों द्वारा तैयार मकानों



के डिजाइन लाभार्थियों को दिए गए हैं, जिनमें से उन्हें अपनी पसंद का मकान चुनना होता है। 15 राज्यों के लिए अभी तक स्थानीय स्थितियों के अनुरूप और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल कर बनाए जाने वाले मकानों के 168 प्रकार के डिजाइन तैयार किए गए हैं। मकानों के ये डिजाइन किफायती और आपदारोधी हैं और उन्हें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने जांचा है। भवन डिजाइन के इतने बड़े समूह के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न डिजाइनों के तकनीकी रूप से उत्तम मकान बने हैं, जो देखने में बहुत सुंदर हैं। इन मकानों से गांवों की तस्वीर ही नहीं बदल रही है बल्कि पूरे देश के गांवों में सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है। गरीबों को सुरक्षित घर मिल रहे हैं और वे गरिमा के साथ जी सकते हैं।

क्रियान्वयन: राज्यों को धन के आवंटन में 75 प्रतिशत ग्रामीण मकानों की कमी को दिया जाता है और 25 प्रतिशत भारांश गरीबी अनुपात का होता है। मकानों की कमी भारत के महापंजीयक द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार तय की गई है। इस योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता के लिए "आवास सॉफ्ट" नाम का सॉफ्टवेयर आरंभ किया गया।

ग्रामीण आवास सरकार के लिए बड़ी योजना रही है। इस साल अभी तक मंजूर हुए मकानों में से 31 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष 50 प्रतिशत पूरे हो गए थे। 1 अप्रैल, 2016 के बाद से लगभग तीन वर्ष में 27 लाख मकान पूरे हो चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस वित्त वर्ष के अंत तक 1 करोड़ मकान का लक्ष्य पूरा होने का विश्वास है। अधिकारियों का कहना है कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लक्ष्य पूरा हो और लाभार्थियों की पहचान में कोई गलती नहीं हो। जियो-टैगड तस्वीरों के जरिए निर्माण की प्रगति पर वास्तविक समय में यानी तुरंत नजर रखी जा रही है। डीबीटी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से धन सीधे

बजट आवंटन, 2017–18: 23,000 करोड़ रुपये

पीएमएवाई-जी

(वित्तवर्ष 2018–19 के लिए आवंटन: 21,000 करोड़ रुपये)		
कुल मंजूर राशि से निर्मित मकान (प्रतिशत)	31.2	49.9
दिए गए वित्तवर्ष में बने मकान (2016–17 से 2018–19 के बीच 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य)	7,58,672	19,42,825
महिलाओं के लिए मंजूर मकान (प्रतिशत)	27.1	32.2
संयुक्त नाम में मकान (प्रतिशत)	34.1	33.3

2018–19 के लिए आवंटन: 21,000 करोड़ रुपये (अतिरिक्त बजट सहायता अलग से)

लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। दूसरी खेप में मंजूर किए गए 45 लाख मकान पूरे होने को हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अलावा रूबन मिशन ने भी गांवों में शहरी—ग्रामीण क्लस्टर बनाने में योगदान किया है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से अलग—थलग बस्तियों के रूप में नहीं हैं बल्कि आसपास बसी बस्तियों के झुंड के हिस्से हैं। इन झुंडों में वृद्धि की संभावना नजर आती है, ये आर्थिक वाहक रहे हैं और इन्हें स्थान तथा प्रतिस्थापा के फायदे मिलते हैं। इसलिए ऐसे झुंडों या क्लस्टरों के लिए अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए। इन क्लस्टर को विकसित होने के बाद 'रूबन' नाम दिया जा सकता है। इसी बात पर ध्यान देते हुए भारत सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान कर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र विकसित करना है।

आर्थिक दृष्टिकोण से इन क्लस्टरों के लाभ देखकर और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अधिक से अधिक फायदे उठाने के लिए मिशन ने 300 रूबन क्लस्टर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इन क्लस्टरों में आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी, जिनके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर संसाधन जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन क्लस्टरों के केंद्रित विकास के लिए इसके बाद क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) के जरिए धन प्रदान किया जाएगा। इस मिशन के तहत ये बड़े परिणाम मिलने की आशा है: 1. शहरों और गांवों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित खाई पाटना; 2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी घटाने पर जोर देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना; 3. क्षेत्र में विकास का प्रसार करना; 4. ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना।

निष्कर्ष दुनिया भर का खासतौर विकासशील देशों का ध्यान ग्रामीण विकास पर है। भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत महत्व है, जहां लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में ग्रामीण विकास की वर्तमान रणनीति पारिश्रमिक एवं स्वरोजगार के नए कार्यक्रमों के जरिए मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, आजीविका के बेहतर अवसरों, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम ने निश्चित रूप से गरीबी—रेखा के नीचे के कई परिवारों को पक्के मकान खरीदने योग्य बनाया है। ग्रामीण आवास योजना से संपत्तियों (प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, तकनीकी एवं सामाजिक पूँजी) तथा सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता की आजीविका में निष्पक्ष तरीके से एवं लगातार सामाजिक एवं पर्यावरणीय सुधार होगा।

(लेखिका भारत सरकार के गृह मंत्रालय में निदेशक रह चुकी हैं।)

ई—मेल : sameera.saurabh@gmail.com

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और रोजगार सृजन

—एन.आर. भानुमूर्ति
—एच.के. अमर नाथ

अपनी शुरुआत से 5 मार्च, 2018 तक योजना ने अर्थव्यवस्था में 94.53 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों) सृजित किए होंगे। इनमें से 83.35 लाख को आवास निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। कुल मिलाकर इससे लगता है कि यदि नए तरीके से तैयार की गई ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का तरीका भी सुधार दिया जाए तो दो बड़े वृहद् आर्थिक पैमानों रोजगार और उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जिस समय निजी निवेश की गतिविधियां बहुत धीमी हैं, उस समय इसने अर्थव्यवस्था को स्वतः ही स्थिर करने का काम किया होगा।

गरीबों को सिर छिपाने को छत उपलब्ध कराना भारत के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है और ग्रामीण इलाकों में तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। पिछली सरकारों ने बीते वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न आवास योजनाएं प्रारंभ की हैं। वर्तमान सरकार ने '2022 तक सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में मौजूदा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का पुनर्गठन किया और इसे प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) का नाम दिया। इसका उद्देश्य इंदिरा आवास योजना पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निष्पादन ऑफिट की रिपोर्ट (सीएजी 2014) में बताई गई कमियों को दूर करना तथा 'कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत खर्च न की जा सकी राशियों तथा पूंजी के प्रवाह' पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था (भानुमूर्ति और अन्य, 2015)। गांवों के गरीबों के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय से 2022 तक ऐसे पक्के मकान उपलब्ध कराना है जिनमें नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल तथा बिजली और रसोईगैस कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। जो लोग कच्चे या टूटे—फूटे घरों में रह रहे हैं या जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं है, उन्हें भी इसके दायरे में रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम पर समुचित और कारगर अमल करने तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराने के बारे में "पहल" नाम से सामान्य दिशानिर्देश और मकानों के डिजाइन जारी किए हैं। इसके


पहले चरण में 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक—आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के जरिए किया जाना है। लाभार्थियों को मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी, दुर्गम और समन्वित कार्य योजना वाले इलाकों में 1.30 लाख रुपये प्रति इकाई की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत धन का अंतरण राज्य स्तर पर बनाए गए एकल नोडल खाते से डिजिटल तरीके से सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। इकाई सहायता के अलावा उन्हें 70 हजार रुपये तक का संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने का विकल्प दिया जाता है। लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90 से 95 दिन तक का रोजगार प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के



निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी दिए जाते हैं। इन फायदों के अलावा लाभर्थियों को कई मददगार सेवाओं का फायदा दिया जाता है जैसे राजमिस्त्री के काम का प्रशिक्षण, मकानों के निर्माण में गुणवत्ता के लिए प्रमाणपत्र, निर्माण सामग्री की उचित स्रोत से प्राप्ति, बुजुर्ग और दिव्यांग लाभर्थियों को मकान बनाने में मदद, मकान के निर्माण में इलाके की स्थिति और मकान के डिजाइन आदि की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से हो, गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके और मकानों का निर्माण समय पर हो, इसके लिए निर्माण की भौतिक प्रगति की निगरानी 'आवाससॉफ्ट' की मदद से भारत सरकार और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के स्तर पर की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना—ग्रामीण के अंतर्गत 2018–19 में एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए कुल 1,30,075 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। निर्माण का खर्च भारत सरकार और राज्य सरकारें सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में 60:40 के अनुपात में और विशेष श्रेणी के राज्यों तथा समन्वित कार्ययोजना (आईएपी) जिलों के मामले में 90:10 के अनुपात में साझा करेंगी। केंद्रशासित प्रदेशों का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रशासन सुधार कार्यक्रमों जैसे डिजिटल भुगतान प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आवाससॉफ्ट से ई—मॉनीटरिंग, राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, मकानों

चित्र 1: प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के तहत मकान की लागत का ब्यौरा



के डिजाइन उपलब्ध कराने, राज्य और केंद्र—स्तर पर तकनीकी सहयोग एजेंसियों के गठन आदि से यह उम्मीद की जा रही है कि मकानों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण स्तर पर अतिरिक्त आमदनी और रोजगार के अवसरों का सृजन होने की भी संभावना है।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) ने कुशल और अकुशल दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के प्रभाव को समझने तथा अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर इसके असर का पता लगाने के लिए हाल में एक अध्ययन कराया है (भानुमूर्ति, तथा अन्य 2018)। यहां रोजगार पर इसके असर के संदर्भ में इसकी रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है।

रोजगार पर असर

आवास पर किए जाने वाले खर्च से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही तरह के रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, इसमें 2016–17 से (जिस साल से पुनर्गठित योजना लागू की गई) रोजगार पर इसके असर को समझने का एक प्रयास किया गया है। प्रत्यक्ष प्रभाव के मामले में अध्ययन में राज्य—स्तर पर उपलब्ध कराए गए 'पहल' प्रारूपों का प्रयोग किया गया और अप्रत्यक्ष प्रभावों के लिए अध्ययन में इनपुट—आउटपुट सूचियों का उपयोग किया गया।

'पहल' से प्रत्यक्ष रोजगार

'पहल' के तहत 100 से ज्यादा डिजाइन उपलब्ध कराए गए हैं और इन डिजाइनों के आधार पर प्रत्येक घटक के लिए लागत का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये अनुमान डिजाइन

भारत के गांवों को मजबूत बनाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन



कृषि और कौशल श्रम
बल पर आधारित
विषय संबंधी कलस्टर और
आर्थिक अवसर

29 राज्यों और एक
संघशासित प्रदेश
हेतु 153 एकीकृत कलस्टर
कार्ययोजना



300 रुबन ओडीएफ
और ग्रोथ कलस्टर





के अनुसार बदल सकते हैं हालांकि यह बदलाव मामूली होता है। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि 'पहल' में उपलब्ध कराए गए ज्यादातर डिजाईनों की लागत योजना में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि से अधिक है। इसी तरह, इन डिजाईनों का क्षेत्रफल भी योजना में निर्धारित 25 वर्गमीटर से अधिक है। (पहल, 2017ए, 2017बी)। चित्र-1 में दिए गए लागत संयोजन से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकानों की लागत में श्रम समेत विभिन्न आधानों के हिस्से का पता चलता है। कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों और डिजाईनों में इस्तेमाल की गई सामग्री और श्रमशक्ति में ज्यादा अंतर नहीं पाया गया।

ज्यादातर डिजाईन आधान संबंधी ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराते, यहां आगे विश्लेषण के लिए हमने वह डिजाईन लिया है जिसमें सामग्री और श्रम संबंधी लागत का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। मैदानी इलाकों के लिए हमने बिहार के डिजाईन चुने हैं और पहाड़ी इलाकों के लिए असम से एक डिजाईन का चयन किया गया है।

आकलन के बारे में अवधारणा

चूंकि हम रोजगार पर निर्माण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों को समझना चाहते हैं, इसलिए निर्माण के समूचे नतीजों को आधान, खासतौर पर सामग्री और श्रम के रूप में अलग—अलग करने की आवश्यकता है। लेकिन 'पहल' विखंडित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता। सामग्री और श्रम की लागत के आकलन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएं की गई हैं:

- इस्पात के लिए गणना मकान के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री, जैसे रीइनफोर्समेंट के लिए काम में लाए गए इस्पात, चिकन मैश, लोहे के सरियों को बांधन के लिए तार, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर (कील, लैशेज और रसिसयों), दरवाजों और खिड़कियों के लिए इस्पात के ढांचे को ध्यान में रखकर की जाती है। इन सामग्रियों की कीमतें 'पहल' से ली गई हैं।
- यह मान लिया गया है कि मकान में सफेदी कराने की कुल लागत में सामग्री और श्रम का अनुपात 60:40 के बीच है।

तालिका 2: पीएमएवाई—जी पर हुए खर्च के कारण रोजगार में परिवर्तन

उद्योग	2016–17	2017–18	तैयार घरों में	निर्माणाधीन घरों में	कुल योग
अतिरिक्त रोजगार सृजन (लाख नौकरियों में)					(प्रतिशत में)
आवासीय निर्माण	45.65	17.16	62.81	20.54	83.35
निर्माण से संबंधित विनिर्माण	1.09	0.41	1.50	0.49	1.99
कुल	51.77 (0.97)	19.46 (0.36)	71.24 (1.33)	23.30 (0.43)	94.53 (1.77)

स्रोत: भारत के लिए आईओ तालिका 2009–10 के बेंचमार्क अनुमानों का प्रयोग करते हुए गणना की गई। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बेंचमार्क अनुमानों की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन को बताते हैं।

इस तरह से आकलित श्रम की लागत को कुशल श्रमिकों की लागत में जोड़ दिया जाता है। ड्राइ डिस्टेंपर के दाम 26 रुपये प्रति किग्रा है।

- स्टैंड टाइप का चयन मकान बनाने में इसके उच्चतर प्रतिशत उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी दर 'पहल' से ली गई है।
- मजदूरी की दर संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचनाओं से ली गई है (बिहार के लिए 2016 और असम के लिए 2017 की अधिसूचना)।
- ईंट, सीमेंट, एग्रिगेट, इस्पात और रेत की दरें बाजार दर पर आधारित हैं तथा सीजीआई शीट और बांस के दाम 'पहल' से लिए गए हैं।

प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार पर पीएमएवाई—जी का प्रभाव

2016–17 और 2017–18 में पीएमएवाई—जी पर हुए खर्च के प्रभाव को जांचने के लिए गुणक विश्लेषण के जरिए बेंचमार्क अनुमानों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीएमएवाई—जी में हुए कुल खर्च से अर्थव्यवस्था में 94.53 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित हो सकती हैं। इनमें से 83.35 लाख लोगों को आवास निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है (तालिका 3.3)। इसका अर्थ है कुल रोजगार में 1.77 प्रतिशत की वृद्धि। इसी प्रकार कुल जीवीए में 0.55 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है (तालिका—2)।

पीएमएवाई—जी के कुल अनुमानित खर्च से अर्थव्यवस्था में 94.53 लाख नौकरियों का सृजन हुआ होगा अर्थात रोजगार में 1.77 प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। इनमें से 83.35 लाख सीधे आवास निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं और 1.99 लाख लोगों को निर्माण से संबंधित विनिर्माण क्षेत्र से रोजगार मिले हैं।

विभिन्न स्थितियों पर आधारित अनुमान

पहले दिए गए अनुमान खर्च की कुल मात्रा पर आधारित थे, जिनमें लाभार्थियों के काल्पनिक योगदान भी शामिल थे। लेकिन लाभार्थी का योगदान मात्रा तथा लाभार्थी की वहन करने की क्षमता के अनुसार अलग—अलग होता है। हो सकता है कि सभी लाभार्थी अतिरिक्त योगदान करने की स्थिति में नहीं हों। इसीलिए तीन स्थितियों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार पर पीएमएवाई के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया गया है। पहली स्थिति में लाभार्थी कोई भी अतिरिक्त योगदान नहीं करता (केस ए), दूसरी में 35,000 रुपये तक (केस बी) और तीसरी में 70,000 रुपये तक (केस सी) योगदान करता है। यह हमारे पहले के अनुमानों पर आधारित है, जिसमें हमें पता लगा था कि 'पहल' के अनुसार लाभार्थी 69,000 से 75,000 रुपये तक का योगदान करते हैं।

तीनों स्थितियों में प्रत्यक्ष रोजगार

प्रत्यक्ष रोजगार का कुल सृजन अलग—अलग है। केस ए में योगदान के बगैर 34.86 करोड़ मानव दिवस

2022 तक सभी के पास अपना घर सुनिश्चित करना



से लेकर केस बी में लाभार्थियों से 35,000 रुपये के अतिरिक्त योगदान के साथ 43 करोड़ मानव दिवस तक रोजगार सृजन होता है। यदि केस सी के तहत लाभार्थी 70,000 रुपये का अतिरिक्त योगदान करता है तो 51.13 करोड़ मानव दिवसों का अनुमानित रोजगार सृजन होता है। कुल अकुशल श्रमबल केस ए में 20.36 करोड़ मानव दिवस होता है तो केस बी में 25.10 करोड़ और केस सी में 29.84 करोड़ मानव दिवस होता है। इसी प्रकार इन तीनों मामलों में क्रमशः 14.50 करोड़, 17.90 करोड़ और 21.30 करोड़ कुशल श्रमबल का सृजन होता है। (रिपोर्ट में हमने तीनों अलग—अलग परिस्थितियों में परोक्ष रोजगार का अनुमान भी लगाया है।)

निष्कर्ष

इस लेख में भारत में रोजगार पर ग्रामीण आवास योजना के प्रभाव के उन परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिनकी गणना भानुमूर्ति एवं अन्य (2018) ने की है। यह लेख एक विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित है और वह रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन वाले हिस्से में उपलब्ध है। सामान्य तौर पर निर्माण का विशेष रूप से ग्रामीण आवास का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत जोड़ होने की अपेक्षा है, इसलिए रोजगार पर असर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष तरीकों से हो सकता है। यहां अप्रैल, 2016 से 5 मार्च, 2018 की अवधि के लिए गणना की गई है। प्रत्यक्ष रोजगार की गणना ग्रामीण आवास की नमूना डिजाइनों के आधार पर सृजित मानव दिवसों में की गई है। परोक्ष रोजगार के मामले में रिपोर्ट इनपुट—आउटपुट तालिका का प्रयोग करती है क्योंकि उसमें रोजगार, मूल्यवर्द्धन तथा आउटपुट या उत्पादन अथवा परिणाम के लिए गुणक होते हैं।

2016–17 से तैयार हुए तथा निर्माणाधीन मकानों के बारे में

*यह लेख ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिकेशन सेवन में उपलब्ध वृहद् रिपोर्ट पर आधारित है।

मिली जानकारी के आधार पर संभवतः योजना से लगभग 52.47 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए होंगे। दोनों वर्षों में इनमें से लगभग 20.85 करोड़ मानव दिवस कुशल श्रमिकों के और शेष 31.62 करोड़ मानव दिवस अकुशल श्रमबल के हैं। तैयार मकानों के जरिए सृजित प्रत्यक्ष रोजगार 40.07 करोड़ मानव दिवस (24.03 करोड़ मानव दिवस अकुशल एवं 16.04 करोड़ मानव दिवस कुशल श्रमबल के) रहे और निर्माणाधीन मकानों से 12.42 करोड़ मानव दिवस (7.60 करोड़ मानव दिवस अकुशल और 4.82 करोड़ मानव दिवस कुशल श्रमबल के) सृजित हुए। यदि सभी लाभार्थियों ने मनरेगा की सहायता ली है और क्षेत्र के आधार पर अकुशल श्रम के 90 या 95 दिनों का उपयोग किया है तो मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत सृजित मानवदिवसों की अनुमानित संख्या तैयार मकानों के लिए 21.46 करोड़ मानव दिवस और निर्माणाधीन मकानों के लिए 7.16 करोड़ मानव दिवस हो सकती है, जो कुल मिलाकर 28.62 करोड़ मानव दिवस बैठती है।

इनपुट—आउटपुट तालिकाओं का प्रयोग कर हमें पता चलता है कि अपनी शुरुआत से 5 मार्च, 2018 तक योजना ने अर्थव्यवस्था में 94.53 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों) सृजित किए होंगे। इनमें से 83.35 लाख को आवास निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। कुल मिलाकर इससे लगता है कि यदि नए तरीके से तैयार की गई ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का तरीका भी सुधार दिया जाए तो दो बड़े वृहद् आर्थिक पैमानों रोजगार और उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जिस समय निजी निवेश की गतिविधियां बहुत धीमी हैं, उस समय इसने अर्थव्यवस्था को स्वतः ही स्थिर करने का काम किया होगा।

चुनिंदा संदर्भ

एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, भवेश हजारिका, कृष्ण शर्मा, तन्वी ब्राह्मे और कणिका गुप्ता (2018): “आय एवं रोजगार पर प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई—जी) का प्रभाव”, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट

एन.आर. भानुमूर्ति, एच.के. अमरनाथ, ए.वर्मा एवं ए.गुप्ता (2015): कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत बिना व्यय हुई बची राशियां एवं वित्तप्रवाह की प्रणाली; भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई अप्रकाशित रिपोर्ट

सीएजी (2014), 2014 की रिपोर्ट संख्या 37—केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना के प्रदर्शन का ऑडिट; ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय (2016); क्रियान्वयन का प्रारूप: प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पहल (2017ए); पहल: ग्रामीण मकानों की श्रेणियों का विवरण (खंड-1), नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पहल (2017बी); पहल: ग्रामीण मकानों की श्रेणियों का विवरण (खंड-2), नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(एन.आर. भानुमूर्ति नई दिल्ली रिथ्रत राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान में प्रोफेसर और एच.के. अमरनाथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

ईमेल: nrbmurthy@gmail.com

‘सौभाग्य’ - हर घर बिजली का लक्ष्य

–डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी

हर गांव को बिजली पहुंचाने के बाद सरकार का अगला लक्ष्य देश के हर घर, चाहे वह शहर में हो या गांव में, को बिजली पहुंचाना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार ने 25 सितंबर, 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के दिन सौभाग्य (प्रधानमंत्री बिजली सहज हर घर योजना) योजना की शुरुआत की। योजना के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक हर घर को बिजली पहुंचाकर उसे रोशन किया जाएगा। इस योजना पर कुल 16 हजार 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिलहाल सरकार ने इसके लिए 12 हजार 320 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, 28 अप्रैल, 2017 को हर गांव बिजली से जुड़ा घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि किसी गांव को बिजली से जुड़ा घोषित करने के लिए वहाँ के लगभग 10 प्रतिशत घर, स्कूल, पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी और सामुदायिक भवनों तक बिजली की सप्लाई पहुंचना जरूरी है।

देश के कुल 577,464 गांवों में अब बिजली पहुंचा दी गई है। इस क्रम का अंतिम गांव है मणिपुर राज्य के सेनापति जिले का लेइसांग गांव जिसे 28 अप्रैल, 2017 को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ दिया गया। इस गांव में कुल 19 परिवारों के 65 लोग रहते हैं जिनमें से 31 पुरुष और 34 महिलाएं हैं। इसका श्रेय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीवाई) को जाता है। एनडीए सरकार की 75,883 करोड़ रुपये की यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, तब देश के कुल 18,452 गांव बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से यह घोषणा की थी कि अगले 1000 दिन में देश के हरेक गांव को बिजली से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन, 1236 गांव ऐसे भी हैं जहाँ कोई रहता नहीं है और 35 गांवों को ‘चारागाह रिजर्व’ के रूप में घोषित किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को लागू करने का जिम्मा सरकार की ओर से संचालित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को मिला था। बिजलीकरण में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत आईईसी ने रिकॉर्ड समय के अंदर अपने लक्ष्य को हासिल किया।

हर गांव को बिजली पहुंचाने के बाद सरकार का अगला लक्ष्य देश के हर घर, चाहे वह शहर में हो या गांव में, को बिजली पहुंचाना है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए सरकार ने 25 सितंबर, 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के दिन सौभाग्य (प्रधानमंत्री बिजली सहज हर घर योजना) योजना की शुरुआत की। योजना के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक हर घर को बिजली पहुंचाकर उसे रोशन किया जाएगा। इस योजना पर कुल 16 हजार 320 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिलहाल सरकार ने इसके लिए 12 हजार 320 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया है।

सौभाग्य- इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 60 प्रतिशत

बेहतर जीवन स्तर: गरीबों के सपनों को लगे पंख

करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को मिला बल

- देश के किसी भी गांव में अब अंधेरा नहीं है। डी.टी.यू.जी.जे.वाई ने प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की।
- ‘सौभाग्य’ योजना के जरिये हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। योजना के तहत 4 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य





अनुदान मिलेगा। जबकि राज्यों को 10 प्रतिशत लगाना होगा और शेष 30 प्रतिशत राशि को बतौर ऋण बैंकों से लेना होगा। विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार 85 प्रतिशत अनुदान देगी; बाकी का 5 प्रतिशत राज्य को लगाना होगा और बैंकों से सिर्फ 10 प्रतिशत ऋण लेना पड़ेगा। सौभाग्य योजना केंद्र और राज्यों के सहयोग से क्रियान्वित होगी। इस योजना में 20 राज्यों पर जोर दिया गया है उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और राजस्थान शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत चार करोड़ निर्धन परिवारों, जिनके पास अभी बिजली नहीं है, को बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। बिजली कनेक्शन के लिए वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। जो लोग इस जनगणना में शामिल नहीं हैं यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन्हें 500 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा और इसे 10 किश्तों में वसूला जाएगा। 'सौभाग्य' योजना का लाभ गांव के लोगों के साथ—साथ शहरी लोगों को भी मिलेगा। उन्हें घर पर ही बिजली कनेक्शन मुहैया किया जाएगा। दरअसल, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्ट्रॉक्म्स) द्वारा गांवों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके जरिए लोग ॲन-द-स्पॉट बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा लोग ॲनलाइन और मोबाइल एप के जरिए भी बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत हर घर को निकटतम बिजली के खंभे (इलेक्ट्रिक पोल) से बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। खर्च हुई बिजली रीडिंग के लिए एक पॉवर मीटर तथा एकल लाइट पाइंट के लिए वायरिंग की जाएगी। साथ में एक एलईडी बल्ब दिया जाएगा तथा मोबाइल फोन चार्ज करने की व्यवस्था भी होगी। दूरस्थ स्थित गांवों, जहां परंपरागत ग्रिड द्वारा बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, को बैटरी बैंक के साथ 200–300 वॉट शीर्ष के सोलर पैक उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में 5 एलईडी लाईट, एक डी.सी. फैन तथा एक डी.सी. पॉवर प्लग भी मुहैया किया जाएगा। पांच वर्ष तक रखरखाव और मरम्मत की व्यवस्था भी होगी।

हालांकि देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को 31 मार्च, 2019 रखा गया है। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कितना संभव होगा, यह तो समय ही बताएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के मार्ग में बहुत-सी अड़चनें हैं। केवल तारों को पहुंचा देने से ही विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। आधारभूत संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि हर घर तक बिजली पहुंचे। इसके लिए लाइन डेफिशिट को कम करना तथा पॉवर कट के रिस्क को कम करना भी जरूरी है। जहां तक पॉवर मीटरों की बात है, ये प्रीपेड मीटर होंगे। इन मीटरों की मदद से समय पर बिजली का भुगतान हो सकेगा, साथ ही इन मीटरों की रीडिंग और बिलिंग जैसे कार्यों के लिए मानवशक्ति यानी मैनपॉवर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा जिस दर से घरों को बिजली पहुंचाई जा रही है, उसे देखते हुए लगता है कि हर

घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 31 मार्च, 2019 से काफी आगे निकलेगा। नीचे सारणी में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनमें निर्धारित लक्ष्यों में से कुछ लक्ष्यों को हासिल कर लिया है; ये आंकड़े 22 मई, 2018 तक के हैं।

राज्य का नाम	लक्षित घरों की संख्या	कितने घरों में लक्ष्य हासिल हुआ
उत्तर प्रदेश	1,57,16,347	16,00,003
बिहार	40,75,330	8,60,855
ओडिशा	35,33,344	2,00,932
झारखण्ड	32,21,861	2,53,493
असम	26,27,074	2,44,798
मध्य प्रदेश	23,05,138	14,03,004

इन राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश की लगती है। बाकी राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। गौरतलब है कि 'सौभाग्य' योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। हालांकि पहले इनकी कमी हो रही थी, लेकिन अब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को चयनित राज्यों को मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बेशक लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक पूरा होता है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखने वाली 'सौभाग्य' योजना निस्संदेह एक अच्छी योजना है और सरकार द्वारा लिया गया एक सकारात्मक कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए।

कैसे पूरा होगा सौभाग्य योजना का लक्ष्य

आज हमारे देश में बिजली की कमी नहीं है। यह अलग बात है कि कई कारणों से अनेक गांवों तक अब तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी थी। हमारे देश में बिजली का उत्पादन मुख्य रूप से कोयले पर ही निर्भर रहा है हालांकि इसमें गैस, नामिकीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त बिजली का भी योगदान है। गौरतलब है कि सन् 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावॉट रखा गया है। इसमें से सौर ऊर्जा का योगदान 100 गीगावॉट, पवन ऊर्जा का 60 गीगावॉट, बायोमास 10 गीगावॉट तथा लघु पनबिजली का योगदान 15 गीगावॉट है। जनवरी 2018 में 175 गीगावॉट के लक्ष्य को बढ़ाकर 227 गीगावॉट कर दिया गया है। सौर ऊर्जा युक्तियों पर छूट यानी सब्सिडी दिए जाने के कारण देश में सौर ऊर्जा पर आने वाली लागत कम होती जा रही है। वैसे भी भारत ग्रीन-हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः देश में ग्रीन यानी हरित ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सन् 2030 तक भारत विद्युत वाहनों को लाने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए 14 गीगावॉट विद्युतशक्ति के कोयले पर निर्भर ताप बिजलीघरों के निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है।



बिजली के मामले में चोरी के अलावा संमरण एवं वितरण स्थिति (डिस्ट्रिब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लॉस) की समस्या भी जुड़ी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया में अधिक संमरण लागत (ट्रांसमिशन कॉस्ट) भी आती है। लेकिन दूरस्थ गांवों तक परंपरागत यानी नेशनल ग्रिड द्वारा बिजली पहुंचाना संभव नहीं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जाओं, जैसेकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैवभार (बायोमास) ऊर्जा तथा बायोगैस ऊर्जा से ही काम लिया जाता है। हाल के वर्षों में मिनी सोलर ग्रिड, हाइब्रिड सोलर-विंड तथा हाइब्रिड सोलर-बायोगैस की संकल्पनाएं भी उभर कर आई हैं। इससे विद्युतीकरण की प्रक्रिया आसान हुई है। आइए, इनके योगदान पर अब विशद् रूप से चर्चा करते हैं।

सौर ऊर्जा, हाइब्रिड सोलर-विंड तथा मिनी सौर ग्रिड

हमारे देश में सौर ऊर्जा प्रचुरता से उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टीय प्रणाली द्वारा बदला जा सकता है। इस प्रणाली में सौर पैनल होते हैं जो कई फोटोवोल्टीय सेलों (जिन्हें सामान्य भाषा में सौर सेल कहते हैं) से मिलकर बनते हैं। कई सौर पैनलों से मिलकर एक सौर एरे (सोलर एरे) बनता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कंसन्ट्रेटेड सोलर पॉवर (सीएससी) में लैंसों या दर्पणों एवं ट्रेकिंग प्रणालियों द्वारा भी बदला जा सकता है। इस प्रकार सूर्य के प्रकाश को एक संकीर्ण किरण पुंज के रूप में लाया जा सकता है।

गौरतलब है कि देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूं तो अनेक प्रयास हुए लेकिन एक मुख्य प्रयास 11 जनवरी, 2010 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियान के साथ प्रारंभ हुआ। इस अभियान का लक्ष्य सन् 2022 तक 20,000 मेगावॉट ग्रिड सौर पॉवर तथा 2,000 मेगावॉट ऑफ ग्रिड सौर पॉवर का उत्पादन था। राष्ट्रीय सौर अभियान का लक्ष्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक और अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना था। सरकार ने राष्ट्रीय सौर अभियान के लक्ष्य को संशोधित कर वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावॉट की बजाए 1,00,000 मेगावॉट यानी 100 टेरावॉट का लक्ष्य तय किया।

सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता (इंस्टॉल्ड कैपेसिटी) जनवरी 2018 में 20 टेरावॉट हो गई थी यानी राष्ट्रीय सौर अभियान के पूर्व लक्ष्य (20 टेरावॉट) को चार वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया गया है। यह इस ओर संकेत करता है कि किस तेजी से देश में सौर ऊर्जा का विकास हो रहा है। देश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 31 मई, 2018 तक 21651.48 मेगावॉट थी। सौर पैनलों द्वारा उत्पन्न बिजली सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों, जहां परंपरागत ग्रिड द्वारा बिजली पहुंचाना संभव नहीं है, में पहुंचाई जा सकती है। सौर पैनलों से उत्पन्न विद्युत से पंपों को चलाया जा सकता है। इन्हें सौरपंप की संज्ञा दी जाती है। खेतों की सिंचाई के अलावा इन सौर पंपों का उपयोग मत्स्य पालन, वानिकी, पेयजल की आपूर्ति तथा नमक बनाने में भी किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा के अलावा विद्युतीकरण में पवन ऊर्जा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 31 मई, 2018 तक 34,046 मेगावॉट थी। पवन ऊर्जा से प्राप्त विद्युत को नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ा जाता है। देश की कुल विद्युत क्षमता का लगभग 10 प्रतिशत हमें पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। मई 2018 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नई विंडसोलर नीति की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत विंड फार्मों तथा सौर पैनलों को एक ही भूस्थल पर स्थापित किया जाएगा। सौर ऊर्जा एवं यहां ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत से हाइब्रिड सौर-पवन प्रणाली का विकास सबके लिए विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महती भूमिका निभाएगा।

भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई स्थानों जैसे मुख्यधारा से कटे दूरस्थ ग्राम तक विद्युत ग्रिड को पहुंचाना संभव नहीं। ऐसे अगम्य एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए मिनी ग्रिड की संकल्पना सामने आई है। 50 वॉट और 100 वॉट विद्युत क्षमता के इन ग्रिडों से सौर ऊर्जा या बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग द्वारा बिजली पैदा की जा सकती है। देश के कुछ राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश के गांवों के लिए मिनी सौरग्रिड से बिजली मुहैया की जा रही है। इसके लिए बाकायदा मांग आकलन तथा डाटा संग्रह किया जाता है। मांग आकलन परिवार सिंचाई लोड और वाणिज्यिक/उत्पादक लोड आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार देश के समग्र विद्युतीकरण में मिनी ग्रिड की भी अपनी भूमिका है।


अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समग्र विद्युतीकरण में योगदान

सौर एवं पवन ऊर्जा के अलावा जैव भार यानी बायोमास ऊर्जा तथा लघु पनबिजली (मिनी हाइड्रो) ऊर्जा का भी देश के समग्र विद्युतीकरण में योगदान है। फसलों के अपशिष्ट, सूखी पत्रियों, डंठलों, गन्ने की खोई, चावल और गेहूं की भूसी आदि बायोमास को गैसीफायर्स द्वारा गैसीकरण (गैसीफिकेशन) की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा में बदला जाता है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। देश में बायोमास से उत्पन्न विद्युत यानी बायोमास पॉवर की स्थापित क्षमता 31 मई, 2018 तक 8839.10 मेगावॉट थी।

लघु पनबिजली यानी स्यॉल हाइड्रो पावर को भी नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल किया जाता है हालांकि वृहद् पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल नहीं है। हमारे देश में लघु पनबिजली की स्थापित क्षमता 31 मई, 2018 तक 4485.81 मेगावॉट थी।

बायोमास के अलावा मुख्यतया गोबर से चलने वाले बायोगैस संयंत्रों से वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बायोगैस संयंत्रों से धुआंरहित ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है जो ग्रामीण महिलाओं की खासकर आंखें और फैफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

बायोगैस को विद्युत ऊर्जा में भी बरता जा सकता है जिसके



लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध है। सैद्धांतिक रूप से, बायोगैस को ईंधन (फ्यूल) सेल की मदद से सीधे ही बिजली में बदला जा सकता है। लेकिन, इसमें एकदम से स्वच्छ गैस एवं महंगे ईंधन सेल की जरूरत पड़ती है। फिलहाल यह प्रौद्योगिकी व्यावहारिक नहीं है और इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है।

बायोगैस को बिजली में बदलने की व्यावहारिक प्रौद्योगिकी में इसे दहन (कम्बसचन) इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन द्वारा उत्पन्न इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग एक विद्युत जेनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार बायोगैस को विद्युत ऊर्जा में परिदर्शित किया जाता है।

आजकल हाइब्रिड सोलर—बायोमास तथा हाइब्रिड सोलर—बायोगैस प्रणालियों पर अनेक अनुसंधान चल रहे हैं। वैज्ञानिकों को आशा है कि निकट भविष्य में इन प्रणालियों की मदद से अधिक परिणाम एवं और अधिक दक्षता से बिजली प्राप्त की जा सकेगी। निस्संदेह सबके लिए बिजली से जुड़ी सौभाग्य योजना के लिए यह एक सुखद बात है।

वर्तमान परिदृश्य

आइए, देश के विद्युतीकरण परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। जैसाकि हम जानते हैं, हमारे देश में विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से कोयला—आधारित है। कोयले के अलावा वृहद् पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, गैस, डीजल तथा नाभिकीय ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसेकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा लघु पनबिजली का समग्र विद्युत उत्पादन में योगदान क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 9.9 प्रतिशत, 2.6 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत है। कुल मिलाकर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समग्र विद्युतीकरण में योगदान 20.1 प्रतिशत है। वृहद् पनबिजली का योगदान 13.2 प्रतिशत है। कोयले का योगदान सबसे अधिक 57.23 प्रतिशत जबकि गैस, डीजल एवं नाभिकीय ऊर्जा योगदान क्रमशः 7.2 प्रतिशत, 0.24 प्रतिशत तथा 1.97 प्रतिशत हैं। 31 मई,

2018 तक हमारे देश में उत्पन्न कुल बिजली 343,899 मेगावॉट थी (स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)।

उपरोक्त विवरण एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2019 तक 'हर घर तक बिजली' पहुंचाने का सरकार का सौभाग्य योजना का लक्ष्य फिलहाल अति महत्वाकांक्षी लगता है। देश के हर घर के विद्युतीकरण में अतिरिक्त समय भी लग सकता है। लेकिन मोटे तौर पर स्थिति आशाजनक है। आशा है, सबके लिए बिजली योजना पूर्ण होने पर वैश्विक रूप से देश की अलग ही छवि उभर कर आएगी।

इस संपूर्ण विवरण के बाद पाठकों के मस्तिष्क में एक बात जरूर उठ रही होगी कि सरकार विद्युतीकरण की स्थिति की मॉनीटरिंग कैसे कर रही है तथा आम जनता को इसकी जानकारी कैसे उपलब्ध होगी। इसके लिए अक्टूबर 2015 में सरकार द्वारा एक मोबाइल एप तथा एक वेब—डाटाबोर्ड, जिसका नाम गर्व (GARV) है, की स्थापना की गई है। साथ ही साथ सरकार द्वारा 309 ग्राम विद्युत अभियंताओं को विद्युतीकरण प्रक्रिया की मॉनीटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है जो अद्यतन डाटा को 'गर्व' एप पर अपलोड करेंगे।

हालांकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का सरकार ने दावा किया है, लेकिन कई डाटा में विसंगतियां पाई जा रही हैं। लेकिन इतने वृहद् स्तर के इस कार्य में ऐसा होना एकदम स्वाभाविक है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सौभाग्य योजना देश के नागरिकों के लिए विद्युतीकृत होने के सौभाग्य को लेकर आएगी। भारत जैसे विकासशील देशों के आगे का रास्ता ऐसी ही योजनाओं द्वारा प्रशस्त होता है। अतः सरकार के ऐसी विकासशील कार्यों की सराहना अवश्य होनी चाहिए।

स्रोत

1. रीन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया—विकीपिडिया
2. सौर ऊर्जा—रवच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की ओर कदम, डॉ. सुबोध महंती, आविष्कार, पृष्ठ 5–13, मार्च 2017
3. सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, आभास मुखर्जी, आविष्कार, पृष्ठ 24–34 मार्च 2017
4. भारत में नवीकरणीय स्रोतों में उन्नति मध्यम से चरघातांकी वृद्धि तक, पंकज सक्सेना और राहुल रावत, अक्षय ऊर्जा, पृष्ठ 19–17, अगस्त—अक्टूबर 2017
5. भारत में पवन शक्ति का विकास—एक अवलोकन, जे.के. जेठानी, अक्षय ऊर्जा, पृष्ठ 20–25, अगस्त—अक्टूबर, 2017
6. उत्तर प्रदेश के गांवों में मिनी ग्रिडों के लिए मांग आकलन, औंकारनाथ, अक्षय ऊर्जा, पृष्ठ 23–26, फरवरी—अप्रैल 2018
7. इंडियन इंपूविंग एनर्जी ट्रांजिशन, मैथ्यूज राजू, योजना (अंग्रेजी), जुलाई 2018

(लेखक वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं।)

ई—मेल : pkm_du@rediffmail.com

भारतमाला परियोजना : 'न्यू इंडिया' की दिशा में बढ़ते कदम

किसी राष्ट्र का विकास उसके परिवहन तौर-तरीकों पर निर्भर करता है। यही बात भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले राष्ट्र के विकास पर भी लागू होती है। विभिन्न इलाकों को जोड़ने और उनके बीच यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए नई और विकसित सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है। यह लक्ष्य भारतमाला परियोजना पर अमल से हासिल किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में अनेक नई सड़कों का जाल बिछाने की योजना है।

भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र की एक वृहद् परियोजना है जिसके अंतर्गत देशभर में माल ढुलाई और यात्री परिवहन की कार्यकुशलता को अनुकूलतम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे संबंधी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए आर्थिक गलियारों के विकास, गलियारों के बीच सड़कों और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार, सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, तटवर्ती इलाकों तथा बंदरगाहों से जोड़ने वाली सड़कों और नई सड़कों के निर्माण जैसे कदम उठाए जाते हैं। देश में सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए अखिल भारतीय योजना को



लागू करने की योजना प्रधानमंत्री की सोच का परिणाम है। इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रबंधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

भारतमाला परियोजना की खास बातें :

- मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और भीड़भाड़ वाले स्थानों को समाप्त करके मौजूदा सड़क गलियारों की दक्षता में सुधार।
- पूर्वोत्तर के साथ सड़क संपर्क में सुधार और अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का फायदा उठाने पर भी जोर।
- परियोजना निर्माण और परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक नियोजन पर भी अधिक जोर।
- परियोजनाओं को सौंपने में तेजी लाने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण – पहला चरण 2022 तक पूरा होगा।
- पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क में सुधार।

मुख्य विशेषताएं

सड़कों की गुणवत्ता में सुधार: इस योजना की शुरुआत भली-भांति रखरखाव वाली और पूरी तरह विकसित सड़कों के जरिए देश में विकास की नई लहर पैदा करने के लिए की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत देश के सभी भागों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

कुल सड़क निर्माण : योजना के प्रारूप के अनुसार, सरकार और मंत्रालय सड़कों का निर्माण पूरा करने का प्रयास करेंगे जिससे इनकी कुल लंबाई में 34,800 कि.मी. की बढ़ोत्तरी होगी।

समन्वित योजना : भारतमाला वह नाम है जो सड़कों के विकास के कार्य को दिया गया है और इसमें कई अन्य संबंधित योजनाएं भी शामिल हैं। इनके पूरा हो जाने से योजना की समग्र

विकास के पथ पर अग्रसर



भारतमाला परियोजना फेज-1
राजमार्गों के विस्तार पर मल्टी-मोडल समन्वय के साथ 5,35,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

सुरक्षित सड़कों के लिए सेतु भारतम् परियोजना
2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे ओवर ब्रिज/अंडरपास बनाकर रेलवे लेवल क्रासिंग से मुक्त किया जाएगा।
कुल खर्च 20,800 करोड़ रुपये



सफलता की गारंटी दी जा सकेगी।

कार्यक्रम की कुल अवधि: केंद्र ने पांच साल के भीतर इस योजना को पूरा करने का कार्यक्रम बनाया है। इस तरह 2022 तक पहले चरण को पूरा करने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।


चरणों में विभाजन : योजना के विशाल आकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे सात अलग—अलग चरणों में बांटा जाएगा। इस समय पहले चरण का निर्माण कार्य चल रहा है।

दैनिक आधार पर निर्माण कार्य: पहले चरण को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों ने रोजाना कम से कम 18 किलोमीटर सड़कें बनाने का प्रयास किया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दैनिक निर्माण के लक्ष्य को 30 किलोमीटर प्रतिदिन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न प्रकार की सड़कों का निर्माण : योजना के आधिकारिक मसौदे में इस बात पर जोर दिया गया है कि बेहतर सड़क संपर्क के लिए विभिन्न प्रकार की सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।

विविध स्रोतों से वित्तपोषण : ऐसी विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए एक स्रोत पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए खर्च जुटाने के अतिरिक्त स्रोतों पर निर्भर रहना होगा।

बजट आवंटन : भारतमाला के पहले चरण में 24,800 कि.मी. सड़कों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना के पहले चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत 10,000 कि.मी. सड़कों के बकाया कार्य को निपटाना भी शामिल है जिसके पूरा हो जाने पर सड़कों की लंबाई बढ़कर 34,800 कि.मी. हो जाएगी। इस परियोजना पर अनुमानतः 5,35,000 करोड़ रुपये लागत आएगी। भारतमाला



प्रथम चरण को 2017–18 से 2021–22 तक की पांच वर्ष की अवधि में लागू किया जाना है।

भारतमाला परियोजना की श्रेणियां

आर्थिक गलियारा : सड़क निर्माण परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार 9000 कि.मी. लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण करेगी।

कॉर्णेडोर में प्रवेश के लिए फीडर मार्ग : फीडर रुट या अंतर-गलियारा श्रेणी में आने वाली सड़कों की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है।

राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार : इस योजना के तहत निर्भित 5000 कि.मी. लंबी सड़कों को दूसरी सड़कों के साथ बेहतर संपर्क के लिए राष्ट्रीय गलियारे की श्रेणी में रखा गया है।

सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क : सरहदी इलाकों के शहरों और दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने की इस परियोजना में 2000 कि.मी. लंबी ऐसी सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया है जो सीमा सड़क या अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आती हैं।

बंदरगाहों से संपर्क और तटवर्ती सड़कें : समुद्र तटवर्ती इलाकों में फैले स्थानों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 कि.मी. लंबी सड़कों के निर्माण का आदेश दिया है।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे : यातायात और माल परिवहन के बेहतर प्रबंधन के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण और विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा।

एनएचडीपी का बकाया कार्य : परियोजना के आखिरी खंड में 10,000 कि.मी. लंबी नई सड़क परियोजनाओं का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा। (स्रोत : india.gov.in)





प्रधानमंत्री का कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद



प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई, 2018 को जयपुर में भारत सरकार एवं राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के चुने हुए लाभार्थियों के अनुभवों की एक श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति का अवलोकन किया। इस प्रस्तुति को राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा संचालित किया गया। इन योजनाओं में कई अन्य योजनाओं सहित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि शामिल थीं।

- सिर्फ एक रुपए महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के ग्रीमियम पर राजस्थान के भी 70 लाख लोगों को सुक्ष्मा बीमा कबच मिला है।
- साथियों, मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के 44 लाख से अधिक उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए, बिना गारंटी कर्ज दिया गया है।
- इसके अलावा सिर्फ साल भर में राजस्थान के लगभग 3 लाख लोगों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है।
- राजस्थान में साढ़े 33 लाख से अधिक गरीब माताओं-बहनों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्जवला योजना ने महिलाओं के जीवन को बदलने का काम किया है।



- आपके सहयोग का ही ये परिणाम है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- इस दौरान देश में जो लगभग 32 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुले हैं, उनमें से ढाई करोड़ से अधिक जनधन खाते राजस्थान में खुले हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और पहले की योजनाओं को पूरा करके राजस्थान के 6 लाख से अधिक गरीबों को घर देने का काम भी किया गया है।

प्रधानमंत्री ने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने वर्तमान खरीफ मौसम के लिए घोषित, विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और सौभाग्य योजना सहित राजस्थान में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया।

अगले वर्ष राजस्थान अपने 70 वर्ष पूरे कर लेगा, इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक विकसित राजस्थान के सृजन की प्रतिबद्धता फिर से दौहराने की अपील की, जो नए भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने राजस्थान के लिए 13 शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया। □



अंडमान और निकोबार ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली अपनाई

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 जून, 2018 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) का उद्घाटन किया। भाषाओं, प्रक्रियाओं, सूत्रों और प्रारूपों के कारण राज्य में प्रचलित विविधता और विभिन्नताओं का उचित समाधान निकालने के लिए भू-संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के जरिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) विकसित की है, जिसमें सभी राज्यों की जरूरतों को शामिल किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि इसे पूरे देश में अपना लिए जाने पर इस सामान्य व्यापक सॉफ्टवेयर से आम जन और कार्यान्वयन

थाना नियामक एजेंसियां 'कहीं भी' आंकड़े और जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल तरीके से पंजीकरण कराने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोग बगैर किसी परेशानी के लाभान्वित होंगे।

दूरदराज के इलाकों में कार्यरत कार्यालयों को बढ़ावा देने और इस प्रणाली का लाभ उठाने वाले लोगों के साथ चर्चा करने के लिए श्री तोमर ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव, उपायुक्त और उप-रजिस्ट्रार तथा उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में उपरिथित लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी 5 उप-रजिस्ट्रार कार्यालय कंप्यूटरीकृत हैं और सभी कार्यालयों में एनजीडीआरएस अपनाई गई है।

इसी प्रकार पंजाब में सभी 173 उप-रजिस्ट्रार कार्यालय भी कंप्यूटरीकृत हैं और उनमें एनजीडीआरएस अपनाई गई है। एनजीडीआरएस का राज्यवार उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा 27 जून, 2018 को एनआईसी की तकनीकी सहायता और सहयोग से किया गया। इसमें एनआईसी, पुणे में सॉफ्टवेयर विकसित करने के एकांश और ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू-संसाधन विभाग की तकनीकी इकाई शामिल हैं।

एनजीडीआरएस प्रणाली शुरू में 3 राज्यों (पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र) में प्रारंभ की गई। 6 और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश



केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खनन मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर नई दिल्ली में 28 जून, 2018 को अंडमान और निकोबार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम कृपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित।

(गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम) इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखण्ड) ने इस सामान्य सॉफ्टवेयर को अपनाने में रुचि दिखाई है (एनआईसी ने उन्हें मार्गदर्शन और तकनीकी प्रदर्शन दिया है)। विभाग वर्तमान में 14 राज्यों में एनजीडीआरएस के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि उपलब्ध कोष का अधिकतम, किफायती, उत्पादक और समयबद्ध तरीके से उपयोग हो सके।

डिजिटल भारत भू-रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

भारत सरकार ने नवीनतम और सही भू-रिकॉर्ड तथा जानकारी तक आसान पहुंच को प्राथमिकता देने के लिए एक अप्रैल, 2016 से शत-प्रतिशत केंद्र-पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना डीआईएलआरएमपी बनाई है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)

उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश के कुल 5083 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में से 4509 कंप्यूटरीकृत किए जा चुके हैं और 2769 कार्यालयों को तहसीलों से जोड़ा गया है। □

ग्रामीण भारत में शिक्षा

—डॉ. ओउम प्रकाश शर्मा

—राम शरण दास

वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच मानें तो लगभग सभी ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हो गए हैं, बिजली पहुंच गई है। विद्यालयों तक पक्की सड़कें पहुंच गई हैं लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों, विद्यालय की उपयुक्त पक्की इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने जरूरी हैं।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 649481 गांव हैं। देश की आबादी का 67 प्रतिशत अभी भी गांवों में रहता है अर्थात् भारत माता अभी भी ग्रामवासिनी है। हम जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है और उचित शिक्षा की व्यवस्था किए बिना कोई राष्ट्र विश्व का अग्रणी राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए यह देखना समीचीन होगा कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में शिक्षा व्यवस्था किस अवस्था में है। जनवरी से जून 2014 के बीच 4577 गांवों में 36479 परिवारों से संपर्क कर किए गए 71वें क्रम के राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के पुरुषों में साक्षरता दर 83 प्रतिशत और महिलाओं में 67 प्रतिशत पाई गई जबकि यहां स्नातक अथवा उच्चतर स्तर के पुरुष 4.5 प्रतिशत तथा महिलाएं 2.9 प्रतिशत पाई गई। यहां सवाल यह उठता है कि क्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों का यह न्यून प्रतिशत वहां शिक्षा के मूलभूत ढांचे में कमी का दोतक है?

8वें अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसईएस) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.75 लाख प्राथमिक, 3.04 लाख उच्चतर प्राथमिक, 82.8 हजार माध्यमिक, 36.9 हजार उच्चतर माध्यमिक तथा 1.18 हजार डिग्री कॉलेज कार्यरत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सकती है। अलबत्ता उच्च शिक्षा के लिए बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्र में अखिल भारतीय शिक्षा के मूलभूत ढांचे की बात करें तो एआईएसईएस के सातवें सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि 2008–09 में 4.31 प्रतिशत कक्षारहित विद्यालय थे, 8.43 प्रतिशत एकल कक्षा विद्यालय थे तथा 57.07 प्रतिशत विद्यालय ऐसे थे जिनमें चार से कम कक्षाएं थीं। इन सभी विद्यालयों में 13 प्रतिशत विद्यालय पेयजल सुविधारहित थे तथा 16.5 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, 51 प्रतिशत विद्यालयों में ही बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था थी और 70 प्रतिशत विद्यालय ऐसे थे जो विद्युत सुविधा रहित थे। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जो एकल विद्यालय हैं, यानी जिनमें सभी विषयों को पढ़ाने वाला एक ही अध्यापक होता है। इनमें से 13.9 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय हैं, 1.3 प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1.3 प्रतिशत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, 12 प्रतिशत केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तथा 0.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक हैं। शिक्षकों की औसत उपलब्धता 2.2 शिक्षक प्रति विद्यालय है।

ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति

यहां यह स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे उपर्युक्त ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच मानें तो लगभग सभी



“यदि गरीब व्यक्ति शिक्षा तक नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा उस तक अवश्य पहुंचनी चाहिए।”
—स्वामी विवेकानन्द



ग्रामीण विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शैक्षालय उपलब्ध हो गए हैं, बिजली पहुंच गई है। विद्यालयों तक पकड़ी सड़कें पहुंच गई हैं लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों, विद्यालय की उपयुक्त पकड़ी इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण—अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए उपर्युक्त सभी मुद्दों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आंकड़ों से परे ग्रामीण शिक्षा की वास्तविकताओं का संसार कुछ अलग दिखाई दे सकता है। निकट से देखने पर जो वास्तविकताएं नजर आती हैं उनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- अभी भी कुछ गांवों से बच्चों को प्राथमिक स्कूलों के लिए 1–2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 1–2 किलोमीटर दूर का यह रास्ता भी अनेक मामलों में काफी दुर्गम हो सकता है जैसे पहाड़ी चढ़ाई—उत्तराई का या नदी में से गुजर कर दूसरी ओर जाने का। यातायात के साधन भी या तो हो नहीं सकते या होते नहीं, या अनुपयुक्त होते हैं।
- अभी भी बहुत से गांवों में स्कूल पेड़ों के नीचे या ग्राम चौपालों में बना दिए जाते हैं। जहां विद्यालय भवन हैं भी, उनमें गांव की शैली में ही बने कुछ छोटे—छोटे अर्पणात्मक संख्या में कमरे हो सकते हैं। मौसम खराब होने पर स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। खेलों के नाम पर ले—देकर दौड़, कूद, खो—खो कुश्ती और कबड्डी जैसे देसी विकल्प ही हैं।
- गांव में मुख्य व्यवसाय क्योंकि कृषि होता है और कृषि अत्यंत कठोर श्रम की मांग करने वाला व्यवसाय है, अतः प्रायः बुवाई, कटाई के समय अभिभावक बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा देते हैं।
- गांव का जीवन क्योंकि शहरी तड़क—भड़क से दूर, जमीन से जुड़ा, सीधा, सरल, अनेक सुविधाओं से रहित, सिनेमा जैसे मनोरंजनों से वंचित जीवन होता है। अच्छे अध्यापक गांवों में कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते, जो जाते हैं वे बस आजीविका के लिए अनमने मन से काम करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय कम होती है वे प्राइवेट स्कूलों में तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और सरकारी स्कूलों का निम्न गुणवत्ता स्तर उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। वे कम उम्र में ही बच्चों को अपने साथ मजदूरी में लगाना बेहतर समझते हैं।
- गांव के लोग आमतौर पर स्थानीय भाषा बोलते हैं और उसी में उनकी महारत होती है। आमतौर पर स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें या तो उपलब्ध नहीं होती और होती भी हैं तो बहुत स्तरीय नहीं होती। अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है। पुस्तकें खरीदने की उनकी क्षमता भी नहीं होती।
- कुछ गांवों में शिक्षक हैं पर स्कूल में विद्यार्थी नहीं आते और

कुछ स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम। इससे शिक्षार्थी—शिक्षक अनुपात असंतुलित रहता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था नहीं हो पाती।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता

आजादी के बाद सरकारी और गैर—सरकारी प्रयत्नों के कारण लोगों को शिक्षा का महत्व समझ आने लगा है और ग्रामीण विद्यालयों में भी विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी है तथा स्कूल छोड़कर घर बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होने लगी है, किंतु फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। एक गैर—सरकारी संगठन 'प्रथम' की पहल एसएसईआर के 2017 के एक सर्वेक्षण में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। देश के 24 राज्यों के 28 जिलों के 14 से 18 आयु वर्ग के 30,000 विद्यार्थियों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि इन विद्यार्थियों में से 57 प्रतिशत भाग के एक सरल प्रश्न को भी हल नहीं कर पाए, जबकि 14 प्रतिशत बच्चे भारत का नक्शा भी नहीं पहचान पाए। इसी तरह 46 प्रतिशत बच्चे अपने राज्य का नक्शा नहीं पहचान पाए। यहां तक कि 21 प्रतिशत तक तो अपने राज्य का नाम तक नहीं बता पाए। 25 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो अपनी भाषा में लिखी पाठ्य पुस्तक तक को प्रवाह के साथ नहीं पढ़ पाए। यदि अंग्रेजी की बात करें तो 47 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के वाक्य ठीक से नहीं पढ़ पाए, जो पढ़ पाए उनमें से भी 79 प्रतिशत इसका अनुवाद अपनी भाषा में नहीं कर पाए। 36 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो अपने देश की राजधानी का नाम तक नहीं बता पाए और 40 प्रतिशत बच्चे धंटों और मिनटों से समय नहीं बता पाए। इस सर्वेक्षण की चौंकाने वाली बात यह भी थी कि 73 प्रतिशत बच्चों के पास मोबाइल फोन थे और 28 प्रतिशत बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने इंटरनेट एक्सेस किया था। किंतु 64 प्रतिशत ने तो इंटरनेट देखा तक नहीं था।

ये सब तथ्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दुर्बल अवस्था के सूचक हैं। अर्थात् ढांचागत व्यवस्थाओं का विकास ही पर्याप्त नहीं है एक संपोषणीय, सुविधिग्राही प्रबंधन और मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है।

गुणवत्तापूर्ण ग्राम्य शिक्षा के सहायक उपक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने और भी कई तरह से ढांचागत व्यवस्था करने के लिए कई नायाब कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा यहां की गई है।

योग्य ग्रामीण बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय तंत्र नाम से एक अनन्य प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इन पूर्णतः आवासीय सहशिक्षा विद्यालयों की प्रस्तावना की थी, जो छठी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। 1986 में प्रायोगिक



स्तर पर मात्र दो स्कूलों से शुरू किए गए प्रयोग के अंतर्गत आज 598 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 34 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 1.93 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर और कुछ हद तक व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए देश में शिक्षा संस्थानों में जाकर पढ़ पाने में असमर्थ बच्चों के लिए कोरेस्पॉडेंस कोर्स, मुक्त विद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों जैसी पहल शुरू हुई तो इनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार में भी हुआ। इस दिशा में 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (आईजीएनओयू) और 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की स्थापना ने अग्रणी भूमिका अदा की, जो आज भी देशभर में फैले अपने अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ऐसे वंचित और जरुरतमंद बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।

इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदमों के साथ कदम मिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय प्रावधान किए गए हैं और इनमें निरंतर सुधार एवं विकास किया जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकीय प्रावधानों की चर्चा नीचे दी गई है।

सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरिमेंट (एसआईटीई) 1975 में विद्यालयी शिक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का एक अनुपम कार्यक्रम था। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए समर्पित दूरदर्शन द्वारा संचालित किसान चैनल भी ग्रामीणों को शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। डिस्कवरी चैनल आदि अनेक ऐसे चैनल हैं जिनका उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग विभिन्न विषयों में दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा विशेषकर ग्रामीण शिक्षा के लिए टेलीविजन के माध्यम से

अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्च शिक्षा दूरदर्शन प्रकल्प (एसआईटीई): 15 अगस्त, 1984 को विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय विषय—वस्तु प्रदान करने के लिए 'कंट्री वाइज क्लासरूम' के रूप में शुरू किया गया था। इसी तरह इग्नू दूरदर्शन प्रसारण 1991 में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सुदूर परामर्श व्यवस्था के रूप में शुरू किया गया। सप्ताह में पांच दिन प्रातः 6.30 से 7 बजे के बीच प्रसारित किया जाने वाला यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। ज्ञानदर्शन शैक्षिक चैनल संयुक्त रूप से प्रसार भारती और इग्नू द्वारा 2000 से पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए समर्पित चैनल है। 10 जून 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा देश

के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 32 चैनलों वाले स्वयं प्रभा समूह का उद्घाटन किया गया। इन चैनलों को डीटूएच के माध्यम से देश में किसी भी जगह देखा जा सकता है। इन चैनलों पर देश के प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इन कार्यक्रमों को 24 घंटे सातों दिन देखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक दिन 4 घंटे नए कार्यक्रम होते हैं और बाद में उनका पांच बार पुनः प्रसारण होता है। ताकि अगर किसी से कोई कार्यक्रम छूट जाए तो बाद में देख सकें। इस तरह देश के दूरदराज के इलाकों में जहां अध्यापकों की कमी है तथा शिक्षा के आधारभूत ढांचे की समस्या है, वहां के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाएं एक वरदान साबित हो रही हैं। खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों को घर में या विद्यालय में कहीं भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी जरुरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक गति दी जाए और वहां शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सशक्त किया जाए।

संदर्भ

- 1- 7वां ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे, 2006, एनसीईआरटी http://www.ncert.nic.in/programmes/education_survey/pdfs/schools_physical_ancillary_facilities.pdf
- 2- 8वां ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशनल सर्वे 2015, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
- 3- एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 4- विकास राष्ट्र (2011) स्टेटिस्टिक्स ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन इन रुरल इंडिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली।

(डॉ. ओउम प्रकाश शर्मा 'विज्ञान आपके लिए' पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और रामशरण दास शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार में उप-प्रधानाचार्य रह चुके हैं।)

ई-मेल : vigyanapkeliye@gmail.com

ग्रामीण भारत में चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं

—चंद्रकांत लहरिया

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में जन-स्वास्थ्य अवसंरचना का विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं (मेडिकल, नर्सिंग और आयुष) में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य उप-केंद्रों की संख्या में 35,000 (19 प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या भी 6,500 यानी 22 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की 2,200 यानी 30 प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

भारत में सार्वजनिक (यानी सरकारी) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तीन स्तर वाला ढांचा है—प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक—स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं का। ग्रामीण भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में स्वास्थ्य उप-केंद्र (एचसीएस), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शामिल हैं। यह सुविधाएं द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं से कामकाजी परामर्श संपर्क के साथ विकसित की गई हैं और इनमें से ज्यादातर शहरी इलाकों में स्थित हैं। ग्रामीण भारत में पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है (तालिका-1)।

सेवा बुनियादी ढांचे में सेवा प्रदान करने के परिदृश्य में भौतिक अवसंरचना और मानव संसाधन दोनों ही शामिल हैं। इस लेख में भौतिक अवसंरचना की चर्चा सेवा अवसंरचना (लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल सुविधाओं) और शिक्षा अवसंरचना (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन तैयार करने वाली संस्थाओं) के रूप में की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता का जिक्र अलग से किया गया है। हालांकि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है मगर संदर्भ के अनुसार शहरी पृष्ठभूमि और निजी क्षेत्र पर भी चर्चा की गई है।



अधिक बिस्तर, अधिक सुविधाएं, अधिक अस्पताल और अधिक डॉक्टर

- 20 नये एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं
- जुलाई 2014 से काम कर रहे 74 एम्स में 1675 अतिरिक्त बिस्तर लगाए गए हैं (पिछले एक वर्ष में शामिल 850 बिस्तरों सहित)
- वर्ष 2017-18 में झारखंड और गुजरात के लिए 2 नये एम्स की घोषणा
- 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जा रहा है
- पिछले चार वर्षों में कुल 92 मेडिकल कॉलेज (46 सरकारी और 46 निजी) स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 15,354 एम.बी.बी.एस सीटें बढ़ी हैं
- पिछले चार वर्षों में 12,646 पी.जी सीटें बढ़ी हैं



भारत में चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचा

अ) स्वास्थ्य उप-केंद्र (एचएससी)

- स्वास्थ्य उप-केंद्र (जिसे उपकेंद्र भी कहा जाता है) समुदाय का सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क का पहला बिंदु है। ग्रामीण भारत में सबसे निचले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का स्थान यही है।
- प्रत्येक स्वास्थ्य उप-केंद्र मैदानी इलाकों में 5,000 लोगों और पहाड़ी, जनजातीय और दुर्गम इलाकों में 3,000 लोगों के लिए होता है।
- इसके चिकित्साकर्मियों में आमतौर पर ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम), एक स्वास्थ्यकर्मी (पुरुष) और एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता होते हैं। स्वास्थ्य उप-केंद्रों में आमतौर पर कोई डाक्टर नहीं होता।

आ) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)

- भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अक्सर समुदाय और सरकारी चिकित्सा अधिकारी के बीच संपर्क का पहला स्थान कहा जाता है। प्रत्येक पीएचसी में कम से कम एक डाक्टर तैनात रहता है।
- मैदानी इलाकों में हर 30,000 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जबकि पहाड़ी, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 लोगों के लिए एक पीएचसी की स्थापना की जाती है। प्रत्येक पीएचसी के अधीन छह उप-केंद्र होते हैं।
- हर पीएचसी में रोगियों के लिए 6 विस्तरों का इंतजाम होता है। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते।

इ) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा परामर्श देने वाली इकाई है जहां चार क्षेत्रों (सामान्य चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग विज्ञान व प्रसूति विज्ञान तथा बाल रोग) के विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा संज्ञाहरण और नेत्र रोगों के विशेषज्ञों की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती है।
- भारत में मैदानी इलाकों में हर 1,20,000 की आबादी के लिए एक सीएचसी की योजना बनाई जाती है, जबकि पहाड़ी, जनजातीय और दुर्गम इलाकों में 80,000 की आबादी के पीछे एक सीएचसी का प्रावधान है। हर सीएचसी के अधीन चार पीएचसी होते हैं।
- प्रत्येक सीएचसी में रोगियों के लिए 30 विस्तरों का इंतजाम रहता है।

द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल

- अ) सब-डिविजनल अस्पताल (एसडीएच)/तालुका अस्पताल (टीएच)
- सब डिविजनल अस्पताल को सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल,

एसडीएच या तालुका अस्पताल भी कहा जाता है। यह आमतौर पर कस्बों में स्थित स्वास्थ्य परामर्श इकाई है।

- अस्पताल के रूप में एसडीएच अपेक्षाकृत अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसमें सीएससी की तुलना में ज्यादा विशेषज्ञ होते हैं।

आ) जिला अस्पताल (डीएच)

भारतीय स्वास्थ्य मानदंडों में जिला अस्पताल की परिभाषा 'द्वितीयक स्तर के परामर्श अस्पताल के रूप में की गई है जिसके अंतर्गत एक जिले का निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र और आबादी आती है।'

- इनमें 12–15 तरह की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। इन्हें रोगियों के लिए 101–500 बिस्तर वाले अस्पताल के रूप में परिकल्पित किया जाता है।

तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल

क. मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल (एमसी एंड एएच):

- मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों की योजना सुपर स्पेशलिटी समेत सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।
- इनमें आमतौर पर 500 या इससे ज्यादा विस्तरों का इंतजाम रहता है। लेकिन भारत में अलग—अलग मेडिकल कॉलेजों की स्थिति अलग—अलग है।

ख) शीर्ष संस्थाएं, स्पेशलिटी सेंटर और रेफरल एवं रिसर्च सेंटर

- भारत में ऐसी निर्दिष्ट शीर्ष संस्थाएं हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसंधान संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक चिकित्सा सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगी।
- भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) पुढ़ुचेरी इस श्रेणी में आते हैं।
- इसके अलावा ऐसी कई संस्थाएं हैं जो किसी खास बीमारी से संबंधित होती हैं, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरु।
- इन सब संस्थाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र माना जाता है और इनका वित्तपोषण केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इन सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आमतौर पर सीधे भुगतान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अपवादस्वरूप कुछ राज्यों में उपयोग शुल्क (जैसे पंजीकरण के लिए) और कुछ अन्य सेवाओं के लिए (जैसे रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए) लगाया जाता है।

शहरी इलाकों में हैं। मुनाफे का ध्यान रखे बिना काम करने वाले संगठन भी देश के कुछ खास इलाकों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सा सेवाओं तक भौगोलिक पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का ही एक हिस्सा है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और इसका उपयोग (मौजूदा अस्पतालों में) बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने और अन्य तरीके की पहुंच पर निर्भर करता है। इनमें से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में कुछ सूचनाएं तालिका-4 में दी गई हैं।

स्वास्थ्य शिक्षा अवसंरचना

भारत में समय के साथ—साथ चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। वर्तमान चिकित्सा विसंरचना को तालिका-5 में संक्षेप में प्रदर्शित किया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों के अलावा एमडी/एमएस के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी सीटें उपलब्ध हैं। इसी तरह आयुष पद्धति के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए सीटें उपलब्ध हैं।

तालिका 2: भारत में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का विकास (2005–2017)

सुविधा का प्रकार	2017	2005	2005-2017* के बीच बदलाव
स्वास्थ्य उप-केन्द्र	156,231	146,026	--
सरकारी भवनों में	108,959 (70)	63,901 (44)	+26%
किराए के भवनों में	30,022 (19)	50,338 (34)	-15%
किरायामुक्त पंचायत या ग्रामसभा भवनों में	17,250 (11)	14,295 (10)	+01%
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	25,650	23,236	--
सरकारी भवनों में	23,322 (91)	16,023 (69)	+22%
किराए के भवनों में	8,39 (03)	2,826 (12)	-09%
किराया मुक्त पंचायत या ग्रामसभा भवनों में	1,489 (06)	1,687 (07)	-01%
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	5,624	3,346	--
सरकारी भवनों में	5,438 (97)	2,822 (84)	+13%
किराए के भवनों में	8 (<1)	5 (<1)	00%
किरायामुक्त पंचायत या ग्रामसभा भवनों में	178 (03)	254 (08)	-05%

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हर उप-समूह के प्रतिशत/अनुपात को प्रदर्शित करते हैं।

*आखिरी कॉलम से हर उप-समूह में वर्ष 2005 की तुलना में 2017 में हुई प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी का पता चलता है।

तालिका 1: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं (1985–2017)*

सुविधाओं की संख्या	एचसीएस	पीसीएस	सीएचसी	कुल
छठी योजना (1981–85)	84,376 (--)	9,115 (---)	761 (---)	94,252 (---)
सातवीं योजना (1985–90)	130,165 (+54%)	18,671 (+105%)	1,910 (+151)	150,746 (+60%)
आठवीं योजना (1981–97)	136,258 (+05%)	22,149 (+19%)	2,633 (+38%)	161,040 (+07%)
नौवीं योजना (1997–2002)	137,311 (+01%)	22,875 (+03%)	3,054 (+16%)	163,240 (+01%)
दसवीं योजना (2002–07)	145,272 (+06%)	22,370 (-02%)	4,045 (+32%)	171,687 (+05%)
न्यारहवीं योजना (2007–12)	148,366 (+02%)	24,049 (+08%)	4,833 (+19%)	177,248 (+03%)
बारहवीं योजना (2012–17)	156,231 (+05%)	25,650 (+07%)	5,624 (+16%)	187,505 (+06%)

संख्याएं प्रत्येक योजना अवधि के अंत में विद्यमान सुविधाओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे छठी योजना के अंत में 31 मार्च, 1985 को।

कोष्ठक में दी गई संख्याएं पिछली योजना अवधि की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी को दर्शाती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में विभिन्न प्रकार के मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों (डॉक्टरों), स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (विशेषज्ञों) और स्वास्थ्य सेवा के अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सीटें बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ—साथ नए मेडिकल कॉलेज खोलने तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

भारत में स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन

भारत में एलोपैथिक डॉक्टर : भारत में दिसंबर 2017 के अंत में 1,041,395 एलोपैथिक डॉक्टर भारतीय चिकित्सा परिषिद में पंजीकृत थे। अनुमानों से पता चलता है कि देश में करीब 750000 से 800000 एलोपैथिक डॉक्टर चिकित्सा के पेशेवर कार्य में संलग्न हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश में 1,500 लोगों के लिए औसतन एक डॉक्टर उपलब्ध है। कुल एलोपैथिक डॉक्टरों में से केवल 114,969 (करीब 14–16 प्रतिशत) सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत में सरकारी डॉक्टरों द्वारा सेवित औसत जनसंख्या 11,082 है। तकरीबन 85 प्रतिशत पंजीकृत एलोपैथिक डाक्टर निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एलोपैथी के प्रशिक्षित प्रैक्टिशनरों के अलावा भारत में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के प्रैक्टिशनर और नर्सें भी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। (तालिका-6)।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डाक्टरों

की उपलब्धता : भारत के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 4 विशेषज्ञों का होना आवश्यक है। लेकिन इस तरह के 22,496 डॉक्टरों की आवश्यकता के बावजूद मार्च 2017 के अंत तक देश में 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल 4,156 विशेषज्ञ डॉक्टर ही उपलब्ध थे। कुल मिलाकर विशेषज्ञ डाक्टरों की आवश्यकता के



आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एनएचपीएम)

प्रभाव

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रमुख कदम।
- विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना।
- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से) के साथ तालमेल से सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में पर्याप्त कमी।
- ये कार्यक्रम जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और देश के किसी भी हिस्से से लाभार्थी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- आबादी की ऐसी जरूरतों को पूरा करेगा जो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण दिखाई नहीं देती है।
- आयुष्मान भारत मिशन से समय पर उपचार, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, रोगी की संतुष्टि के परिणामस्वरूप उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार होगा और रोजगार पैदा होंगे जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

मुख्य विशेषताएं

- मिशन का उद्देश्य गरीब से गरीब व्यक्ति को आपदा और विपत्ति के समय स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च से संरक्षण देना।
- क) लगभग 50 करोड़ लोगों को संरक्षण देगा (10 करोड़ से अधिक परिवारों से)।
- घ) ये लोग गरीब आर्थिक और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, जिनकी पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर होगी।
- ये कार्यक्रम वंचित परिवारों को उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जब घर के किसी सदस्य को बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़े।
- प्रस्तावित कवरेज लाभ— 5 लाख रुपये प्रति परिवार/प्रति वर्ष
- लगभग 40 प्रतिशत आबादी कवर; अस्पताल में भर्ती के सभी द्वितीयक और कई तृतीयक श्रेणी के इलाज शामिल।
- परिवार का आकार बाध्यता नहीं:
- क) नामित परिवारों के सभी सदस्यों विशेष रूप से बालिका और वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। इसमें महिला को परिवार का मुखिया बनाने का सुझाव दिया गया है।

- इस योजना के तहत सेवाएं—
क) नकदीरहित और कागजरहित होंगी।
ख) सेवा के स्थान पर ही उपलब्ध होंगी।
ग) सार्वजनिक और समेकित निजी दोनों में इलाज की सुविधा होंगी।
घ) देश में कहीं भी उपलब्ध होंगी।
- सभी नामांकित परिवारों को ई-कार्ड प्रदान करने के लिए प्रावधान।
- वर्तमान में चल रही केंद्र प्रायोजित योजना “राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना” और ‘वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना’ को इसमें (एबी-एनएचपीएम) समाहित कर दिया जाएगा।
- एबी-एनएचपीएम 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएगा और देखभाल की सहज निरंतरता सुनिश्चित करेगा। माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर सेवाओं को न्यायसंगत, किफायती और सुलभ बनाया जाएगा।
- आरएसबीवाई के तहत स्मार्टकार्ड आधारित पहचान प्रणाली के स्थान पर एसईसीसी डाटा आधारित आधार पहचान प्रणाली इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। हालांकि, आधार की अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
- राज्य कार्यान्वयन के तरीकों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- वे बीमा कंपनी के माध्यम से या सीधे ट्रस्ट/सोसाइटी के माध्यम से या मिश्रित मोड़ का उपयोग कर सकते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली** को सुदृढ़ बनाना— सार्वजनिक अस्पतालों को प्राप्त दावों पर बीमा कंपनियों/ट्रस्ट के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि मिल जाएगी जोकि अस्पताल द्वारा लाभार्थियों को दिए गए उपचार के एवज में मिलेंगे।
- एक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिकायत और लोक शिकायत निवारण तंत्र का गठन प्रस्तावित है जहां सक्रिय रूप से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, इंटरनेट साथ ही साथ सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल हो सके।
- एबी-एनएचपीएम प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग/धोखाधड़ी/दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय करेगा। □

तालिका-3: 2017 में भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना का दायरा

	स्वास्थ्य उप-केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
शामिल किए गए गांवों की औसत संख्या (2017 की स्थिति)	4	25	114
शामिल की गई ग्रामीण जनसंख्या का औसत (2017 की स्थिति)	5,337	32,505	148,248
शामिल किया गया औसत ग्रामीण क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	18.90	115.15	525.17
इसका दायरा (कि.मी. में)	2.45	6.05	12.93

तालिका-4 : 2017 में भारत में एसएचसी, पीएचसी और सीएचसी में उपलब्ध सुविधाओं/सेवाओं का स्तर

स्वास्थ्य उप-केंद्र (एन=156,231)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एन=256,50)	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (एन=5,624)			
आईपीएचएस के तौर पर कार्यरत*	17,204 (11.0)	आईपीएचएस के तौर पर कार्यरत*	3,303 (12.9)	आईपीएचएस के तौर पर कार्यरत*	912 (16.2)
	24x7 कार्य करने वाले	10,044 (39.2)	चार विशेषज्ञ उपलब्ध	454 (8.0)	
	प्रसव कक्ष की सुविधा	17,688 (69.0)	चालू प्रसव कक्ष	4,696 (83.5)	
	शल्य चिकित्सा कक्ष (OT)	9,422 (36.7)	चालू शल्य चिकित्सा कक्ष	4,696 (83.5)	
	लैंडलाइन टेलीफोन सुविधा	11,732 (45.7)	चालू एक्स-रे मशीन	5,624 (100)	
	कम से कम चार शैय्या	19,559 (76.3)	चालू प्रयोगशाला सुविधा के साथ	5,303 (94.3)	
	कम्प्यूटर सुविधा	8,962 (34.9)	कम से कम 30 शैय्याओं की सुविधा	4,083 (72.6)	
	रैफरल ट्रांसपोर्ट सुविधा	14,171 (55.3)	एमआईएस/एकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर और स्टैट्स असिस्टेंट	4,843 (86.1)	
	पंजीकृत आरकेएस	22,077(86.0)	रैफरल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध	5,217 (92.8)	
एएनएम के आवास की सुविधा	86,525 (55.4)	पंजीकृत आरकेएस	विशेषज्ञ डाक्टर के रहने के लिए आवास	2,816 (50.0)	
एचएससी में ही एएनएम आवास	48,781 (31.2)		विशेषज्ञ डाक्टर आवास में रहते हैं	1,770 (31.5)	
नियमित जलापूर्ति सुविधा के बिना	31,985 (20.5)	नियमित जलापूर्ति सुविधा के बिना	1,695 (6.6)		
नियमित बिजली आपूर्ति सुविधा के बिना	37,387 (23.9)	नियमित बिजली आपूर्ति सुविधा के बिना	920 (3.6)		
हमेशा खुली रहने वाली सड़क सुविधा के बिना	15,536 (9.9)	हमेशा खुली रहने वाली सड़क सुविधा के बिना	1,361 (5.3)		

आईपीएचएस : इंडियन पब्लिक हैल्थ स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय जन-स्वास्थ्य मानदंडों का निर्धारण भारत सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया है। आरकेएस : रोगी कल्याण समिति। एएनएम : ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइफ।

मुकाबले 18,347 यानी 81.6 प्रतिशत की कमी थी। इसी तरह देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शल्य चिकित्सकों की कमी 86.5 प्रतिशत, प्रसूति रोग और महिला रोग विशेषज्ञों की कमी 74.1 प्रतिशत, सामान्य चिकित्सकों की 84.6 प्रतिशत और बाल रोग विशेषज्ञों की कमी 81 प्रतिशत थी।

अन्य श्रेणियों के चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता : डॉक्टरों और विशेषज्ञों के अलावा अन्य श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मियों की भी बड़ी कमी है। स्वास्थ्य उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करीब 10,000 एएनएम और महिला स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है। कुल 31,274 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 12,511 प्रयोगशाला तकनीशियाँ, 7,092 फार्मासिस्टों और 13,194 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। 5,624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3,629 रेडियोग्राफर नहीं हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न उप-श्रेणियों में स्टाफ की कमी 70 प्रतिशत तक है। विभिन्न प्रकार के चिकित्साकर्मियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध

**तालिका-5 : कुछ चुनी हुई सरकारी और निजी प्रशिक्षण संस्थाएं
2017 में वार्षिक प्रवेश संख्या सहित**

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश / प्रवेश क्षमता
चिकित्सा और दंत चिकित्सा सुविधा			
	एमबीबीएस	476	52,646
	दंत चिकित्सा महाविद्यालय	313	27,060
केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण सुविधाएं			
	एचएफडब्ल्यूटीसी	65	उपलब्ध नहीं
	एएनएम-टीसी	357	उपलब्ध नहीं
	एमपीडब्ल्यू (पुरुष) प्रशिक्षण विद्यालय	68	उपलब्ध नहीं
नर्सिंग और फार्मेसी			
	जनरल नर्स मिडवाइफ	3,215	129,926
	ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइफ	1,909	55,263
	बेसिक बी.एससी (नर्सिंग)	1,936	96,475
	पोस्ट बेसिक बी.एससी	775	24,415
	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा	292	4,131
	एम.एससी (नर्सिंग)	643	12,617
	फार्मेसी (डिप्लोमा)	777	46,795
आयुष : स्नातक पाठ्यक्रम			
	आयुर्वेद	338	21,387
	यूनानी	49	2,705
	सिद्ध	09	520
	प्राकृतिक चिकित्सा	25	1,630
	होम्योपैथी	201	13,909
	कुल आयुष	622	40,151

आयुष्मान भारत

दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल

5,00,000 का बीमा

50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार
5 लाख रुपये तक का विस्तृत स्वास्थ्य कवरेज

1,50,000

उप-केन्द्र

विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए
1.5 लाख उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को
स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) में
परिवर्तित किया जा रहा है।

न होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी पूर्ण क्षमता का
उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

भारत में अधिकतर मेडिकल डॉक्टर और नर्स (करीब 85-90 प्रतिशत) और अस्पतालों के लगभग आधे बिस्तर निजी क्षेत्र में हैं। प्रशिक्षित निजी सेवा प्रदाताओं के अलावा बड़ी संख्या में बिना डिग्रियों वाले अप्रशिक्षित एलोपैथिक प्रेक्टिशनर देश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों के लिए तो वे ही उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। हालांकि भारतीय कानून के अनुसार उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये 'अप्रशिक्षित' सेवाप्रदाता देश में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। अनेक अध्ययनों में इसका जिक्र हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उनका हिस्सा कथित रूप से काफी बड़ा है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में जन-स्वास्थ्य अवसंरचना का विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं (मेडिकल, नर्सिंग और आयुष) में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की संख्या में 35,000 (19 प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या भी 6,500 यानी 22 प्रतिशत और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की 2,200 यानी 30 प्रतिशत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा देश में विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य के भीतर भी स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधनों की

सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की गई

- जीवन रक्षक दवाओं सहित 1054 आवश्यक औषधियों को मई 2014 के बाद मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। जिससे उपभोक्ताओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का फायदा मिला।
- स्टेंट और नी इम्प्लांट केप की कीमतों में 50-70 प्रतिशत की कमी की गई जिससे आम आदमी की काफी बचत हुई।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनजीवधि केन्द्रों में दवाओं की बिक्री से देशभर में जनेरिक दवाएं सस्ती हो गईं। 3000 से ज्यादा स्टोर काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी की 50 प्रतिशत से अधिक बचत हो रही हैं।
- अमृत फार्मेसियां कैंसर और कार्डियोवैस्कूलर (हृदयवाहिनी) बीमारियों की दवाओं के साथ-साथ कार्डिएक इम्प्लांट की दवाएं वर्तमान बाजार दरों के मुकाबले 60 से 90 प्रतिशत की रियायत पर बेच रही हैं।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों के लिए डायलिसिस सेवाएं और सभी मरीजों के लिए रियायती दरों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 497 डायलिसिस इकाइयों को परिचालन योग्य बनाया गया है और करीब 2.5 लाख मरीज इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं और अब तक 25 लाख डायलिसिस सत्र हो चुके हैं।

उपलब्धता में अंतर है।

स्वास्थ्य सेवाओं को वांछित स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं (अवसंरचना, मानव संसाधन और आपूर्ति) के बीच संतुलन कायम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में इस संतुलन का न होना एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,85,000 स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद लोग ओ.पी.डी. की केवल 8–10 प्रतिशत सेवाओं का ही फायदा उठा पाते हैं।

भारत सरकार ने फरवरी 2018 में 'आयुष्मान' भारत नाम के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के एक घटक के रूप में मौजूदा 1,50,000 स्वास्थ्य उप—केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिसंबर 2022 तक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उच्चीकृत करना है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के इस अवसर का फायदा भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की मौजूदा और सर्वविदित चुनौतियों से निपटने में किया जाना चाहिए। विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को सही और तालमेल के साथ इस तरह विकसित किया जाना चाहिए जिससे वे सुचारू रूप से सेवाएं देने में सक्षम हों। विभिन्न सुविधाओं और मानव संसाधनों के असमान वितरण की समस्या के समाधान के साथ—साथ जनसंख्या संबंधी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी (एनएचआरआर) की भी शुरुआत की है जिसका उद्देश्य देश में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं, सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों में उपलब्ध

'आज से थोड़ा कम' अभियान

प्रधानमंत्री के 'स्वस्थ भारत अभियान' से अब देश की कंपनियां भी जुड़ रही हैं। पैकेट और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियां अब अपने उत्पादों में नमक, चीनी और तेल की मात्रा को कम करेंगी। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 'आज से थोड़ा कम' अभियान की शुरुआत की गई। नई दिल्ली में 10 जुलाई, 2018 को भारतीय खाद्य एवं नियामक अधिकरण ने द ईट राईट मूर्मेंट और 'आज से थोड़ा कम' अभियान की शुरुआत की। जिसके तहत देश की टॉप 15 कंपनियां अपने प्रोडक्ट में नमक, चीनी और ट्रांसफैट की मात्रा कम करने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों ने शपथ ली है कि वो सेहत को ध्यान में रखकर खाद्य सामग्री तैयार करेंगे। ये अभियान स्कूलों, कार्यस्थलों, होटल, रेस्तरां और पूरे देश में चलाया जाएगा।

भारत जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की चपेट में है युवा इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा की दर 69 साल है इसके बावजूद बड़े पैमाने पर युवा अवस्था में ही लोगों की मौत हो रही है। अगर आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना है तो अपने खाने में नमक की मात्रा प्रतिदिन पांच ग्राम से ज्यादा ना लें। और नियमित व्यायाम करें।

तालिका—6: भारत में 2017 में पंजीकृत पेशेवर आयुष विशेषज्ञ और पंजीकृत नर्स व फार्मासिस्ट

भारत में पंजीकृत पेशेवर आयुष विशेषज्ञ	भारत में पंजीकृत नर्स व फार्मासिस्ट
आयुर्वेद	428,884
यूनानी	49,566
सिद्ध	8,505
प्राकृतिक चिकित्सा	2,242
होम्योपैथी	284,471
कुल आयुष	773,668

सेवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। एनएचआरआर जानकारी का संग्रह करते समय ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी को प्राथमिकता देने के बारे में विचार कर सकता है। एनएचआरआर द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सूचना भविष्य की सूचना प्रणाली का आधार बन सकती है। इसे इस तरह से डिजाइन करने की जरूरत है जिससे यह भारत में सबके टीकाकरण (यूआईपी) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशीतन केंद्रों की शृंखला के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्मित 'इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क—(ईवीआईएन)' की तर्ज पर हो ताकि इससे रीयल टाइम में सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए इस तरह की प्रणाली का उपयोग व्यावहारिक निर्णय लेने के साथ—साथ मानव संसाधनों तथा भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत की विशाल ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना इस समय जितनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, उसकी क्षमता और शक्ति इससे कहीं ज्यादा सेवाएं उपलब्ध कराने की है। रीयल टाइम इनफॉर्मेशन सिस्टम से इसमें कुछ और बातें (जैसे, सुविधाएं, आपूर्ति और मानव संसाधन) को उपयुक्त मात्रा में जोड़कर अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भंडार (एनएचआरआर) जैसी पहलों के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की पहले से महसूस की जा रही आवश्यकता का अभिनव समाधान खोजने की दिशा में दो नई पहल हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों का सहयोग और दिशानिर्देश मिलना आवश्यक है।

(लेखक विश्व स्वास्थ्य संगठन के नई दिल्ली कार्यालय में राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं।)

ई—मेल : lahariyac@who.int

पेयजल ढांचे का कायाकल्प

—डॉ. पी शिवराम
—विष्णु पार्थीपतेज पी

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने भारत के 115 आकांक्षी जिलों में स्वजल योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद गांवों में सौर ऊर्जा की मदद से पाइपों के जरिए पानी की निरंतर आपूर्ति करना है। सामुदायिक स्वामित्व वाली इस पेयजल योजना का प्रबंधन स्थानीय ग्रामीणों के हाथों में दिया गया है। योजना में सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। योजना के तहत चलायी जाने वाली परियोजना का 90 प्रतिशत खर्च सरकार और बाकी 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी समुदाय उठाएंगे।

भारत में विकास का वितरण असमान रहा है। कई जिलों की तुलना में काफी पीछे हैं। यहां तक कि संपन्न राज्यों में भी पिछड़े इलाके हैं जिनमें सरकार की ओर से खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। नए भारत के निर्माण के सरकार के संकल्प के महेनजर इन जिलों के 2022 तक तेजी और प्रभावशाली ढंग से कायाकल्प के लिए नीति आयोग ने हाल ही में आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया है। आयोग ने छह सामाजिक—आर्थिक मापदंडों के आधार पर 28 राज्यों के 115 जिलों को इस कार्यक्रम के लिए चुना है। जिन मापदंडों के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया उनमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, कृषि और जल संसाधन तथा पेयजल समेत बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। प्रौद्योगिकी की मदद से इन आकांक्षी जिलों के क्रांतिकारी कायाकल्प के काम में सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा दे रही है। योजना में वाम अतिवादी

हिंसा से प्रभावित 35 और जम्मू—कश्मीर में आतंकवाद के प्रभाव वाले 15 जिलों को भी शामिल किया गया है।

पेयजल, स्वास्थ्य और संपूर्ण तंदुरुस्ती के बीच सीधा नाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दूषित पेयजल, निजी स्वच्छता का अभाव और कचरे का गलत ढंग से निस्तारण कई बीमारियों का प्रमुख कारण रहा है। ऊंची शिशु मृत्यु दर तथा बच्चों में अपक्षय और अल्प विकास के लिए भी असुरक्षित पेयजल को जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके अलावा आबादी में ऊंची रुग्णता दर और औसत जीवनकाल में कमी के लिए भी काफी हद तक यही जिम्मेदार है। आजादी मिलने के बाद के शुरुआती वर्षों में लोग पेयजल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक पारंपरिक कुओं, नदियों, हैंडपंपों इत्यादि पर निर्भर थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर गांववासी को पीने, खाना पकाने और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए सुरक्षित पानी पर्याप्त मात्रा में निरंतर मुहैया कराने के मकसद से 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल





कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) शुरू किया गया। एनआरडीडब्ल्यूपी में निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) तथा ग्राम जल और स्वच्छता उपसमिति (वीडब्ल्यूएसएससी) के जरिए सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने के लिए सामुदायिक योगदान और प्रबंधन पर जोर दिया गया। एनआरडीडब्ल्यूपी की बदौलत मौजूदा समय में पानी की उपलब्धता में काफी सुधार आया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी में बदलाव करते हुए उसका रुझान पाइपों के जरिए पानी की आपूर्ति की तरफ मोड़ा गया।

देश के 115 आकांक्षी जिलों के लिए हाल में घोषित स्वजल योजना पर 700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे एनआरडीडब्ल्यूपी के मौजूदा बजट के तहत फ्लेक्सी कोषों के जरिए पूरा किया जाएगा। इस योजना का मकसद गांवों को सौर ऊर्जा की मदद से पाइपों के जरिए पानी की निरंतर आपूर्ति करना है। सरकार ने यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जल आपूर्ति के लिए चलाई है। सामुदायिक स्वामित्व वाली इस पेयजल योजना में प्रबंधन स्थानीय ग्रामीणों के हाथों में है। योजना में सैंकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। योजना के तहत परियोजना का 90 प्रतिशत खर्च सरकार और बाकी 10 प्रतिशत व्यय लाभार्थी समुदाय उठाएंगे। योजना के तहत सभी गांवों को पानी की आपूर्ति पाइपों के जरिए की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पानी दूषित नहीं हो। पानी की पाइपों के रखरखाव की जिम्मेदारी तकनीशियनों के ऊपर होगी।

स्वजल पायलट परियोजना के विभिन्न चरण

स्वजल पायलट परियोजना के विभिन्न चरणों का विवरण नीचे दिया गया है। निगरानी और मूल्यांकन का काम परियोजना के इन सभी चरणों में शामिल होगा।

क. तैयारी का चरण: इस चरण में राज्य में स्वजल पायलट परियोजना के उद्देश्यों और विस्तृत विवरण का प्रचार किया जाना शामिल है। मौजूदा जल स्रोतों का डाटाबेस तैयार करने और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संस्थाओं की लामबंदी का काम भी इसी चरण में किया जाएगा।

ख. योजना चयन: इस चरण में विभिन्न वर्गों में चलाई जाने वाली योजनाओं की पहचान की जाएगी। योजनाओं के बुनियादी आंकड़े एकत्र करने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करना भी इसी चरण में शामिल है।

ग. परियोजना चक्र का क्रियान्वयन: इस

चरण में निर्धारित व्यवस्था और गतिविधियों के अनुरूप समुदाय को शामिल करते हुए योजना का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाएगा।

घ. क्रियान्वयन पश्चात् सहायता: इस चरण में ग्राम पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन के बाद संचालन, रखरखाव और संवहनीयता की निगरानी के लिए सहायता दी जाएगी।

सामुदायिक योगदान

क. जलापूर्ति योजना के पूंजीगत खर्च में हितधारकों का योगदान: इस खर्च में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा विभिन्न राज्यों में लागू एनआरडीडब्ल्यूपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। संबंधित ग्राम पंचायत पूंजी में पांच प्रतिशत का योगदान करेगी। पूंजी व्यय में अपने हिस्से के रूप में सामान्य वर्ग के उपयोगकर्ता 2000 रुपये तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी 1000 रुपये का अंशदान करेंगे।

ख. योजना के संचालन और रखरखाव में हितधारकों का योगदान: ग्राम पंचायत संचालन और रखरखाव के खर्च में वित्त आयोग से मिलने वाले सालाना अवक्रमित कोष का 15 प्रतिशत योगदान करेगी। योजना का शुरुआती दो साल का बीमा होगा जिसके लिए रकम ग्राम पंचायत और परियोजना व्यय से बराबर-बराबर ली जाएगी। आकस्मिक स्थिति में सरकार निर्जीव योजना को बहाल करेगी। वह बीमा काल के खत्म होने के बाद योजना में परिवर्तन और उसके विस्तार की भी जिम्मेदारी उठाएगी।

संस्थागत ढांचा

क. राज्य-स्तरीय

• राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम): स्वजल पायलट परियोजना के लिए नीति बनाने वाली सर्वोच्च





संस्था राज्य का एसडब्ल्यूएसएम होगा।

- पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस):** ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार डीडीडब्ल्यूएस पायलट परियोजना की प्रमुख एजेंसी होगी। वह स्वास्थ्य और शिक्षा इत्यादि के विभागों जैसे हितधारकों के साथ तालमेल के जरिए परियोजना को लागू करेगा।
- ख. जिला—स्तरीय**
- जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम):** यह स्वजल पायलट परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। यह जल आपूर्ति योजना के निर्माण, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव में जिला जल और स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएससी) का निर्देशन करेगा। योजना से संबंधित सालाना बजट की मंजूरी भी यह मिशन ही देगा। ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएसएससी को कोष भी इसी के जरिए मिलेंगे। योजना के लिए खरीद और निर्माण में भी यह ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएसएससी की मदद करेगा। ग्राम पंचायतों के लिए विवादों के निपटारे के तौर—तरीके मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी इस मिशन की ही होगी।
- जिला जल और स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएससी):** योजना के एक खास निर्धारित स्तर तक मूल्यांकन के लिए पायलट जिलों में डीडब्ल्यूएससी स्थापित की जा रही हैं। वे संबंधित राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप योजना का मूल्यांकन करेंगी। डीडब्ल्यूएससी ग्राम पंचायतों के चयन तथा निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति को डीडब्ल्यूएसएम की ओर से तकनीकी सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- जिला—स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी:** पायलट परियोजना पर



अमल इस एजेंसी के जिम्मे है। इस जिला—स्तरीय एजेंसी के अधिकारी पायलट परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए स्वजल योजना के सिद्धांतों के अनुसार वीडब्ल्यूएसएससी को तकनीकी दिशानिर्देश और सहायता मुहैया कराएंगे तथा डीडब्ल्यूएसएम को रिपोर्ट करेंगे।

ग. ग्राम—स्तरीय

- ग्राम पंचायत:** ग्राम पंचायत परियोजना में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से वीडब्ल्यूएसएससी के गठन के लिए उन्हें एकजुट करेगी और सहयोग देगी। वह वीडब्ल्यूएसएससी को अधिकार संपन्न बनाने के अलावा क्षमता निर्माण में उसे मदद देगी। ग्राम पंचायत योजना का संचालन और रखरखाव तथा खर्च की वापसी सुनिश्चित करेगी। वह कोष के प्रवाह, योजना को मंजूरी, लेखा प्रबंधन, ऑडिटिंग, निगरानी और मूल्यांकन तथा विवाद निपटारे के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- ग्राम जलापूर्ति और स्वच्छता उपसमिति (वीडब्ल्यूएसएससी):** हर जलापूर्ति योजना के लिए वीडब्ल्यूएसएससी का गठन किया जाएगा और इसमें सभी लाभार्थी शामिल होंगे। योजना में कई गांवों के शामिल होने की स्थिति में वीडब्ल्यूएसएससी का हर गांव में गठन किया जाएगा। योजना को बनाने तथा इसके लिए डिजाइन, खरीद, निर्माण, संचालन और रखरखाव, शुल्क निर्धारण और समीक्षा, सामुदायिक वित्तीय योगदान, लेखा प्रबंधन तथा ऑडिटिंग की जिम्मेदारी वीडब्ल्यूएसएससी की है।

वीडब्ल्यूएसएससी के कार्य और जिम्मेदारियां

- यह उपसमिति योजना के पूंजीगत तथा संचालन और रखरखाव व्यय के लिए ग्रामीण समुदाय से नकदी या श्रम के



- रूप में स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करेगी। यह ग्रामीणों के बीच स्वच्छता और साफ—सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयास करेगी। उपसमिति निर्माण कार्यों के तकनीकी विकल्पों के बारे में चर्चा कर बेहतर विकल्प को अपनाएंगी ताकि योजना ग्रामीणों की उम्मीदों के अनुरूप बने।
2. जलापूर्ति और स्वच्छता योजनाओं के निर्माण, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी इस उपसमिति की होगी।
 3. यह उपसमिति रखरखाव के लिए पेयजल योजना के उपयोगकर्ताओं से शुल्क का संग्रह करेगी। वह शुल्क का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ समुचित कार्रवाई भी करेगी।
 4. नियमों के अनुसार निर्माण सामग्री की खरीद और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व भी वीडब्ल्यूएसएससी का होगा।
 5. उपसमिति पूँजी निवेश रकम को ग्राम पंचायत से हासिल कर उसे ग्राम जल और स्वच्छता उपसमिति के पूँजी व्यय खाते में जमा कराएंगी। वह योजना पर उसकी प्लानिंग के अनुरूप खर्च करेगी।
 6. पूँजी व्यय निवेश का विस्तार से हिसाब—किताब रखने का काम भी इस उपसमिति के जिम्मे होगा।
 7. जलापूर्ति और स्वच्छता योजना के संचालन और रखरखाव के लिए उपयोगकर्ता शुल्क भी वीडब्ल्यूएसएससी ही तय करेगी।
 8. यह उपसमिति मासिक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट क्रियान्वयन एजेंसी को सौंपेगी।

वीडब्ल्यूएसएससी द्वारा खातों का रखरखाव:

1. ग्राम जल और स्वच्छता उपसमिति दो अलग—अलग खाते खोलेगी। वह पूँजीगत खर्च तथा संचालन और रखरखाव के लिए अलग—अलग खाते रखेगी। इन खातों का निरीक्षण उसके अलावा ग्राम पंचायत भी करेगी।
2. इन खातों का संचालन और रखरखाव उपसमिति के सभापति और कोषाध्यक्ष करेंगे। क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर मुहैया कराया गया सामुदायिक लेखाकार खातों के रखरखाव और ऑडिटिंग में वीडब्ल्यूएसएससी की सहायता करेगा।
3. वीडब्ल्यूएसएससी पेयजल और स्वच्छता योजना के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव का काम देखेगी। इन कार्यों को ग्राम पंचायत अपनी खुली बैठक में मंजूरी देगी।

ग्राम पंचायत की भूमिका और जिम्मेदारियां

1. ग्राम पंचायत वीडब्ल्यूएसएससी द्वारा तैयार और जल प्रबंधन समिति के जरिए सौंपी गई योजना को मंजूरी देगी।
2. ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी से कोष हासिल करेगी। पेयजल योजना के लिए कोष का प्रबंधन उसके हाथों में

होगा। ग्राम निधि में प्राप्त रकम को वह 15 दिनों के भीतर वीडब्ल्यूएसएससी को चेक के जरिए हस्तांतरित कर देगी। वह विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग—अलग खाते रखेगी।

3. ग्राम पंचायत पेयजल योजना के लिए प्राप्त कोष के खातों का रखरखाव महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के मुताबिक करेगी।
4. ग्राम पंचायत ग्राम निधि खाते की ऑडिटिंग सुनिश्चित करेगी। ग्राम जल और स्वच्छता उपसमिति के खाते की ऑडिटिंग वीडब्ल्यूएसएससी ही सुनिश्चित करेगी।
5. पेयजल से संबंधित कार्यों के लिए एक खाता ग्राम पंचायत—स्तर पर खोला जाएगा। इसका संचालन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सचिव करेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव की गैर—मौजूदगी में परियोजना के किसी कार्यकर्ता को सहसचिव मनोनीत किया जा सकता है। इस खाते के परियोजना द्वारा रखरखाव के लिए एक सामुदायिक लेखाकार मुहैया कराया जाएगा।
6. ग्राम पंचायत पेयजल से संबंधित विवादों के अपने स्तर पर निपटारे के लिए प्रयास करेगी।

निष्कर्ष

ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में मांग—संचालित दृष्टिकोणों पर आधारित सुधार काफी सफल रहे हैं। उनकी इस सफलता का स्वजल सिद्धांतों को देशभर में मुख्यधारा में लाने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्यक्रम बनाने में बहुत योगदान रहा है। मांग—संचालित दृष्टिकोणों पर आधारित पिछले मॉडलों के अनुभव और ग्रामीण समुदायों, गैर—सरकारी संगठनों और सरकार के बीच भागीदारी तथा साझा वित्त प्रबंध समेत समुदाय केंद्रित सिद्धांत सफल साबित हुए हैं। हर चरण पर पारदर्शिता और हितधारकों द्वारा निगरानी से कोष में गड़बड़ी और उसके दुरुपयोग की आशंकाएं न्यूनतम हो जाती हैं। सेवाओं की डिलीवरी के विकेंद्रित मॉडल को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण एक व्यावहारिक और संवहनीय विकल्प है। आपूर्ति—आधारित मॉडल से मांग—संचालित मॉडल में तब्दीली के लिए एक नए दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। नए मॉडल की स्वीकार्यता के लिए विभिन्न चरणों पर निवेश की दरकार होती है। सामुदायिक प्रबंधन के मॉडल में अच्छी सहूलियत और समुचित तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक संवहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को कुछ बाहरी समर्थन दिया जाना भी अपरिहार्य है।

(डॉ. पी शिवराम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, तेलंगाना में ग्रामीण इंकास्ट्रक्चर केंद्र और आजीविका केंद्र के प्रोफेसर और प्रमुख हैं। विष्णु पार्थीपतेज पी श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में रिसर्च स्कॉलर और यूजीसी के जूनियर फेलो हैं।)

ईमेल: sivaram.nird@gov.in

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018

सभी जिलों में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा एक स्वतंत्र सर्वेक्षण

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (एसएसजी 2018) कार्यक्रम 13 जुलाई, 2018 को तीन राज्यों में लांच किया गया। एसएसजी 2018 के तहत एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी 1 से 31 अगस्त, 2018 के बीच सभी जिलों में सर्वेक्षण करेगी और स्वच्छता के मानदंडों के आधार पर सभी जिलों और राज्यों की रैंकिंग तैयार करेगी। सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों और जिलों को 2 अक्टूबर, 2018 को सम्मानित किए जाने की उम्मीद है।

इस अवसर पर एक श्रव्य-दृश्य संचार अभियान का

भी शुभारंभ किया गया, जिससे स्वच्छ भारत के एम्बेसेडरों सहित कई जानी-मानी हस्तियां जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, एसएसजी 2018 के लोगों और एसएसजी 2018 की विवरणिका भी जारी की गई, जिसमें इस पहल से जुड़े आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत पूरे भारत में 698 जिलों के 6980 गांवों को शामिल किया जाएगा। इन 6980 गांवों में स्थित 34,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वारश्य केंद्र, हाट/बाजार/धार्मिक स्थानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। एसबीएम से संबंधित मुद्दों पर 50 लाख से अधिक नागरिकों से सीधे बातचीत करके उनके फीडबैक को संग्रह किया जाएगा।

'एसएसजी 2018' का उद्देश्य 'एसबीएम-जी' से जुड़े महत्वपूर्ण मात्रात्मक एवं गुणात्मक पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और जिलों की रैंकिंग करना है। इस प्रक्रिया के तहत देशव्यापी संचार अभियान के जरिए ग्रामीण समुदायों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में बेहतरी लाने के कार्य से जोड़ा जाएगा।

इस प्रक्रिया के दौरान 65 प्रतिशत भारांक (वेटेज) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नतीजों को दिया गया है, जबकि 35



पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर नई दिल्ली में 13 जुलाई, 2018 को ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का शुभारंभ करते हुए

प्रतिशत भारांक सेवा क्षेत्र से जुड़े उन पैमानों को दिया गया है, जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छ ता मंत्रालय के आईएमआईएस से प्राप्त किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के विभिन्न अवयवों का भारांक इस प्रकार निर्धारित होगा :

- सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन: 30 प्रतिशत
- स्वच्छता के पैमानों पर नागरिकों से प्राप्त फीडबैक : 35 प्रतिशत
- एसबीएमजी-एमआईएस के अनुसार देश में स्वच्छता में सुधार पर सेवा-स्तरीय प्रगति : 33 प्रतिशत

इस अवसर पर सचिव ने ग्रामीण भारत में एसबीएम (जी) की दिशा में हुई प्रगति से जुड़े आंकड़ों को साझा किया। अक्टूबर 2014 में अपने शुभारंभ के बाद से लेकर अब तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण भारत में 7.7 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2017–18 में किसी अन्य पक्ष (थर्ड-पार्टी) द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण से इनके उपयोग का आंकड़ा 93 प्रतिशत दर्ज किया गया है। लगभग 4 लाख गांवों, 400 से भी अधिक जिलों और 19 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौचमुक्त घोषित किया है। □

10 नए स्वच्छ आइकॉन स्थानों के लिए स्वच्छता कार्ययोजनाएं स्वच्छ आइकॉन स्थान 100 प्रतिशत प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प

स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश के 10 नए विरासत स्थलों ने अपने स्वच्छता मानकों को उदाहरणीय स्तर तक बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई है। यह स्थान हैं— श्री राघवेन्द्र स्वामी मठ मंत्रालयम (आंध्र प्रदेश), हजारदुआरी पैलेस (पश्चिम बंगाल), श्री ब्रह्म सरोवर मंदिर (हरियाणा), विदुर कुटी मंदिर (उत्तर प्रदेश), माणा गांव (उत्तराखण्ड), पनगोंग तसो (जम्मू और कश्मीर), श्री नाग वासुकी मंदिर (उत्तर प्रदेश), नुपी किथेल (मणिपुर), श्री धर्म आस्था मंदिर (केरल) और कणवाश्रम (उत्तराखण्ड)। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के समन्वय से यह स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों (एसआईपी) का तीसरा चरण है। केंद्र तथा राज्य सरकार की एजेंसियों, स्थानीय प्रशासनों तथा प्रतिष्ठित स्थानों के ट्रस्ट/बोर्ड के बीच हैदराबाद में दो दिन के विचार-विमर्श के बाद कार्ययोजना तैयार की गई। इस विचार-विमर्श में पूरे देश से आए 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए सभी 30 स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की ओर से अपने स्थानों को प्लास्टिक से मुक्त बनाने का संकल्प आए प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया।

साथ-साथ चरण एक और चरण दो में स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों में शुरू किए गए 20 कार्यों की समीक्षा की गई। चरण-एक के अंतर्गत कार्यक्रम 2016 में मीनाक्षी मंदिर (तमिलनाडु), अजमेर शरीफ दरगाह (राजस्थान), छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (महाराष्ट्र), श्री जगन्नाथ मंदिर (ओडिशा),

मणिकर्णिका घाट (उत्तर प्रदेश) स्वर्ण मंदिर (पंजाब), कामख्या देवी श्राविन (असम), ताज महल (उत्तर प्रदेश), श्री माता वैष्णो देवी मंदिर (जम्मू और कश्मीर) तथा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (आंध्र प्रदेश) हैं।

चरण दो के अंतर्गत अन्य 10 स्थलों पर कार्य 2017 में प्रारंभ हुआ। ये स्थल हैं— श्री महाकालेश्वर मंदिर (मध्य प्रदेश), चार मीनार (तेलंगाना), कॉन्वेंट एंड चर्च ऑफ फ्रांसिस ऑफ एसीसी (गोवा), सोमनाथ मंदिर (गुजरात), गोमातेश्वर मूर्ति (कर्नाटक), कलाडी (केरल), गंगोत्री मंदिर (उत्तराखण्ड), यमुनोत्री मंदिर, गया, तीर्थ (बिहार) तथा बैद्यनाथ मंदिर (झारखण्ड)।

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल कार्यक्रम का उद्देश्य इन स्थानों पर उच्चस्तरीय स्वच्छता हासिल करना विशेषकर आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता है। स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति का कार्य बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का अनुसरण करते हुए केंद्र और चुने गए राज्यों ने देश के प्रतिष्ठित स्थलों को स्वच्छ बनाने का साझा प्रयास शुरू किया गया है। पेयजल और स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने अंतर-क्षेत्रीय पहल से हुए प्रगति कार्य पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी हितधारकों से और अधिक समन्वित रूप से कार्य करने को कहा और इसमें स्थानीय लोगों और आगंतुकों को शामिल करने का आग्रह किया। श्री अय्यर के साथ एसआईपी के भागीदारों ने हैदराबाद के चारमीनार के आसपास स्वच्छता कार्य को देखा। □



पेयजल और स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर और एमडीडब्ल्यूएस महानिदेशक (विशेष परियोजनाएं) श्री अक्षय राजत ने हैदराबाद के चारमीनार के आसपास स्वच्छता कार्य का मुआयना किया



CHANAKYA IAS ACADEMY

CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.
Under the direction of Success Guru AK MISHRA

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,

4000+ Selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

Our Successful Candidates in CSE-2017

5 IN TOP 10

11 IN TOP 20

42 IN TOP 100

Total 355+ Selections



RANK- 4



RANK- 6



RANK- 7



RANK- 8



RANK- 9

IAS 2019

UPGRADED FOUNDATION COURSE™

A complete solution for Prelims, Mains & Interview

BATCH DATES: 10th July, 10th August, 10th September

Weekend Batches Also Available

हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध

NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

SOUTH DELHI BRANCH/HO: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Gate No. 1, Delhi-21, Ph: 011-26113825, 9971989980/ 81

www.chanakyaiasacademy.com

Our Branches

Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955

Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137

Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 8294571757

ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने में बैंकों का योगदान

—सतीश सिंह

बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विगत सालों में बैंकों का प्रसार ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा है। जहां बैंक की शाखा नहीं है, वहां सीएसपी या मिनी बैंक हैं। मार्च, 2018 तक स्टेट बैंक के 58,274 मिनी बैंक अस्तित्व में आ चुके थे, जो गांवों में कार्य कर रहे हैं, वहीं, मार्च, 2018 तक स्टेट बैंक ने 59,541 एटीएम की स्थापना की थी, जिनका बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में फैलाव है।

इक्कीसवीं शताब्दी के 18वें साल में भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन इसे सही मायनों में रीढ़ बनाने के लिए बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है। विसंगतियां कई हैं। आधारभूत संरचना का अभाव उनमें से एक है। इसे बिना मजबूत बनाए कृषि को फायदेमंद व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता है।

अधिकांश गांवों के सड़क से जुड़े नहीं होने के कारण ग्रामीण न तो समय पर सब्जी और अनाज बाजार पहुंचा पाते हैं और न ही बीमार पड़ने पर समय पर नजदीकी अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी मेहनत का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है और प्रभावित ग्रामीण असमय ही काल—कवलित हो रहे हैं। पूरे देश में अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं छोटे उद्योगों का विकास बाधित है। खेतों की सिंचाई भी इसी वजह से नहीं हो पा रही है। गांवों में स्कूलों का भी अभाव है। पढ़े—लिखे नहीं होने के कारण ग्रामीण अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों से अंजान हैं, जिसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं।

क्या है आधारभूत संरचना

ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, पुल, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता, विद्युत की सुचारू आपूर्ति, अस्पताल एवं स्कूल की व्यवस्था, दुर्घट प्रसंस्करण इकाई, दुर्घट संग्रहण केंद्र, मिट्टी जांचकेंद्र की स्थापना, सोलर प्रणाली का विकास आदि को आधारभूत संरचना माना जा सकता है।

खेती—किसानी की मौजूदा स्थिति

देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी अभी भी गांवों में बसती है, लेकिन आज भी उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। ग्रामीणों की समस्याओं

की एक लंबी फेहरिस्त है। वर्ष 2017 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 14 प्रतिशत थी, जिसमें पशुधन भी शामिल है। देश में कृषि रोजगार का मुख्य साधन है, जिससे 60 प्रतिशत लोग जुड़े हैं। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक छोटे किसान हैं। विगत 10 सालों में भारत की कृषि वृद्धि दर 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही, जो इस बात का संकेत है कि खेती—किसानी को अपेक्षित तवज्ज्ञों नहीं मिल पा रहा है। आज भी इसे फायदे का सौदा नहीं माना जाता है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार का आंकड़ा छद्म है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जिस कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है, उसे अनेक लोग मिलकर कर रहे हैं। इस वजह से 100 रुपये की कमाई पर एक से अधिक लोग निर्भर हैं। गांव वाले वित्तीय साक्षरता से महरूम हैं, जबकि जीवनयापन के लिए वित्तीय साक्षरता का होना जरूरी है। बैंक से जुड़ने से ग्रामीणों के लिए पैसा कमाना आसान हो सकता है। बैंक से जुड़ने के अनेक लाभ हैं। बैंक कर्ज के अलावा जमा, अंतरण, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते





हैं। बैंक द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से 24 घंटे और 365 दिन कभी भी वित्तीय लेनदेन किया जा सकता है।

बैंक से नहीं जुड़े होने के कारण लोग जरूरत होने पर महाजन से कर्ज लेते हैं, जो किसानों या मजदूरों की वित्तीय अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। वैसे, स्थिति में पहले से सुधार आया है। विश्व बैंक की अनुषंगी की "वैश्विक फाइंडेक्स" रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 19 करोड़ वयस्कों का कोई बैंक खाता नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सेवाओं से वंचित महिलाओं की संख्या करीब 56 प्रतिशत है, जो बताता है कि महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

गांवों में आज भी करोड़ों ऐसे किसान हैं, जिनकी खुद की जमीन नहीं है। भूमिहीन किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। खुद की जमीन नहीं होने के कारण बैंकों से उन्हें कर्ज नहीं मिल पाता है साथ ही साथ उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जो किसान बैंक से जुड़े नहीं हैं वे अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फसल बीमा की जानकारी नहीं होती है। सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लेकर आई है, लेकिन इस संबंध में किसानों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। फसलों का बीमा होने से प्राकृतिक आपदाओं जैसे, बाढ़, सूखा, महामारी की चपेट में आने पर किसानों को राहत मिल सकती है।

कृषि क्षेत्र में पहल

सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई नई योजनाओं को शुरू करने की पहल की है। उदाहरण के लिए जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूल पहल है, जिसका मकसद रसायनमुक्त उत्पादों और लाभकारी जैविक सामग्री का इस्तेमाल करके भूमि को सुधारना तथा फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है।

मिट्टी की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच एक अच्छी पहल है। यह हर दर्जे के किसानों के लिए जरूरी है। इससे उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी किसानों को मिल रही है। इससे खेती की लागत को कम करने तथा बेहतर मृदा प्रबंधन से फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी किसानों को मदद मिल रही है।

जैविक खेती को मृदा को स्वरूप और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की शुरुआत समझा जा सकता है। इसके तहत पारंपरिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी को किसानों को उपलब्ध कराया गया है। ये छोटे व मझोले किसानों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, ताकि वे कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकें। पिछले दो दशकों में लाखों किसानों ने इस पद्धति को अपनाया है।

जैव प्रौद्योगिकी को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। आने वाले समय में बायो तकनीक का इस्तेमाल कृषि एवं उद्योग जगत दोनों के लिए मुफीद हो सकता है। फूड एंड बेवरेज, टैक्सटाइल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कृषि, पशुपालन, न्यूट्रीशन

और पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्र में इस विज्ञान की मदद से किसान एवं अन्य उद्यमी लाभान्वित हो सकते हैं।

बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में बैंकों की भूमिका

गांवों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए सरकार पंचायतों के माध्यम से सड़क, पुल, स्कूल व कॉलेज, अस्पताल आदि के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराती है, लेकिन अक्सर भ्रष्टाचार की वजह से इनका निर्माण दोयम दर्जे का होता है और लंबे समय तक इनका उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। स्थिति में सुधार हेतु ग्रामीण स्वयं स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल बनाने के लिए पहल कर रहे हैं। वित्तीय कमी की पूर्ति वे बैंकों से सहायता लेकर कर रहे हैं।

वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। इस उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों यथा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कृषि पर अनेक उद्योग निर्भर हैं। जूट, खाद्य तेल, शक्कर, कपड़े आदि उद्योगों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इन उद्योगों की सफलता पूरी तरह से फसलों के उत्पादन पर निर्भर करती है। कृषि से जुड़े क्षेत्रों में पशुपालन, मछली पालन, कुकक्ट पालन, दुग्ध उत्पादन आदि को रखा जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंक कृषि ऋण, यथा, किसान क्रेडिट कार्ड, मियादी ऋण, कृषि गोल्ड ऋण, ट्रैक्टर ऋण, सिंचाई के उपकरणों के लिए ऋण आदि मुहैया करा रहे हैं। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों जैसे, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुकक्ट पालन एवं कृषि पर आधारित उद्योगों मसलन, शक्कर, जूट व कपड़ा मिल, खाद्य तेल की फैक्ट्री आदि के लिए बैंक कर्ज मुहैया कराते हैं। सब्जी, फल एवं अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बैंक कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस के लिए कर्ज देते हैं। इसके अलावा बैंक सड़क निर्माण से जुड़े उपकरणों, जैसे, ट्रैक्टर, रोड रोलर आदि एवं कुटीर उद्योगों, स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल आदि के लिए कर्ज उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में बिजली की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना आसान नहीं है। लिहाजा, बैंक सौर ऊर्जा के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि इससे आसानी से ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई जा सकती है।

खेती-किसानी के लिए ऋण

खेतों को कृषि के अनुकूल बनाने एवं अधिकतम पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ट्रैक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर और सिंचाई के उपकरणों यथा, पाइपलाइन, पंपिंग मशीन आदि के लिए कर्ज मुहैया कराते हैं। बैंक हॉर्टिकल्चर एवं नकदी फसलों जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि के लिए भी कर्ज मुहैया कराते हैं। नकदी फसलों से कृषि आधारित उद्योग जुड़े हुए हैं जैसे गन्ना, कपास, जूट, सोयाबीन, तीसी, सरसों आदि।



कृषि – संबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण

हमारे देश में खेती—किसानी भगवान भरोसे चल रहा है। जिस साल बारिश अच्छी होती है उस साल बंपर पैदावार होती है, लेकिन जिस साल मानसून की चाल गड़बड़ होती है उस साल सूखे की स्थिति बन जाती है। देश के सभी इलाकों में अभी भी बिजली की सुविधा नहीं है। गरीबी की वजह से अधिकांश किसान पंथिंग मशीन की मदद से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को दृष्टिगत करके बैंक पशुपालन, मछली पालन, कुककट पालन, दुग्ध उत्पादन आदि के लिए ऋण देते हैं।

सरकार की कोशिशों की वजह से 'ब्लू रिवोल्यूशन', कृषि विविधिकरण व पोल्ट्री में नई नस्लों को बढ़ावा देने जैसी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। मछली पालन हेतु नई प्रजातियों का पालन इस आलोक में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। इतना ही नहीं मछली पालन के लिए नस्लों के अलावा इनको बीमारी से बचाने के लिए डाइग्नोस्टिक किट्स बनाई जा रही हैं। देश में अब पशुओं की नस्ल बढ़कर 160 तक पहुंच गई है। पशुओं के लिए भी वैक्सीन और डाइग्नोस्टिक किट विकसित की गई है।

इतना ही नहीं, जैव प्रोद्योगिकी और कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बछड़ों का क्लोन और टेरस्टट्यूब याक भी पैदा किए जा रहे हैं। दुधारू पशुओं की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नस्लों के विकास एवं संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि अच्छी नस्लों को बचाया जा सके। बेशक, इनसे किसानों की आय के नए साधन विकसित होंगे।

बड़े उद्योगों के लिए ऋण

चीनी, जूट, कपड़ा तथा तेल उत्पादन करने वाले कारखानों को कैश क्रेडिट, मियादी और कॉर्पोरेट्स ऋण देकर बैंक किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाने में मदद कर रहे हैं। अगर मिलें या कारखाने नहीं रहेंगे तो किसानों की फसलें नहीं बिक सकेंगी।

कुटीर उद्योगों के लिए ऋण

कुटीर उद्योग को खड़ा करने में बैंकों की अहम भूमिका है।



इस आलोक में स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में खेती—किसानी मुख्य तौर पर मानसून पर निर्भर है। इसके कारण किसान साल के 6 महीने बेरोजगार रहते हैं। कुटीर उद्योग के विकास से गांव में बेरोजगारी की समस्या का बहुत हद तक समाधान किया जा सकता है। इससे ग्रामीणों को कम कीमत पर वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। इन्हें शहर में बेचकर ग्रामीण मुनाफा भी कमा सकते हैं।

बैंकों में एसएचजी—बैंक क्रेडिट लिंकेज वर्ष 1992 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नाबार्ड ने शुरू किया था। इसके तहत बैंक एसएचजी को कुटीर उद्योग शुरू करने, मकान बनाने, शिक्षा प्राप्त करने, बच्चों की शादी करने, कर्ज चुकाने आदि के लिए कर्ज देते हैं। इसकी मदद से किसान महाजनों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। यह ऋण कैश क्रेडिट और मियादी ऋण के तौर पर दिया जाता है। ऋण की राशि आमतौर पर समूह द्वारा जमाराशि का चार गुना होती है। दोबारा ऋण लेने पर समूह की बाजार में साख, ऋण के उपयोग करने की क्षमता, प्रबंधन कला, जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर जरूरत के अनुसार ज्यादा ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस ऋण में मार्जिन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि समूह द्वारा जमाराशि को ही मार्जिन मान लिया जाता है।

कुटीर उद्योग को शुरू करने, संचालन व मार्केटिंग आदि के लिए बैंक समूह को प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। बैंक, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, एसएचजी के अलावा गैर—सरकारी संगठन (एनजीओ) और सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थानों को भी कर्ज देते हैं।

माइक्रो फाइनेंस की सुविधा विगत कुछ दशकों पहले शुरू की गई थी। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले गैर—सरकारी संगठन एवं ट्रस्ट पंजीकृत होते हैं और उनका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के सेक्षण 25 के अधीन किया जाता है। बैंक के अलावा कुछ दूसरे वित्तीय संस्थान भी अन्य बड़े उधारदाता माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा देते हैं।

अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए ऋण

ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसान गोल्ड ऋण, मुद्रा ऋण, वैयक्तिक ऋण आदि दिए जा रहे हैं। इन ऋणों की मदद से किसान, मजदूर, शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण एवं कर्सायी इलाकों में खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आटा चक्की, कोल्हू आदि की स्थापना के लिए भी बैंक ऋण देते हैं।

सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए ऋण

पर्याप्त संसाधनों की कमी की वजह से देश के दूरदराज, खासकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाना अभी भी सपना बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक इलेक्ट्रिक ग्रिड से बिजली पहुंचाना मुश्किल



भरा कार्य है। उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक बिजली के पहुंचने के क्रम में ऊर्जा का बड़े पैमाने पर क्षय होता है। लिहाजा, ग्रामीण इलाकों में बिजली मुहैया कराने के लिए सौर ऊर्जा को सबसे बेहतर विकल्प माना जा सकता है। नवंबर, 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 30 करोड़ लोग बिना बिजली के रह रहे थे। बिहार में स्थित धरनई गांव में बिजली सौर ऊर्जा से आती है।

इस गांव के पास खुद का पावर ग्रिड है और यहां 100 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जाहिर है, देश के दूसरे गांवों में भी इसी तर्ज पर सौर ऊर्जा की पावर ग्रिड स्थापित की जा सकती है।

बैंक और गैर-वित्तीय संस्थानों ने 21 मार्च, 2016 तक सौर ऊर्जा के विकास के लिए 71,200 करोड़ रुपये का कर्ज सौर ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों हेतु स्वीकृत किए थे, जिसमें से 29,530 करोड़ रुपये का भुगतान संबंधित कंपनियों को किया जा चुका था।

ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर फोटोवॉल्टिक लाईटिंग प्रणाली की स्थापना के लिए कैपिटल संबिंदी योजना शुरू की है। ऐसा करने से व्यक्तियों और संगठनों को कम पूंजी लागत में सौर ऊर्जा प्रणालियों की खरीद में सहायता मिलेगी, जिससे वे सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए प्रेरित होंगे। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) के माध्यम से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार ने सभी बैंकों को शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में सौर-ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के लिए ऋण देने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए बैंक अनेक ऋण योजनाएं चला रहे हैं। केनरा बैंक गृह ऋण के साथ रुफटॉप फोटोवॉलेटिक सोलर सिस्टम (पीभी) के लिए कर्ज मुहैया करा रहा है। रुफटॉप फोटोवॉलेटिक सोलर प्रणाली की स्थापना के लिए दूसरे बैंक भी ऋण दे रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक भी ग्रिड कनेक्टेड रुफटॉप सोलर परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है।

निष्कर्ष

आज भी खेती—किसानी हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु है। इसके साथ कई आयाम जुड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों की अगली पीढ़ी आधुनिक तकनीकी के साथ योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार हो, जो नए कौशल के साथ जुड़कर व नई बाजार की समझ को विकसित कर संभव हो सकता है। युवाओं की कृषि में भागीदारी नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। स्पष्ट है, खेती—किसानी की बेहतरी का रास्ता युवाओं और विज्ञान के उपयोग से ही तय हो सकता है। प्रतिभाशाली युवाओं के योगदान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सुनिश्चित करना एवं कृषि क्षेत्र में पेशेवर कौशल को तैयार करना आज एक बड़ी चुनौती है। देश में युवा कृषि से जुड़े, इसके लिए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना जरूरी है।

बुनियादी सुविधाओं तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने

के लिए विगत सालों में बैंकों का प्रसार ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा है। जहां बैंक की शाखा नहीं है, वहां सीएसपी या मिनी बैंक हैं। मार्च, 2018 तक स्टेट बैंक के 58,274 मिनी बैंक अस्तित्व में आ चुके थे, जो गांवों में कार्य कर रहे हैं, वहीं, मार्च, 2018 तक स्टेट बैंक ने 59,541 एटीएम की स्थापना की थी, जिनका बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में फैलाव है।

विश्व बैंक की अनुषंगी द्वारा जारी "वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट" में कहा गया है कि भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। खाताधारकों की संख्या जो वर्ष 2011 में 35 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2014 में बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई और अब 2017 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई है।

बैंकों ने डिजिटल मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है। मोबाइल बैंक के आने से ग्राहक कभी भी वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं। जनधन खातों में संतोषजनक लेनदेन करने पर बैंक ऋण की सुविधा भी ग्रामीणों को उपलब्ध करा रहे हैं।

बैंक हर साल मुद्रा लोन स्वीकृत करने एवं उन्हें वितरित करने का लक्ष्य हासिल करने में सफल हो रहे हैं। इसके तहत खुद का कारोबार करने वालों को ऋण मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस उत्पाद की मदद से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है।

कृषि क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने के लिए बैंक भूमि सुधार, सिंचाई, कोल्ड स्टोर के निर्माण, अनाज भंडारण के लिए वेयरहाउस के निर्माण, कुटीर उद्योग, सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना आदि के लिए ऋण मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा नकदी फसल एवं उससे जुड़े उद्योग, अस्पताल व स्कूल, पशुपालन, कुक्कट पालन, दुग्धपालन, कुटीर उद्योग, सड़क निर्माण से जुड़े उपकरणों जैसे, रोड रोलर, ट्रैक्टर आदि के लिए भी बैंक ऋण दे रहे हैं।

ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में बैंकों की अहम भूमिका है और बिना इनके सहयोग के गांवों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सपना साकार नहीं हो सकता है। ऐसे में सरकार को बैंकों की स्थापना के साथ—साथ उनके द्वारा दी जा रही जन—सुविधाओं को लगातार सुधारने के लिए भी व्यापक कदम उठाने होंगे। तभी वित्तीय समावेशन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो पाएगा।

संदर्भ


- बैंकों की वेबसाइट्स, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट
- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट (लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और आर्थिक एवं बैंकिंग विषयों पर आधारित पत्रिका "आर्थिक दर्पण"

के संपादक हैं।)

ई—मेल : satish5249@gmail.com



हमारे नए प्रकाशन



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003



@DPD_India



www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें www.bharatkosh.gov.in

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

आर्डर के लिए संपर्क करें-

फोन : 011-24367453, 24367260,
24365609,

ई मेल : pdjucir@gmail.com,
businesswng@gmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रगति और लक्ष्य

सड़कों किसी भी विकास योजना का प्रमुख अंग होती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सन् 2000 में अपनी शुरुआत के बाद से 1,52,124 बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में सफल रही है जो इस योजना के तहत पात्र कुल 1,78,184 बस्तियों का 85.37 प्रतिशत है। राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण सड़कों के महत्व और तत्काल इनके निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के प्रथम चरण को पूरा करने की तारीख 2022 के स्थान पर 2019 कर दी गई है। इस त्वरित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1,78,184 पात्र बस्तियों में से 1,66,012 बस्तियों (93 प्रतिशत) को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 2017–18 में सभी मौसमों में चालू रहने वाली अपनी सड़कों के माध्यम से सड़क सुविधा से वंचित 11,499 बस्तियों को पहली बार विकास का यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटक उपलब्ध कराया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक प्रतिशत से कम पात्र बसावटों के लिए सड़क संपर्क स्वीकृत होने बाकी हैं। बाकी 6 प्रतिशत बसावटें या तो व्यावहारिक नहीं हैं या उनके लिए राज्यों ने अपने संसाधनों से सड़कें मंजूर कर दी हैं। 1,52,124 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है (इनमें राज्य सरकारों द्वारा सड़कों से जोड़ी 16,380 बसावटें भी शामिल हैं)। इसके अलावा 100–249 आबादी वाली 2109 बसावटों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,50,533 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।

केंद्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम राज्य सरकारों की साझेदारी से लागू किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में इसकी रफ्तार और गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जिससे इनमें लगातार सुधार हुआ है। 2017–18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण की रफ्तार आठ साल में सबसे तेज स्तर 134 कि.मी. प्रतिदिन पर पहुंच गई जबकि 2011 से 2014 तक की अवधि में यह औसतन 73 कि.मी. प्रतिदिन थी। 2017–18 में 11,499 पात्र बसावटों को जोड़ने के लिए कुल 48,751 कि.मी. सड़कें बनाई गईं और इनकी औसत रफ्तार 134 कि.मी. प्रतिदिन रही।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—द्वितीय अब तक 13 राज्य योजना के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। 50,000 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले 32,024 कि.मी. लंबी सड़कें स्वीकृत की जा चुकी हैं और 17,705 कि.मी. लंबी सड़कों का उच्चीकरण किया गया है। अन्य राज्यों के वित्त वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में पहुंच जाने की संभावना है।

मंत्रिमंडल ने वामपंथी अतिवाद के असर वाले इलाकों में सड़क संपर्क कायम करने के लिए दिसंबर 2016 में एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 5,411.81 कि.मी. लंबी 340 सड़कों और 126 पुलों में से 4,134.69 कि.मी. लंबी 268 सड़कों और 181 पुलों की स्वीकृति 2017–18 में दी गई। इन इलाकों में सड़क निर्माण का कार्य 2020 तक पूरा होने की संभावना है। ये सड़कें वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त 267 ब्लॉकों में 100–249 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना के अलावा हैं जिनका कार्य 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

सड़कों में सुधार, जीवन में सुधार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में न सिर्फ सड़कों के निर्माण का प्रयास किया जाता है बल्कि यह भी कोशिश की जाती है कि श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो। इसमें गुणता प्रबंधन की जो अंतर्निहित प्रणाली जोड़ी गई है उसमें स्वयं गुणवत्ता का ध्यान रखने के उपायों के साथ—साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर





स्वतंत्र रूप से सत्यापन की भी व्यवस्था है। 2017–18 में राज्यों के क्वालिटी मॉनीटरों ने 39,811 निरीक्षण किए जबकि राष्ट्रीय गुणता निरीक्षकों के 9,204 निरीक्षण हुए। इस सघन मानीटरिंग से सड़कों की गुणवत्ता पर अच्छा असर पड़ा है। 2013–14 में निर्मित सड़कों में से 13.98 प्रतिशत को असंतोषजनक श्रेणी में रखा गया। सड़कों की गुणवत्ता में 2017–18 में काफी सुधार हुआ और बनाई जा चुकी केवल 7.46 प्रतिशत सड़कों को ही असंतोषजनक की श्रेणी में रखा गया है। सड़कों के निर्माण में तमाम कमियों को दूर करने के लिए निरीक्षण के बाद सुधार की कार्रवाई की जाती है।

पारदर्शिता

पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय के तौर पर योजना में मेरी सड़क मोबाइल एप के जरिए नागरिक फीडबैक प्रणाली को जोड़ा गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यह एप 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह नागरिकों के साथ सीधा संपर्क कायम करता है और इसमें उपलब्ध जी2सी प्लेटफार्म से नागरिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम पर अमल के बारे में किसी भी समय फीडबैक हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में 25,411 शिकायतों/फीडबैक में से 24,791 (97 प्रतिशत) के अंतिम उत्तर दिए जा चुके हैं।

नई टेक्नोलॉजी : हरित सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जलवायु से प्रभावित न होने वाली सड़कों के निर्माण के लिए गैर-परांपरागत, स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री (प्लास्टिक अपशिष्ट, कोल्ड मिक्स, फ्लाई एश, पटसन और नारियल रेशे, लोहे और तांबे के अपशिष्ट, प्रकोष्ठ में भरी सीमेंट, सीमेंट व कंक्रीट के पैनल आदि) और ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इन टेक्नोलॉजी को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में 33,888 कि.मी. लंबी सड़कें मंजूर की गई हैं इसमें से 17,785 कि.मी. सड़कें बनाई जा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2017–18 में ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग से 6,313 कि.मी. सड़कों के निर्माण का रिकार्ड बनाया गया है। राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना के तहत इस तरह की सड़कों के निर्माण में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रमुख प्राथमिकताएं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-प्रथम के अंतर्गत सभी पात्र बस्तियों/बसावटों को मार्च 2019 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के अनुसार मंत्रालय ने 2018–19 में 19,725 बस्तियों को जोड़ने के लिए 61,000 कि.मी. लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी तरह करीब 12,000 कि.मी. सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाने का भी लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2018–19 में नेशनल क्वालिटी मानीटर्स के 8,670 निरीक्षण और राज्य क्वालिटी मानीटर्स के 35,630 निरीक्षण कराने का भी लक्ष्य है।

ग्रामीण सड़कों के लिए सामुदायिक ठेकेदारी पहल

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों का रखरखाव मंत्रालय के विचार का प्रमुख विषय है। विभिन्न एडवोकेसी वर्कशॉप आदि के जरिए 23 राज्यों की ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की नीतियां बनाई गई हैं। इन सड़कों की रखरखाव प्रणाली को चुस्त-दुरस्त करने के लिए मध्य प्रदेश में उपयोग में लाए जा रहे ई-मार्ग सॉफ्टवेयर को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा।

मंत्रालय ने सड़कों के रखरखाव में स्वयंसहायता समूहों को शामिल करने के लिए एक परीक्षण परियोजना प्रारंभ की। उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के दिशा-निर्देशन में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए सामुदायिक ठेकेदारी की शुरुआत सभी पंजीकृत महिला मंगल दल से की। सड़कों के विकास के लिए सामुदायिक ठेकेदारी न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण का एक माध्यम है बल्कि इससे सड़कों के रखरखाव में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, सामुदायिक सशक्तीकरण भी होता है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भी इस मॉडल का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।

सूचना टेक्नोलॉजी का उपयोग

राज्यों द्वारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओएमएमएस पर भेजे गए उपग्रह चित्रों का उपयोग सड़कों का निर्माण पूरा होने की पुष्टि करने के लिए किया जा रहा है। 28 राज्यों के सभी जिलों में शुरू किया गया जीआईएस का कार्य 19 राज्यों में पूरा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा चुकी ग्रामीण सड़कों के मानवित्रण के लिए भू-स्थानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और इसमें दूर संवेदन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के ग्रामीण विकास के लिए जीओइन्फोर्मेटिक्स अनुप्रयोग केंद्र द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। □

वर्ष	निर्मित सड़कों की लंबाई	प्रतिदिन निर्माण दर (कि.मी.)
2011-12	30994.50	85
2012-13	24161.29	66
2013-14	25316.40	69
2014-15	36336.81	100
2015-16	36449.36	100
2016-17	47447.00	130
2017-18	48750.66	134

स्वच्छता की अनूठी पहल

महाराष्ट्र के पुणे में 6 जुलाई से 22 जुलाई 2018 तक आयोजित एक पारंपरिक धार्मिक महोत्सव में अनूठी पहल देखने में आई। जिला प्रशासन के अनुरोध पर प्रसिद्ध वारी तीर्थयात्री तीर्थमार्ग पर स्थित घरों के लोगों ने पंदरपुर तक की 15 दिन की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अपने घरों के शौचालय प्रयोग करने दिए। इस तरह जिला प्रशासन के अनुरोध की अनूठी पहल पर लोगों ने भी अनूठा उदाहरण पेश किया।

महाराष्ट्र की 333 वर्ष पुरानी महान परंपरा पालकी या जुलूस को पूरे राज्य में मनाया जाता है और इस वर्ष यह 6 जुलाई से आरंभ होकर 22 जुलाई को खत्म हुई। राज्य के भीतर और बाहर से आमतौर पर 10 लाख तीर्थयात्री या वरकारी इस जुलूस में शामिल होते हैं। वार्षिक तीर्थयात्रा हिंदू देवता विठोबा के स्थान पंदरपुर में समाप्त होती है। देवता के सम्मान में पालकी में संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम के पदचिह्न रखे जाते हैं। ज्ञानेश्वर का जुलूस अलंदी से आरंभ होता है और तुकाराम का जुलूस देहू से शुरू होता है। आषाढ़ी एकादशी को पंदरपुर पहुंचने पर ये श्रद्धालु विट्ठल मंदिर में प्रवेश से पूर्व पवित्र चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं।

250 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान प्रत्येक मार्ग पर यात्री आमतौर पर कुछ निश्चित गांवों में 15 बार पड़ाव डालते हैं। उन गांवों के निवासियों द्वारा यात्रियों को भोजन एवं जलपान कराया जाना सामान्य है। पिछले दो वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन — ग्रामीण (एसबीएम—जी) अभियान के अंतर्गत पूरे जिले में दो लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। हालांकि एक मार्ग पर 500

और दूसरे मार्ग पर 700 सामुदायिक शौचालय बनाए गए, लेकिन लंबी यात्रा पर निकले विशाल जनसमूह के लिए वे कभी पर्याप्त नहीं थे। प्रत्येक वर्ष बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन इस वर्ष जन सहयोग से इस समस्या का समाधान भी हो गया। जिला प्रशासन के अनुरोध पर प्रसिद्ध वारी तीर्थ मार्ग पर स्थिति घरों के लोग पंदरपुर तक की 15 दिन की यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अपने घरों के शौचालय प्रयोग करने दिए।

जिला परिषद पुणे के मुख्य कार्य अधिकारी श्री सूरज मंधारे ने ग्राम समुदायों से अनूठी अपील की। उन्होंने तीर्थयात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले सभी घरों से अपने निजी शौचालयों का प्रयोग वरकारियों (तीर्थयात्रियों) को करने देने का अनुरोध किया। इनमें से अधिकतर शौचालय पिछले दो वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। प्रत्येक शौचालय पर एक सफेद झंडी लगाई गई ताकि पता चल सके कि थके हुए तीर्थयात्री इसका मुफ्त प्रयोग कर सकते हैं।

अपील ब्लॉक अधिकारियों, ग्रामसेवकों और स्कूल शिक्षकों के जरिए की गई और अखबारों तथा पोस्टरों के जरिए भी संदेश दिया गया।

मुख्य कार्य अधिकारी ने कहा, "मुझे यह देखकर बहुत अचंभा हुआ कि लोगों ने इस अपील के जवाब में इतनी अधिक प्रतिक्रिया की। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी अपने शौचालयों को तीर्थयात्रियों के लिए खोल रहे हैं।" आश्चर्य की बात है कि ग्राम पंचायतों ने भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए। "सरकार ने बहुत छोटी भूमिका अदा की है, लोग स्वयं ही ये कदम उठा रहे हैं और मैं लोगों की उदारता की सराहना करता हूं।"

लाल—पीली झंडियां लिए लोगों के कारण जुलूस बहुत रंग—बिरंगा है। इसलिए शौचालयों की ओर संकेत करने वाली झंडियां सफेद रखी गई ताकि वे अलग से दिख जाएं।

लोगों के अपने घरों को यात्रियों के लिए खोल दिया और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए शौचालयों की संख्या सामुदायिक शौचालयों से निश्चित रूप से अधिक रही होगी। सामुदायिक भागीदारी के इस अनूठे उदाहरण की बदौलत "इस वर्ष यह तीर्थयात्रा न केवल सदियों पुराने उत्साह से मनाई गई बल्कि अधिक स्वच्छ और स्वस्थ तरीके से संपन्न हुई।" □





सिक्किम में ओडीएफ गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रयास

पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम 27 मई, 2016 को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित होने वाला पहला राज्य था। ओडीएफ दर्जा बनाए रखने के लिए राज्य समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी करता रहा है, जिनके जरिए प्रत्येक घर में परिवार के इस्तेमाल के लिए एक स्वच्छ शौचालय होना अनिवार्य कर दिया गया है और प्लास्टिक पर सख्ती बरती गई है तथा कचरे में कमी को बढ़ावा दिया गया है।

गंगटोक में सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग द्वारा 1 जून, 2016 को जारी परिपत्र में कहा गया, “स्वच्छता राज्य का विषय है और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। यह स्थानीय निकायों का भी दायित्व है, इसलिए (पीआरआई) पंचायती राज संस्थाओं के सभी सदस्यों, जिले, ब्लॉक और जीपीयू स्तर के अधिकारियों/पदाधिकारियों से ओडीएफ दर्जा बरकरार रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने का अनुरोध किया जाता है। यदि कोई खामी हो तो उसे पीआरआई के साथ मौजूद संसाधनों के उपयोग से फौरन सही किया जाए।”

परिपत्र के साथ एक अधिसूचना भी थी, जिसमें सिक्किम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2005 में किए गए विभिन्न संशोधनों की जानकारी थी। अधिनियम की धारा 16 में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के अनुरूप संशोधन किया गया है और जोड़ा गया है कि “यदि उसके पास अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए साफ और स्वच्छ शौचालय नहीं है।” इससे प्रत्येक घर में एक शौचालय होना अनिवार्य हो गया है।

राज्य सरकार भी कचरे के प्रबंधन के लिए और वातावरण साफ बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय करती आ रही है। बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े कचरे में डिस्पोजेबल स्टाइरोफोम

और अन्य डिस्पोजेबल (इस्तेमाल के बाद फेंकने योग्य) वस्तुएं भारी मात्रा में पाए जाने के कारण उसने एक अधिसूचना जारी की जिसमें बताया गया कि ऐसे उत्पाद पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और कचरा भराव क्षेत्र में ये बहुत अधिक स्थान घेरते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि बहुत गर्म सामग्री को स्टाइरोफोम के डिब्बों में खाना स्वास्थ्यकर नहीं है।

सिक्किम के राज्यपाल के नाम से 19 मई, 2016 को जारी आदेश में कहा गया, “इसीलिए पूरे राज्य में स्टाइरोफोम से निर्मित कप, प्लेट, चम्मच, डिब्बों जैसी डिस्पोजेबल सामग्री की बिक्री और प्रयोग पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए सरकार को प्रसन्नता हो रही है।”

सिक्किम सरकार द्वारा 19 मई, 2016 को जारी एक अन्य अधिसूचना विभागीय बैठकों और समारोहों के दौरान बोतलबंद पेयजल के अत्यधिक इस्तेमाल से संबंधित थी। इस पेयजल के कारण भारी मात्रा में कूड़ा जमा होता है और जमीनी गड्ढों में कचरा भरने का बोझ भी बढ़ जाता है।

अधिसूचना में कहा गया ‘पेयजल की इस्तेमाल की गई प्लास्टिक बोतलों के रूप में कचरे के सृजन में कटौती के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि सरकारी बैठकों और समारोहों के दौरान पेयजल की पैकेजेड बोतलों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है।’

विकल्प के रूप में सभी विभागों को सरकारी समारोहों में फिल्टर किए हुए पानी अथवा पुनः प्रयोग योग्य बड़े वाटर डिस्पेंसर से पानी का उपयोग करने या पुनः इस्तेमाल लायक पानी की बोतलें रखने का सुझाव दिया गया और इसके लिए प्रोत्साहित भी किया गया।

फरवरी, 2015 में एक भी अधिसूचना जारी की गई थी जिसका उद्देश्य सभी घरों में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना था चाहे वह सरकारी सहायता से बनाया गया हो या अपने धन से। इसमें कहा गया, “...सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक परिवार में स्वच्छ शौचालय चालू हालत में होना अनिवार्य है।” इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार का अनुदान अथवा लाभ चाहता है तो उसे संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से मिला प्रमाणपत्र पेश करना होगा, जो बताएगा कि उसके घर में चालू हालत में और स्वच्छ शौचालय है। □





किसानों की आय को प्रोत्याहन

2018-19 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जबर्दस्त प्रोत्याहन देते हुए वर्ष 2018-19 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सीसीईए का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि यह केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित एमएसपी को उत्पादन लागत के मुकाबले कम से कम 150 प्रतिशत रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसपी) ने सभी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है जो काफी हद तक घोषित सिद्धांत के अनुरूप है।

बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत दिया गया था। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया था। नाइजर सीड (काला तिल) न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1827 प्रति विवर्टल, मूँग के एमएसपी में 1400 रुपये प्रति विवर्टल, सूरजमुखी बीज के एमएसपी में 1288 रुपये प्रति विवर्टल और कपास के एमएसपी में 1130 रुपये प्रति विवर्टल की वृद्धि अप्रत्याशित है।

अनाज एवं पोषक अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में शुद्ध वृद्धि के लिहाज से धान (सामान्य) के एमएसपी में 200 रुपये प्रति विवर्टल, ज्वार (हाईब्रिड) में 730 रुपये प्रति विवर्टल और रागी में 997 रुपये प्रति विवर्टल की वृद्धि की गई। पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि रागी (52.47 प्रतिशत) में की गई है और उसके बाद दूसरे नंबर पर

एमएसपी में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड खरीद से किसानों को अभूतपूर्व समर्थन



किसानों को खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.5 गुना
अधिक मिलेगा



दालों का सुरक्षित भंडार 1.5 लाख टन से बढ़ाकर
20 लाख टन
किया गया



करीब
16.24 लाख
मेट्रिक टन दालों की खरीद
(23.03.2018 तक) की गई

ज्वार हाईब्रिड (42.94 प्रतिशत) है। दलहन में मूँग के अलावा अरहर (तुअर) के एमएसपी में 225 रुपये प्रति विवर्टल की वृद्धि की गई है जिससे लागत के मुकाबले रिटर्न में 65.36 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उड़ड के एमएसपी में लागत के मुकाबले रिटर्न में 62.89 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 220 रुपये प्रति विवर्टल की बढ़ोतरी की गई है ताकि फसलों के मूल्य में अंतर को कम किया जा सके। इसी प्रकार बाजरे के एमएसपी में 525 रुपये प्रति विवर्टल की बढ़ोतरी की गई है ताकि लागत के मुकाबले रिटर्न में 96.97 प्रतिशत की वृद्धि हो सके।

दलहन की खेती को बढ़ावा दिए जाने से भारत को पोषण असुरक्षा से निपटने, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार दलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की प्रति एकड़ आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके अलावा एमएसपी में वृद्धि से तिलहन के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके उत्पादन में निवेश को प्रोत्याहन मिलेगा। साथ ही इससे भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिलेगी। पोषक अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा। □

